लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ९ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 18/10/73

Preservation Unit
21-9-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खंण्ड 20

अंक 11 - 20

27 अगस्त - 9 सितम्बर

1963

पी एल बी

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ९ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

Chamber Fumigated. 15/9/23

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २०—अंक ११ से २०—२७ अगस्त से ९ सितम्बर, १९६३/ पृष्ठ ५ से १८ भाद्र, १८८५(शक)]

अंक ११—मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३/ ५ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३२२ और ३०१ से ३०९ — १३६५–८९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . १३८९–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३२१ और ३२३ से ३२९ . . १३९२–१४०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से १००१, १००३ से १००५ और १००७ से १०२१ . . . . . १४०१—५४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . १४५४–५७

लाटीटीला में पाकिस्तानी झंडा फहराये जाने के बारे में . १४५७–६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १४६०

राज्य सभा से सन्देश १४६०

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक, सभा पटल पर रखा गया . . १४६०

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १९६२—पारित . . १४६१

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १४६१—९९

दैनिक संक्षेपिका . . . १५००–०६

अंक १२—बुधवार, २८ अगस्त, १९६३/६ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३० से ३३९ और ३४१ . १५०७—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० और ३४२ से ३५९ . . . १५३३—४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ से १०६८ और १०७० से १११३ . १५४२—८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . १५८१—८६

(१) पाकिस्तानी विमानों द्वारा त्रिपुरा में अतिक्रमण

(२) २६ अगस्त, १९६३ को दिल्ली में पुलिस द्वारा जनता को परेशान किये जाने का कथित समाचार

सभा में दिये गये कथित अशुद्ध वक्तव्य के बारे में . . . १५८६

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५८६–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	१५८७
समिति के लिये निर्वाचन	१५८७—८८
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	
व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक	१५८८–१६०६
विचार करने का प्रस्ताव	१५८८
खंड २ से २४ और १	१६००
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव	१६०१—०६
विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक	१६०६—१४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१६०६
खंड १ और २	१६१३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१६१३–१४
कार्य मंत्रणा समिति	१६१४
अठारहवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	१६१५–२१

अंक १३—गुरुवार, २९ अगस्त, १९६३ ७/भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६० से ३७१, ३७४ और ३७२	१६१३—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ और ३७५ से ३८७	१६४६—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १११४ से ११७५	१६५५—८९
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१६८९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१६८०—९०
गाजियाबाद के आस-पास के किसानों की भूमि का अर्जन	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६९०–९१
राज्य सभा से सन्देश	१६९१–९२
कार्य मन्त्रणा समिति	१६९२
अठारहवां प्रतिवेदन	
भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक	१६९२–१७०२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१६९२

विषय	पृष्ठ
खंड २ से ५ और १	१७००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	१७००—०२
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक . . .	१७०२—०८
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१७०२
खंड २ से १४ और १	१७०८
पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७०८
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . .	१७०८—१०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१७०८
खंड २, ३ और १	१७१०
पारित करने का प्रस्ताव	१७१०
सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक	१७११ —२४
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७११
दैनिक संक्षेपिका	१७२५–३०

अंक १४—शुक्रवार, ३० अगस्त, १९६३ / ८ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ से ३९०, ३९४, ३९७, ३९८, ४००, ४०९, ४०३ और ४०७ से ४१०	१७३१—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९१ से ३९३, ३९५, ३९६, ३९९, ४०२, ४०४ से ४०६ और ४११ से ४१५ . . .	१७५८—६५ १७६५—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ११७६ से १२३७ .	१७९१—९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दक्षिण वियतनाम में बौद्धों की स्थिति	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७९५—९६
मंत्रिपरिषद से त्यागपत्रों और मंत्रि-परिषद में हुए परिवर्तनों के बारे में वक्तव्य	१७९६—१८००
राज्य सभा से सन्देश . . .	१८००
सभा का कार्य	१८००–०१
लोक सभा के समय के बारे में सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक .	१८०२—२३
विचार करने का प्रस्ताव . .	१८०६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१८२३

विषय	पृष्ठ
चौबीसवां प्रतिवेदन	
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ३६८ का संशोधन)—(श्री हरिविष्णु कामत का)—अस्वीकृत . . .	१८२३—२९
विचार करने का प्रस्ताव	१८२३
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ का संशोधन)—(श्री च० का० भट्टाचार्य का)—वापिस लिया गया . . .	१८२९—३९
विचार करने का प्रस्ताव	१८२९
समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)	१८४०—४२
विचार करने का प्रस्ताव .	१८४०
दैनिक संक्षेपिका .	१८४०—४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९१२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१९१२
राज्य सभा से सन्देश	१९१३
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया .	१९१३
नेफा जांच के बारे में वक्तव्य	१९१३—१५
आय-कर (संशोधन) विधेयक १९६३—पुरस्थापित . . .	१९१५
सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक	१९१५—५३
विचार करने का प्रस्ताव	१९१५
खंड २ से ११ और १	१९४६
पारित करने का प्रस्ताव	१९४६—५३
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	१९५३—६४
दैनिक संक्षपिका	१९६५—७०
अंक १५—सोमवार, २ सितम्बर, १९६३/११ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ से ४२२	१८४९—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४१६, ४२३ से ४३५ और ४३७ से ४४५ .	१८७०—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या १२३८ से १२७५ और १२७७ से १३०९ .	१८८०—१९१२

विषय	पृष्ठ
अंक १६, मंगलवार, ३ सितम्बर, १९६३/१२ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	
तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ से ४५५ . .	१९७१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१९९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ से ४७५ .	१९९५—२००५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३१० से १४२१ .	२००५—५८
निधन सम्बन्धी उल्लेख	२०५८–५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	२०५९
वित्तीय समितियां १९६२–६३ (एक समीक्षा) . . .	२०५९
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	२०५९—२१२०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२१२१—२६
अंक १७, बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३/१३ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४७६ से ४८४, ४८६, ४८७, ४८९ और ४९१ .	२१२७—५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० और ४९२ से ५०५ .	२१५३—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२२ से १५०४ . . .	२१६१—९६
स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	२१९६—९८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	११९८
गैर-सरकारी सदस्यों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	२१९८
पच्चीसवां प्रतिवेदन	
मिनिकोय द्वीप में निर्वाचन-कर हटाने के बारे में वक्तव्य	२१९८
सदस्य द्वारा वक्तव्य . . .	२१९८–९९
ईसाइयों विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक . .	२१९९—२२००
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के समय को बढ़ाना	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	२२००—४२
दैनिक संक्षेपिका	२२४३—४८

विषय	पृष्ठ
अंक १८.—गुरुवार, ५ सितम्बर, १९६३/१४ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ से ५१४	२२४९—७१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	२२७२—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१५ से ५२९	२२७९—८७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५०५ से १५४४ और १५४६ से १५५५ .	२२८७—२३०९
सदस्य के त्यागपत्र के बारे में	२३०९—१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१०—११
जीवन बीमा निगमके प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२३११—२५
खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव .	२३२६—४७
कार्य मंत्रणा समिति	२३४८
उन्नीसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	२३४९—५३
अंक १९—शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३/१५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३०, ५३३, ५३५ से ५३७, ५३९, ५४३, ५४७ और ५४९ से ५५३	२३५५—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३४, ५३८, ५४०, ५४१, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८	२३७९—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५६ से १६०६ और १६०८ से १६१०	२३८२—२४०८
सदस्य के त्यागपत्र के बारे में	२४०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२४०९—२३
डा० प्रताप सिंह की लेख-याचिका पर न्याय सम्बन्धी बातें	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४२३—२४
सभा का कार्य	२४२४—२७
कार्य मंत्रणा समिति	२४२७
उन्नीसवां प्रतिवेदन	
समिति के लिये निर्वाचन . . .	२४२७—२८
राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . .	२४२८—३७
चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	२४३७

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	२४३७—५६
पच्चीसवां प्रतिवेदन	
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . .	२४३७—४२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प	२४४२—५६
दैनिक संक्षेपिका	२४५७—६२
अंक २०—सोमवार, ९ सितम्बर, १९६३ / १८ भाद्र १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५५६, ५५८ से ५६२, ५६४ से ५६५ .	२४६३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५५७, ५६३, ५६६ से ५७९ . .	२४८५—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या १६११ से १६३३ . . .	२४९१—२५१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	
(१) सरकार द्वारा तेल सम्बन्धी नीति का कथित पुनरीक्षण .	२५१७—२०
(२) पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगाना . .	२५२०—२६
सभा के कार्य के बारे में	२५२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५२७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२५२७–२८
राज्य सभा से सन्देश	२५२८
"हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी" पर वक्तव्य	२५२८—३५
खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव . .	२५३६—६८
दैनिक संक्षेपिका	२५६९—७३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३
५ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नोत्तर ।

†**श्री यशपाल सिंह :** प्रश्न संख्या ३०० ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** श्रीमान्, प्रश्न संख्या ३०० तथा ३२२ एक ही विषय पर है। यदि आप आज्ञा दें तो दोनों का एक साथ उत्तर दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसे पूछने वाले कौन हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री पी० आर० चक्रवर्ती, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद और श्री मोहन स्वरूप ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उनमें से कोई उपस्थित है ?

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** जो हां, मैं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है । दोनों का उत्तर दे दिया जाये ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड

+

†*३००. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध राष्ट्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक मई, १९६३ में हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

1078 (Ai) LSD—1.

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत कुछ सुझाव सरकार को भज दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां । श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध राष्ट्रीय श्रम सलाकार बोड की पहली बैठक २५ मई, १९६३ को हुई थी ।

(ख) बोर्ड के प्रमुख निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० १५६३/६३]**

(ग) और (घ). सामुदारिक विकास तथा सहकार मंत्रालय बोर्ड की सिफारिशों से सहमत है और इस सिलसिले में सम्बन्धित प्राधिकारों से बातचीत शुरू की गई है ।

सहकारी समितियों के लिए निर्माण कार्य

+

†*३२२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धश्वर प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश भेजा है कि पचास हजार रुपये तक का निर्माण-कार्य श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं को दे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्यों के कितने प्रतिशत निर्माण-कार्य इन संस्थाओं को दिये जा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निर्देश नहीं भेजा गया है । तथापि, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे श्रक ठेका तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं की सितम्बर, १९६२ में नागपुर में हुई अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशों की जांच करें जिन से यह मंत्रालय सहमत है । इस गोष्ठी ने सिफारिश की थी कि :—

(१) अध्यक्ष कार्य बिना किसी सीमा के पूर्णत: श्रम सहकारी संस्थाओं के लिये रक्षित कर देने चाहिए, तथा

(२) ५०,००० रुपये तक के दक्ष कार्य, जिसमें सामग्री की लागत सम्मिलित नहीं होगी, श्रम सहकारी संस्थाओं के लिये रक्षित कर देने चाहियें और इस सीमा से अधिक के दक्ष कार्यों के हेतु टेंडर भेजने के लिये वे संस्थायें पात्र होनी चाहिये । सहकारी संस्थाओं द्वारा भेजे गये ऐसे टेंडरों को कुछ महत्व दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अब तक दी गई रियायत दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५६४ / ६३]

श्री यशपाल सिंह : इस मामले में क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को कनसल्ट कर लिया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां, पूरा सैमीनार का जो विषय था, जो सिफारिशें थी, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रजिस्टरार्ज़ हैं और जो मिनिस्टर्ज़ हैं, उनके सामने रखी गई थीं और उनकी स्वीकृति से ही यह किया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : किस तारीख से जो आपकी कांट्रेक्ट लेबर है, उसको राहत मिल जाएगी ? किस तारीख से उनके भविष्य का निर्णय हो जाएगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं सवाल समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह जो प्रोपोजल है कि कांट्रेक्ट उनको दिये जायेंगे, इसको कब तक इम्प्लेमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस सम्बन्ध में हम लोगों ने राज्य सरकारों से और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन के सिफारिशें की हैं और काम निश्चित तौर से बढ़ रहा है। लेकिन मैं पूरा नहीं कह सकता हूं कि कब तक पूरा काम होगा क्योंकि लेबर कोआप्रेटिब्ज के जरिये काम करवाने की जो सम्भावनायें हैं, वे व्यापक हैं । अभी साल १९६१–६२ में लगभग पांच करोड़ का काम हुआ है । इस साल काम कुछ बढ़ा है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : लेबर कोआप्रेटिब्ज़ की जो बात आप ने की है, मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले काम किस प्रकार होता था और पहले और आज का जो काम है, उस में क्या डिफ़ेंस है ।

श्री श्यामधर मिश्र : लेबर कोआप्रेटिब्ज के ज़रिये जो काम होता है व अभी तक भी और पहले भी कांट्रेक्टर्ज़ के ज़रिये होता रहा है और इस में थोड़ा बहुत इनका भी हिस्सा है । आशा है कि लेबर कांट्रेक्ट कोआप्रेटिब्ज़ के ज़रिये अगर काम किया जाये तो काम पर भी अच्छा असर पड़ेगा, गरीबों को अच्छा रोज़गार मिलेगा और कांट्रेक्टर्ज़ का जो मुनाफा है, वह गरीबों को मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** माननीय मंत्री ने कहा है कि श्रम सहकारी संस्थाओं द्वारा अब तक लगभग ५ करोड़ रुपये के काम पूरे किये गये हैं । मैं जानना चाहती हूं कि जो लोग इन कामों को कर रहे हैं उन्होंने शिकायत की है कि सरकार के साथ अपने दावे करने में उन्हें दिक्कत होती है और इस कारण सहकारी काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

†**श्री श्यामधर मिश्र :** एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं ने अब तक ५ करोड़ रुपये नहीं कहा था; मैं ने कहा था कि ५ करोड़ रुपये १९६१–६२ के लिये हैं । यह

---

†मूल अंग्रेजी में

संचित आंकड़ा नहीं है, ; यह तो गत वर्ष ३·२६ करोड़ रुपये के आंकड़े की तुलना में एक वर्ष का आंकड़ा है। जहां तक भुगतान में एक के बारे में शिकायत का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि विभागों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भुगतान न करने के मामले हैं। गोष्ठी की सिफारिशों में तथा लखनऊ में हुये मंत्री सम्मेलन में भी इस बात पर ध्यान दिया गया था और हम ने अन्य चीजों के साथ साथ जिला स्तर पर, तथा यदि आवश्यक हो तो राज्य स्तर पर भी, एक न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा था । लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों का अभिमुखीकरण आवश्यक है । यह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है परन्तु समस्या अवश्य ही विद्यमान है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण श्रम सहकारी संस्थाओं के गठन में भी देरी हो रही है और नतीजा यह है कि चाहे सरकार का इरादा नेक ही है परन्तु श्रम सहकारी संस्थायें बन रहीं नहीं हैं और वे ठेके लेने के लिये आगे नहीं आ रही हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** सवाल इतना प्रक्रियात्मक विलम्ब का नहीं है । मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक ज्यादा है क्योंकि ठेके आदि का काम अभी तक लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा किया जाता था। अब सवाल उन के अभिमुखीकरण का है । विलम्ब इन सहकारी संस्थाओं के संगठन की प्रक्रिया के कारण नहीं है बल्कि धारणा की कमी के कारण हो सकता है। हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सलाहकार बोर्ड राज्यों में बनाये जा रहे हैं और यदि हां, तो कितने राज्यों में ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** हम ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में श्रम बोर्ड बनाये जायें । हम ने उन्हें विस्तृत सिफारिशें और सुझाव दिये हैं। परन्तु अभी केवल पंजाब तथा उड़ीसा ने ही उन्हें बनाया है। और दिल्ली में शायद शीघ्र ही बना लिया जाने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगले वर्ष अधिकतर राज्यों में ये बोर्ड बन जायेंगे क्यों सिफारिशें केवल दो ही महीने पहले भेजी गई थीं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये श्रम सहकारी संस्थायें फुटकर काम करेंगी या पूरा निर्माण कार्य ? यदि पूरा निर्माण कार्य हो तो क्या सरकार द्वारा उनका कुछ मार्गदर्शन किया जायगा या कोई प्रविधिक परामर्श दिया जायगा ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न था कि क्या इन सहकारी संस्थाओं को निर्माण कार्य में कोई प्रविधिक सहायता दी जायेगी । लेकिन यह सारी जानकारी तो उत्तर से संलग्न विवरण में दी हुई है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** फुटकर काम होगा अथवा सम्पूर्ण निर्माण कार्य ? यदि वह सम्पूर्ण निर्माण कार्य करेगी तो क्या उन्हें प्रविधिक परामर्श देने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई उपबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र :** वास्तव में, जो नई योजना हम ने हाल ही में स्वीकार की है, उस में हम प्रत्येक दस श्रम सहकारी संस्थाओं के लिये एक प्रविधिज्ञ देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ओवरसियर अथवा प्रविधिक सलाह देने वाले व्यक्ति के लिये हम ७,२०० रुपये दे रहे हैं जो इसे ५ वर्षों की अवधि में खर्च किये जायेंगे ।

†**श्री त्यागी :** इन समितियों को काम देने के लिये क्या प्रक्रिया होगी ? क्या ऐसा टेंडर आमंत्रित करने की सामान्य रीति द्वारा किया जायगा अथवा यह कोई तदर्थ व्यवस्था होगी ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है उस में यह चीज स्पष्ट रूप से बताई गई है ।

†**श्री गौरी शकर कक्कड़ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण केन्द्रीय बैंकों तथा राज्यों के चोटी के बैंकों के पास श्रम सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने के साधन नहीं हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र:** हमारे सामने जो समस्यायें हैं यह उन में से एक है। जिला बैंकों को इन समितियों की सहायता करनी चाहिये ।

श्री कछवाय : शासन की ओर से मजदूरों को प्राविडेंट फंड की बोनस की तथा चिकित्सा इत्यादि की जो सहूलियतें दी जाती हैं, वे सहूलियतें क्या इन मजदूरों को भी मिलेंगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : कोई अलग इस में नहीं मिलेंगी। लेकिन इस में जो फायदा होगा उस में जो कामन गुड फंड होगा, उस से चिकित्सा, पढ़ाई, बगैरह का कार्य करना चाहिये । वैसे पंजाब में ऐसा काम शुरू हो गया है, इस में कोई शक नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि इस कार्यक्रम के लिये केवल पन्द्रह जिले चुने गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन जिलों के नाम क्या हैं तथा इन्हें किस आधार पर चुना गया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** मुझे डर है कि विवरण में जो कुछ दिया गया है माननीय सदस्य ने उस से कहीं ज्यादा पढ़ लिया है। हम तो देश भर में श्रम सहकारी संस्थायें देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रस्ताव है कि श्रम सहकारी संथाओं का महत्व तथा उपयोगिता का प्रर्दशन करने के लिये १५ प्रकृष्ट जिले होने चाहियें जिन में से प्रत्येक राज्य में एक हो। वह योजना अभी बनी नहीं है । अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इसे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जायगा ।

पाकिस्तान द्वारा व्यापार कर

\+

†*३०१. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान की नदियों के रास्ते पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने की एक योजना तैयार की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवनहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तान की नदियों के रास्ते पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने की कोई योजना तैयार नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : पूर्व पाकिस्तान के रास्ते भारतीय पारगमन व्यापार का कुल मूल्य क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक-ठीक कुल टन भार तो नहीं बता सकता ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि भारत द्वारा पारगमन वस्तुओं पर नियमित कर के भुगतान के विकल्प के रूप में पाकिस्तान ने भारत को सुझाव दिया है कि वह पूर्व पाकिस्तान की नदियों के पोषण की लागत का एक भाग दे, यदि हां, तो इस सुझाव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है । तथ्य यह है कि अखबारों में यह कुछ छपा था परन्तु उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने पाठकों का ध्यान पूर्व पाकिस्तान की नदियों में मलवाहन तथा अन्य नौपरिवहन सम्बन्धी सुविधाओं को बनाये रखने के लिये मार्गशुल्क तथा उपकरों को बढ़ाने की आवश्यकता पर केन्द्रित किया था ।

†**श्री बसुमतारी** : पाकिस्तान के गन्दे तथा शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुये—वे नदियों द्वारा नौपरिवहन में अड़चने खड़ी कर सकते हैं—क्या मैं जान सकता हूं कि जोगीघोपा से आसाम के अन्य भागों तक वाहनान्तर के लिये सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हम सड़क परिवहन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमने कलकत्ता से आसाम तक वस्तुओं के परिवहन के लिये एक सरकारी सड़क परिवहन संगठन भी स्थापित किया है और हमें आशा है कि संकट या आपात के समय हम इन दो पद्धतियों अर्थात् रेल तथा सड़क परिवहन पर निर्भर कर सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इससे हमारे भारत को कितने परसेन्ट का लास होगा और उसको मेक अप करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राज बहादुर : यहां पर लास का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि किसी टैक्स वगैरह का सवाल नहीं था । सवाल इसका था कि टाल वगैरह बढ़ाया जाये या नहीं, और वह भी खाली अखबारों में आया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने कुछ फैसिलिटीज़ की बात कही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि रिवर नैविगेशन के वास्ते पाकिस्तान की ओर से हमें कितनी फेसिलिटी प्राप्त होगी । और आदि क्या फैसिलिटी उनको देंगे ?

श्री राज बहादुर : तीन तरह की फैसिलिटीज होती हैं रिवर नेविगेशन में, एक पाइलटिंग दूसरी कंजर्वेन्सी और तीसरे लाइट्स जोकि दोनों किनारों पर लगाई जाती हैं, निशान लगाये

---

†मूल अंग्रेजी में

जाते हैं। तीनों तरह की फैसिलिटीज़ ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस साइड के कस्टमर्स को और उसके लिये कस्टमर्स को टांल देना पड़ता हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** पाकिस्तान की नदियों के रास्ते होने वाले अन्तर्राज्यीय व्यापार का कुल मूल्य क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक-ठीक मूल्य तो नहीं बता सकता लेकिन यह ठीक है कि हमारी लगभग ६० प्रतिशत वस्तुएं नदियों द्वारा आसाम से बंगाल तथा बंगाल से आसाम ले जाई जाती हैं।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे व्यापार को भारत के लिये अलाभ-प्रद बना देने के किन्हीं पाकिस्तानी इरादों के कोई संकेत मिले हैं, यदि हां, दो सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसे कोई चिह्न नहीं हैं। तथ्य तो यह है कि समाचारपत्रों की खबरों ने भी साफ तौर से यह दर्शाया है कि उनके अपने स्टीमरों तथा अन्य देशों अर्थात् भारत के स्टीमरों के बीच इन मार्गशुल्कों तथा उपकरों के लगाने के सम्बन्ध में कोई मतभेद करने का सुझाव नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** सरकारी परिवहन समवाय कबसे काम कर रहा है और इस मार्ग पर चलने वाले उसके जलपोतों की संख्या क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह एक पुरानी कम्पनी है। मैं ठीक-ठीक तारीख नहीं बता सकता।

चावल का रक्षित भंडार

+

*३०२. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बीस लाख टन चावल का रक्षित भाण्डार बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से तथा किन मूल्यों पर चावल खरीदा जायेगा; और

(ग) चावल की पैदावार बढ़ाने के लिये भारतीय किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चावल का रक्षित भण्डार कुछ दूसरे देशों से आयात कर और कुछ देश के भीतर खरीद कर बनाए जाने का विचार है। आगामी कुछ वर्षों में चावल संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों से, जहां भाव अनुकूल हों और चावल की किस्म भी स्वीकार्य हो, आयात किये जाने की सम्भावना है। जिन भावों पर चावल वास्तव में

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात किया जाएगा वे खरीद का ठेका करते समय निश्चित करने पड़ेंगे। देश के भीतर खरीदारी प्राप्ति भावों पर जो समय समय पर विभिन्न किस्म के चावलों के लिये निर्धारित किये जाते हैं, की जाएगी ।

(ग) सभा के पटल पर एक विवरण जिसमें चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को जो प्रोत्साहन दिए जा रहें, बताया गया है, रखा जाता है ।

विवरण

(१) कृषि सम्बन्धी औजारों और फास्फोरस उर्वरकों पर पहले से ही उपदान सुलभ हैं। हाल ही में, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट के भाव भी कम कर दिए गये हैं। चावल की सघन खेती कार्यक्रम द्वारा जितने क्षेत्र में खती की जाती है वहां पौधा संरक्षण उपायों के लिय दिया जाने वाला उपदान २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है ।

(२) राज्य सरकारों से कहा गया है कि चावल की खेती सम्बन्धी आवश्यक औज़ारों को खरीदने के लिये पंचायतों और किसानों को २५ प्रतिशत उपदान देंवें ।

(३) जिन क्षेत्रों में सरकारी खरीदारी नहीं हो रही है वहां चावल के न्यूनतम आधार भाव निर्धारित कर दिए गये हैं। जिन क्षेत्रों में सरकारी खरीदारी हो रही है वहां प्राप्ति भाव निर्धारित कर दिए गये हैं जो कि आधार भावों का कार्य करते हैं। इन भावों पर चावल की खरीदारी होने से खेतीहरों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है।

श्री यशपाल सिंह : जैसा कल ही इसी आदर्णीय सदन में माननीय मनुभाई शाह ने बतलाया, हम बांसमती दूसरे देशों को भेज रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि जब हमारे यहां चावल की कमी है और हमें दूसरे देशों से चावल लेना पड़ता है तो इस देश में होने वाले बासमती चावलों को कैसे दूसरे स्थानों को भेजा जा रहा है? यानी दूसरे देशों को हम बढ़िया चावल भेज रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** अभी तक हमने केवल ४००० टन बासमती चावल का निर्यात किया है।

†**श्री यशपाल सिंह :** हमारे माननीय खाद्य मंत्री अभी जापान तशरीफ ले गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि जापान के तरह के यहां पर कितने ऐग्रिकल्चर फार्म हैं, यानी ऐसे फार्म जिन में जापानी ढंग का चावल पैदा किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी चार हैं और आगे और ज्यादा होने की उम्मीद है ।

श्री बड़े : क्या यह बात सत्य है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ एरिया में प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी काश्तकार से जो चावल लिया जाता है सरकार के द्वारा उसकी ऐक्चुअल प्राइस में और मार्केट की प्राइस में इस समय बड़ा अन्तर है और इस लिये राइस ग्रोइंग काश्तकार जो हैं उन्होंने राइस बोना बन्द कर दिया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि प्राप्ति भाव तथा बाजार भाव में भारी अन्तर है। परन्तु हम केवल २५ प्रतिशत उपकर ले रहे हैं ताकि जहां तक ७५ प्रतिशत का सम्बन्ध है उसे बाजार भाव पर बेचा जाता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में उत्पादन आशा से बहुत ही कम हुआ था—१० लाख टन तक की कमी हो गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त :** जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, अभी फूड प्रोडक्शन के सम्बन्ध में कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट होने में बहुत वक्त लगेगा और इसलिये बकर स्टाफ रखा जायेगा। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस चावल को रखने के लिये कितने फ्लोर एरिया की जरूरत होगी? इस में से कितना परसेन्टेज वेअर हाउसिंग सरकार की तरफ से किया गया है और कितने अनसर्विसेबल गोडाउन्स हैं जहां यह गल्ला खराब हो जाता है जिसके कारण सरकार को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है? इसके लिये सरकार का क्या प्रपोज़ल है?

†**श्री अ० म० थामस :** १९६० के शुरू में हम ५० लाख टन का रक्षित भंडार बनाना चाहते थे—४० लाख टन गेहूं तथा १० लाख टन चावल। हाल ही में हमारे इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है और अब हमारा लक्ष्य ४० लाख टन गेहूं तथा २० लाख टन चावल का है। जहां तक गोदामों के उपलब्ध स्थान का सम्बन्ध है, कुछ ही वर्ष पहले स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। अब स्थिति सन्तोषजनक है। २० लाख टन की सीमा तक तो हमने अपने गोदाम बनवा लिये हैं और १० लाख टन तक के लिये हमने किराये पर जगह ले ली है ताकि जब हम रक्षित भंडार बनाने की स्थिति में होंगे उस समय संग्रह की कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री के विवरण से पता चलता है कि इस रक्षित भंडार को कुछ तो आयात किये गये चावल और कुछ अपने देश के चावल से ही बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करने से हमारे घरेलू उपभोग तथा विभिन्न राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अभ्यंशों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा?

†**श्री अ० म० थामस :** आन्तरिक प्राप्ति घरेलू उत्पादन पर निर्भर करेगी। उदाहरणार्थ, इस वर्ष सभी तरह के प्रयत्न करने के बाद हम लगभग केवल ६ से ७ लाख टन ही प्राप्त कर पाये थे क्योंकि मध्य प्रदेश और पंजाब के अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में भी उत्पादन कम हुआ था। तथ्य यह है कि हमने बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था परन्तु वह संभव न था। इसलिये यदि हमने केवल देश के अन्दर से ही प्राप्ति करनी है तो वह एक सीमा के अन्दर ही हो सकती है। हमें विदेशों से भी आयात करना है और वह निर्भर करेगा . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न केवल इतना था कि क्या हमारे घरेलू उपभोग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

†**श्री स० का० पाटिल :** इसमें साफ ही कोई गलती है। घरेलू उपभोग के लिये जो प्राप्त किया जाता है वह रक्षित भंडार नहीं है। माननीय सदस्य कभी कभी रक्षित भंडार तथा सामान्यतः हमारे लिये जो जरूरी है उसमें भूल कर जाते हैं। रक्षित भंडार तो उसके अलावा है और इसलिये वह स्थिति तो तभी पैदा हो सकती है जब हमारे पास फालतू चावल होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न को ठीक से समझा नहीं गया है। मैं उसे स्पष्ट कर दूं। मुझे भूल बिलकुल नहीं हो रही है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि रक्षित भंडार बनाने के लिये घरेलू प्राप्ति घरेलू उपभोग की लागत पर नहीं की जायेगी।

†**श्री स० का० पाटिल :** अवश्य, जब तक कोई चीज़ वास्तव में रक्षित भंडार नहीं होगी उसे नहीं लिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच है कि मंत्रालय में होने वाले परिवर्तन को देखते हुये रक्षित भंडार बनाने की इस नीति के त्याग दिये जाने की संभावना है क्योंकि यह नीति वर्तमान पदासीन मंत्री से संबंधित है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** नई परिस्थितियों में भी लोग चावल खाना पसन्द करेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के किसानों में बड़ी अशांति है क्योंकि प्रचलित मूल्यों तथा प्राप्ति मूल्यों में बहुत भारी अन्तर है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा अनुमान है कि इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न है. . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उस प्रश्न का काफी विस्तार से उत्तर दे दिया गया है।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो विदेशों से चावल खरीदा है उसकी हिन्दुस्तान पहुंचने पर क्या कीमत पड़ेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** जहां तक वर्मा के चावल का सम्बन्ध है यहां पहुंचने पर कीमत लगभग २० रूपये हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें बताया गया है कि किसानों को कुछ उत्प्रेरक दिये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके बावजूद उत्प्ररकों के पर्याप्त न होने के कारण, देश में चावल के उत्पादन में सामान्य कमी हो गई है और कृषक वाणिज्यिक फसलों की ओर अग्रेसर हो रहे हैं तथा यदि हां, तो क्या सरकार और अधिक उत्प्रेरक देने का विचार रखती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** तथ्य यह है कि ये उत्प्रेरक व्यापारिक फसलों तथा खाद्यान्नों की फसलों के बीच सन्तुलन बनाये रखने के लिये है । व्यापारिक फसलों की ओर विकर्षण से हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे विदेशी मुद्रा कमाती हैं जिसकी की बड़ी जरूरत है तथा व्यापारिक फसलों के लिये जिस भूमि का अब इस्तेमाल किया जा रहा है वह अनावश्यक रूप से ज्यादा भी नहीं है ।

चीनी का उत्पादन

†

*३०३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दे० द० पुरी :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले वर्ष में चीनी का उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रही है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या भारतीय चीनी मिल संस्था ने भी मई, १९६३ में दिल्ली में हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया था; और

(ग) क्या संस्था ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) चीनी मिल संस्था ने सामान्य रूप से सुझाव दिया कि गन्ना उत्पादकों और शर्करा उद्योग को प्रोत्सा न दिये जायें और गन्ने को कारखाने के क्षेत्रों से ले जाकर गुड़ और खांडसारी बनाने से रोकने के उपाय अपनाए जायें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि अगले वर्ष के लिये चीनी उत्पादन का लक्ष्य क्या है तथा क्या हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जैसा कि मैं सदन में पहले बता चुका हूं लक्ष्य---वास्तव में मैं इसे लक्ष्य क ना नहीं चाहूंगा क्योंकि वह बहुत बड़ा शब्द है—३३ लाख टन है जिसमें घरेलू उपभोग के लिये लगभग २६ लाख टन, निर्यात के लिये ५ लाख टन तथा तीन वर्षों में पांच लाख टन का रक्षित भंडार बनाने के लिये २ लाख टन सम्मिलिति हैं।

†**श्री त्यागी** : यह कहां तक सच है कि सरकार गुड़ तथा खांडसारी के निर्माण पर किसी तरह का शुल्क लगाने जा रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गुड़ और खांडसारी से दानेदार सफेद चीनी को ओर विकर्षण किया ही जाना है ; इसे कैसे किया जाएगा य राज्यों की इसे कर सकने की क्षमता पर निर्भर है करेगा ।

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न और है । मैं जानना चा ता हूं कि क्या सरकार कोई शुल्क लगाने का जा रही है । अखबारों में मैंने यही पढ़ा था कि सरकार गुड़ और खंडसारी के उत्पादन पर शुल्क लगाने जा रही है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इन चीजों पर केवल सोचा ही जा रहा है । हम ने विभिन्न राज्य सरकारों से सलाह की है । हम ने कुछ सुझाव भी तैयार किये हैं । वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से इस बारे में चर्चा की जा रही है । निकट भविष्य में ये सुझाव मंत्रिमंडल के सामने रखे जायेंगे ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या यह आशा है कि य ३३ लाख का टारजेट पूरा हो जायगा और फसल खराब होने आदि के कारण इसमें बाधा नहीं पड़ेगी ?

श्री स० का० पाटिल : आशा है, इसीलिये तो रखा है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय चीनी मिल संघ के कौनसे विशेष सुझाव सरकार को स्वीकार्य हैं तथा इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : तथ्य यह है कि उत्प्रेरक देकर उत्पादन बढ़ाने के सामान्य सुझाव के अतिरिक्त उन्होंने कोई विशेष सुझाव नहीं दिये हैं।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण भारत में गुड़ का उत्पादन चीनी के उत्पादन का केवल संपूरक है न कि प्रतियोगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा ही है क्योंकि गुड़ और खांडसारी में लगभग दो-तिहाई गन्ना इस्तेमाल होता है । इसलिये इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : ३३ लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने उत्पादकों को क्या उत्प्रेरक देने का निर्णय किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सभी तरह के उत्प्रेरक दिये गये हैं। हमने मूल्य बढ़ा दिया है । कुछ और भी योजनायें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जो शीघ्र ही सदन के सामने लाई जायेंगी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : गन्ना गुड़ तथा खांडसारी की ओर विकर्षित न हो इसके लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह वही प्रश्न है जिसका पहले जवाब दे दिया गया है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या सरकार की नीति चीनी का उत्पादन बढ़ाने की है ? यदि हां, तो सहकारी क्षेत्र में चीनी के कितने कारखानों को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं और क्यों ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमने अब ५ लाख टन क्षमता के लिये नये लाइसेंस जारी किये हैं और शीघ्र ही वे उन्हें मिल जायेंगे। माननीय सदस्य को अपने राज्य के लिये लाइसेंस अवश्य मिल रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : सन् १९४७-४८ में जबकि गन्ने का भाव दो पौने दो रुपये मन था, उस समय चीनी ३२ रुपये मन बिकती थी, आज चीनी लगभग ६७ रुपये मन बिक रही है पर गन्ने का भाव १ रुपये ६ आने है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल : जैसा मैंने कहा विचार कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : कब तक आशा है ?

श्री कछवाय : मंत्री जी ने बताया कि हम गुड़ और खांडसारी बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले हैं। क्या उन्होंने इस बात का भी अन्दाजा लगाया है कि इसका असर उन गरीब लोगों पर क्या पड़ेगा जो कि गुड़ खाते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : आज भी गुड़ की कीमत बहुत बढ़ गयी है। गरीब तो खाते ही हैं। यह चीज विचाराधीन है और इस पर राज्य सरकारों से सलाह मशविरा किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को देखते हुये कि चीनी के कारखानेदारों ने चीनी के उत्पादन में पूरी तरह से योगदान नहीं दिया है, क्या सरकार चीनी के सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले प्रयोगात्मक उपाय के रूप में कुछ कारखानों को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या इन समाचारों में कोई सच्चाई है कि अनुज्ञप्त क्षमता को ३५ से ४० लाख टन किया जा रहा है ? यदि हां, तो बढ़ी हुई कितनी क्षमता सहकारी क्षेत्र में होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : चीनी का निर्यात बाजार क्योंकि बहुत ठोस बनता जा रहा है, इसलिये जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है क्षमता को ५ लाख टन बढ़ा देना राष्ट्रीय हित में होगा । परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें से कितनी सहकारी क्षेत्र में होगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि गुड़ की कीमत में वद्धि इसलिये नहीं हुई है क्योंकि गरीब जनता द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि इसलिये कि इसका इस्तेमाल अवैध रूप से शराब बनाने में हो रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार को इससे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि बहुत सी चीनी इस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल हो रही है । कितनी चीनी इस तरह व्यर्थ जाती है इसके बारे में हम पूछ-ताछ कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि जब सरकार गुड़ पर प्रतिबन्ध लगायेगी तो गांव का गुड़ बनाने का व्यवसाय मर जायेगा और केवल चीनी का व्यवसाय चलेगा ?

श्री स० का० पाटिल : वह कभी मरने वाला नहीं है क्योंकि देश में जितना गन्ना पैदा होता है वह सब शुगर फैक्टरीज नहीं क्रश कर सकतीं । दो तिहाई गन्ना गुड़ और खांडसारी के लिये रहेगा ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि अक्तूबर और नवम्बर में शुगरकेन से शुगर नहीं बनायी जाती । इसलिये मध्य प्रदेश में उसका गुड़ बनाया जाता है । क्या इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री स० क० पाटिल : अभी तो हम कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि १५ अक्तूबर से ही चीनी बनाना शुरू किया जाये और उसमें जो कुछ नुकसान होगा वह सरकार देगी ।

श्री क० ना० तिवारी : गुड़ और खांडसारी में जो गन्ना जाता है उसका दाम किसान को दो और ढाई रुपया मन मिलता है । जानना चाहता हूं कि सरकार मौजूदा कीमतों में कितना बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल : वह तो खाली एक बरस चला, हमेशा चलने वाला नहीं है । उस साल दुनिया में चीनी का उत्पादन कम हुआ था इसलिये भाव बढ़ गये । इस साल तो इतने नहीं बढ़ेंगे ।

श्री त्यागी : वह गुड़ जो कि मिलों से बहुत दूर के फासले पर बनता है, जहां कोई मिल नहीं है, और जिसके बनाने से चीनी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्या ऐसे कोल्हुओं पर भी टैक्स लगाने की राय है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : बिल्कुल नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में खाद्याभाव की स्थिति

+

†*३०४. श्री श्रीनारायण दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में किस विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में पहले अभाव की स्थिति थी या अब भी मौजूद है ;

(ख) क्या इन में से किसी क्षेत्र से भूख से मत्यु की घटनाओं का समाचार मिला है ;

(ग) यदि हां, तो भूख के कारण मृत्यु की इन कथित घटनाओं के बारे में यदि कोई जांच पड़ताल की गई हो तो उसका क्या नतीजा निकला ; और

(घ) खाद्याभाव की वर्तमान स्थिति दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । कृपया देखिये एल० टी०--१५६५/६३**]

(ख) और (ग). आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भुखमरी के कुछ आरोप लगाये गये थे । संबंधित राज्य सरकार द्वारा हर मामले की जांच पड़ताल से यह सिद्ध हुआ है कि ब मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह पता चलता है कि अनेक राज्य, खासकर गुजरात और पश्चिम बंगाल, पीड़ित थे । क्या इनमें से किसी राज्य ने स्थिति के सुधार के लिये वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की स ायता मांगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : वित्तीय सहायता के संबंध में, वित्त मंत्रालय की नीति निश्चित है अर्थात् अकाल आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिये प्रत्येक राज्य को अपने बजट में कुछ रकम रखनी होती है और व रकम खत्म हो जाने पर, १ करोड़ रुपये तक, केन्द्रीय सरकार कुछ हिस्सा देती है । १ करोड़ रुपये के ऊपर कुछ और प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है । ज ां तक सप्लाई का संबंध है, प्रत्येक राज्य सरकार की प्रार्थना काफी ह द तक पूरी की गयी है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : अभी अभी बताया गया है कि राज्य सरकारों ने भुखमरी की तथा-कथित घटनाओं की जांच की थी । उसका क्या निष्कर्ष निकला, मृत्यु के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : व , मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई । मैं सभा को बताना चा ता हूं कि स्वतंत्र भारत में भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि अगर चावल नहीं, तो गेहूं या बाजरा या जवार होगा । भारत में किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिये । हो सकता है कि आवश्यक किस्म का चावल सस्ते दर पर उन्हें न मिले ।

श्री यशपाल सिंह : खाद्यान्न के भावों में जो औसतन वृद्धि हुई है, ८ रुपये से लेकर १० रुपये तक उनके भाव बढ़े हैं, किसान से जो गेहूं १३ रुपये मन लिया गया उसमें ६–७ रुपये मन तक दाम बढ़े हैं तो उस प्राफिट में किसानों को भी प्रपोरशनेटली कु छ हिस्सा दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो इससे बिल्कुल अलहिदा हो गया ।

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में, जैसाकि मैंने पहले भी इस सदन में बताया था, राज्यों में सस्ते दाम की ५३,००० दूकानें हैं जिनमें रियायती दरों पर चावल और गेहूं दिया जाता है ताकि ये दूकानें लगभग ४ या ५ करोड़ गरीब जनता की देखभाल कर सकें ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से यह पता चलता है कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, राजस्थान में छत्तीसगढ़, जैसलमेर और नालोर, और उत्तर प्रदेश में बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया, जहां सदा ही अभाव की स्थिति बनी रहती है । क्या सरकार ने यह अस्थायी सहायता देने के अलावा और भी कोई योजना सोची है जिससे इन जिलों में अभाव की यह स्थिति दूर की जा सके ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: माननीय सदस्य ने जिन जिलों का उल्लेख किया है वे सभी सामान्यतया बहुतायत वाले राज्यों से हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वे विवरण में दिये हुये हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : एक राज्य बहुतायत वाला हो सकता है लेकिन उसमें के एक या दो जिले वैसे नहीं भी हो सकते । इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि उस राज्य के पास अधिक नहीं है । प्रश्न यह है कि उस विशिष्ट क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं आदि दी जा सकती हैं या नहीं । वास्तव में वही महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारें का खास कर उन क्षेत्रों के लिए जैसे आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर, जो रायलसीमा में है, अपनी आयोजनाओं में ऐसी योजनाएं अवश्य शामिल करनी चाहिये । रायलसीमा में सदा ही वर्षा का अभाव रहता है लेकिन वहां सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि कुछ लोगों की तरफ़ से शिकायत आई थीं कि स्केयरसिटी की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन उन की यह शिकायत निराधार साबित हुई, मैं जानना चाहता हूं कि किन क्वार्टर्स से ऐसी शिकायतें आई थीं और जब वह निराधार साबित हुई तो क्या उन क्वार्टर्स को यह यह बतला दिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सामान्यतया, ये तर्क राजनैतिक प्रयोजनों के लिए काम में लाये जाते हैं ।

श्री रंगा : क्या सरकार जानती है कि यद्यपि बस्ती, गोरखपुर और बहराइच जिले अभाव क्षेत्रों के अनार्गम आते हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सहमति से वहां की सिंचाई परियोजनाएं संकटकाल का बहाना सामने रख कर स्थगित कर दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** वह सही नहीं है । माननीय सदस्य ने वहां इन परियोजनाओं की आवश्यकता के बारे में भी मुझे लिखा था । उस पर हमने ध्यान दिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम कुछ रकमें भी नियत कर रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई :** जिन नेताओं ने इन घटनाओं की तत्काल जांच पड़ताल की थी उन्होंने उनको अस्वीकार किया है । क्या माननीय मंत्री से मैं पूछ सकता हूं कि यदि वह मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई थी तो क्या वह दूषित आहार के कारण थी जिससे संबंधित व्यक्तियों की निरोध क्षमता कम हो गयी थी ?

†**श्री अ० म० थामस :** जब ये सूचनायें प्राप्त हुई थीं तब हमने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा था और उन्होंने जरूरी जांच करके यह रिपोर्ट दी थी कि वह सभी मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं वरन् प्राकृतिक कारणों से हुई थीं ।

डा० गोविन्द दास : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि जिस छत्तीसगढ़ में कभी भी फ़सलें बरबाद नहीं होती थीं, इस वर्ष बर्बाद हो गयी हैं और क्या मध्य प्रदेश की सरकार उस क्षेत्र के लिए कोई सहायता चाहती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए वह एक असाधारण वर्ष था । हमने राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वह जितनी भी संभव हो, सस्ते दाम वाली दूकानें खोल दें और उन दूकानों सम्बंधी आवश्यकता पूरी की जा चुकी है । अभी परसों हमें मध्य प्रदेश खाद्य मंत्री से एक पत्र मिला था और वे व्यवस्था से संतुष्ट थे और उन्होंने अक्तूबर के लिए १०,००० टन अनाज मांगा है । हम समझते हैं कि उनकी जरूरत पूरी की जायगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

कैरेज वैगन वर्कशाप

+

†*३०५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने माटुंगा (मध्य रेलवे) के कैरेज वैगन वर्कशाप में २१ जनवरी, १९६३ को लगी आग के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट की अंतिम रूप से कोई छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की क्या उपपत्तियां हैं और सरकार ने उस विषय में आगे क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार आग का अत्यधिक संभव कारण यह था कि डिब्बे के बाहरी रंग को गलाने की क्रिया से आग लग गयी। इस मामले में किसी गड़बड़ी या उपद्रव की संभावना की आशंका नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या समिति ने कुछ ऐसे उपायों का सुझाव दिया है जिससे ऐसी आग फिर न लगे ?

†श्री से० वें० रामस्वामी : उसने कुछ उपाय सुझाये हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : कुल कितनी हानि हुई ?

†श्री से० वें० रामस्वामी : लगभग ७,६०० रुपया।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में नैगलीजेंस के लिए अधिकारियों से कोई जवाब तलब किया गया है।

†श्री से० वें० रामस्वामी : उस समय डयूटी पर तनात एक हवलदार को जिम्मेदार ठहराया गया है।

†श्री बसुमतारी : इस अपराध के लिए कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया ?

†श्री से० वें० रामस्वामी : मैं ने बताया कि एक हवलदार को।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

भूमि बंधक बैंक

+

†*३०६. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में भूमि बंधक बैंकों की प्रगति बहुत ही धीमी रही ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी नहीं। १९६०–६१ में बैंकों ने व्यक्तियों को ११.६२ करोड़ रुपये का ऋण दिया और ३७.७४

†मूल अंग्रेज़ी में

करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे । ये आंकड़े १९६१-६२ में क्रमशः १६.०३ करोड़ रुपये और ४९.४६ करोड़ रुपये हो गये । १९६२-६३ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि ऋण देर से मिलने के कारण बहुत से किसानों को गैर सरकारी महाजनों के पास जाना पड़ता है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : कुछ शिकायतें आयी हैं कि कुछ जगहों पर भूमि बंधक बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने में देर हुई है और इन दोषों को दूर करने के लिए हम मूल्यांकन अधिकारी रखने के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं । हम इन बैंकों को मजबूत कर रहे हैं और इसलिए ऋण भी बढ़ रहा है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सरकार विभिन्न राज्यों को भेजने के लिए कुछ नमूने के नियम बना रही है ताकि उस आधार पर वे कुछ सरल नियम बना सकें जिससे लोग अपना रुपया जल्दी पा सकें ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सहकारिता के संबंध में एक आदर्श विधि है जिसमें भूमि बंधक बैंकों के लिए भी उपबन्ध शामिल हैं । इसके अलावा अखिल भारतीय भूमि बंधक बैंक संघ है जिसके सामने ये सारी कठिनाइयां उपस्थित हैं । उसकी नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं । वास्तव में अभी दो महीने पहले ही श्रीनगर में एक बैठक हुई थी । वह इन सभी मामलों पर विचार कर रहा है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** : देश के ये भूमि बंधक बैंक खेतिहरों की दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताएं कहां तक पूरी कर सकेंगे और क्या इस तरीके से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : देश की आवश्यकता अवश्य ही बहुत अधिक है । मैं नहीं जानता कि देश के सभी खेतिहरों को हम लंबी अवधि का ऋण कब तक दे सकेंगे । हो सकता है कि और दस साल लग जायें । मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से जब कि वह १९५०–५१ में १,३८,००,००० रुपया था आज १६ करोड़ रुपया है । शेष ऋण ६.५९ करोड़ रुपये था जो अब लगभग ५० करोड़ रुपया है । आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शेष ऋण १५० करोड़ रुपये और दिया गया ऋण ६० करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा ।

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या इन भूमि बंधक बैंकों के बकाया ऋण बहुत ज्यादा है ; यदि हां, तो क्या वह इन बैंकों की उदार नीति के कारण हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : बकाया ऋण अवश्य हो रहेगा लेकिन अल्पकालीन और मझली अवधि के ऋणों के मामले में इतना नहीं ।

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** : राज्य भूमि बंधक बैंक चालू किये जाने के बाद जिला भूमि बंधक बैंकों को भी कायम रखा जा रहा है और उन्हें मिलाया नहीं जा रहा है । इन बैंकों को मिलाने के मामले में सरकार की क्या नीति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : माननीय सदस्य ने जिन्हें जिला बैंक कहा है, उन प्राइमरी बैंकों को निर्माण करने और मिलाने के लिए तीसरी योजना में निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वे लक्ष्य प्राप्त किये जा रहे हैं और आवश्यक एकीकरण करवाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सफैदपोश लोगों को ज्यादा सहूलियत से कर्जा मिलता है लैंड मार्गेज़ बैंक में और जो नान-सफ़ैदपोश किसान जाते हैं, उन को बड़ी दिक्कत होती है, यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या सहूलियत पैदा कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : सहूलियत इस मे हो सकती है कि जो सफ़ैदपोश हों, उन को कर्जा न दिया जाय।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान में इतने गरीब लोग बसते हैं। अगर यही नीति रही, तो उन को कैसे सहूलियत मिलेगी?

श्री श्यामधर मिश्र : जिस हद तक रुपये की क्वान्टिटी बढ़ती जायेगी, उस हद तक अधिक लोग उस को पायेंगे। चूंकि अभी सीमित साधन हैं, इस लिए सीमित लोग ही पाते हैं इस लिए जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, वह हो सकता है। मैं इन्कार नहीं करता कि सफ़ैदपोश लोग अधिक पाते हैं, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि केवल सफ़ैदपोश लोग ही नहीं पाते हैं, बहुत से लोग पाते हैं। कम से कम पांच छः प्रदेशों में, जहां ये लैंड मार्गेज़ बैंक अच्छे हैं, अच्छा काम हो रहा है और वहां पर ग़रीबों को भी रुपया मिलता है।

†**श्री सोनावने** : ये भूमि बंधक बैंक जिस ऊंची दर से ब्याज लेते हैं क्या उस कारण किसानों के लिए पूंजी और ब्याज चुकता करना कठिन हो जाता है?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि ब्याज की दर मुश्किल से ७ से ७$^{१}/_{२}$ प्रतिशत के बीच में है।

†**श्री सोनावने** : वह ९ प्रतिशत है।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ९ प्रतिशत केवल अल्पकालीन ऋणों के संबंध में है। मैं दीर्घकालीन ऋणों के बारे में बता रहा हूं। बाजार की दरों को देखते हुए ७$^{१}/_{२}$ से ८ प्रतिशत की दर ऊंची नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सही नहीं है कि लैंड मार्गेज़ की सुविधा उसी प्रकार से सरकार ने नहीं दी है, जिस प्रकार से उद्योग मंत्रालय ने छोटे छोटे उद्योगों के लिए दी है, जिस की वजह से खेती को उपज में कमी पड़ रही है? मैं जानना चाहता हूं कि इस के लिए अधिक सुविधा कब तक सम्भव हो सकेगी।

श्री श्यामधर मिश्र : मैं तो समझता हूं कि सुविधा दी जा रही है, इसी लिए क्रेडिट बढ़ रहा है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या जिला और उप-खंडीय (सब-डिविजनल) मुख्यालयों में भूमि बंधक बैंक चालू करके यह सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं एक वक्तव्य दूंगा जिसमें सभी सुविधाओं का हवाला होगा। तीसरी योजना में ३०० से अधिक प्राइमरी बैंक और शाखाएं खोली जाने वाली हैं । रुपया दिया जा रहा है।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : अभी हाल में बसायी गयी कुछ बस्तियों में सरकार स्थायी पट्टे पर किसानों को जमीन दे रही है। चूंकि प्रविधिक दृष्टि से वे जमीनों के मालिक नहीं हैं, इस लिए वे वह जमीन भूमि बंधक बैंक के पास जमानत के तौर पर नहीं रख सकते। क्या उन्हें भी ये ऋण सुविधाएं देने का सरकार का विचार है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : इस काम को प्रोत्साहन देना भूमि बंधक बैंकों का एक काम है। अभी हाल में हमने किसानों को विशिष्ट क्षेत्रों तथा विशिष्ट वस्तुओं के लिए उनकी दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के लिए रिजर्व बैंक के अधीन कृषि पुनर्वित्त निगम नामक एक संगठन स्थापित किया है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : अब दीर्घकालीन ऋण देने में काफी देर होती है। क्या सरकार भूमि का मूल्य और किसानों को दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों का परिमाण निर्धारित करने के बारे में सोच रही है ताकि भूमि बंधक बैंक उन्हें ऋण दे सकें ? क्या सरकार भूमि का मूल्य निर्धारित करके ऋणों की वापसी में शीघ्रता करने के लिए नियमों को सरल बनाने के बारे में सोच रही है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह ठीक है कि अब भी कुछ देर हुई है। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि आवेदनपत्रों की छानबीन में कोई विलंब नहीं होता। एक कारण यह है कि २३–२४ वर्षों के कागजात जांचने में कुछ समय लगता है। अब भूमि बंधक बैंकों को यह सुझाया गया है कि सिर्फ १२ साल के कागजात देखे जायें और ऋण दे दिये जायें। इसी तरह के और भी कई सुझाव उन्हें दिये गये हैं और व उनके मुताबिक काम कर रहे हैं।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिस्टम में किसान की जो मौजूदा खड़ी हुई फसलें हैं, वे भी शामिल की जाती हैं या नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र : लैंड मार्गेज बैंक्स में लैंड शामिल की जाती है। प्राडक्शन पर्पिजिज के लिए.....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या खड़ी फसलों को भी शामिल किया जाता है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जी नहीं।

श्री कछवाय : क्या यह सच है कि काश्तकारों को पैसा मिलने में काफी समय लगता है और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ? वह समय कब आयगा, जब कि उन को आसानी से पैसा मिल सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो आ चुका है।

श्री श्यामधर मिश्र : आशा है कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं और फिर भी मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्राइमरी बैंक्स होते हैं, उन का रवैया यह है कि जो किसान कर्ज़ में रहता है, उससे केवल लैंड ही नहीं, बल्कि और भी सिक्यूरिटी ली जाती है, इस लिए बैंक फ़ेल हो रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सिक्यूरिटी उन के पास हो कर्ज़ के लिए, चाहे लैंड हो और चाहे कोई चीज़ हो, उन को कर्जा मिलना चाहिए।

भारत-स्विट्जरलैण्ड विमान करार

†*३०७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्विट्जरलैंड विमान करार में कोई परिवर्तन/रूपभेद भारत और स्विट्जरलैंड ने अभी हाल में मंजूर कर लिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले करार में क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जी हां।

(ख) भारत-स्विस विमान सेवा करार के अनुबन्ध के संबंध में रूपभेद किये गये हैं। यह भारत और स्विट्जरलैंड को नामांकित विमान कंपनियों द्वारा विमान सेवाओं के संचालन के लिए और अधिक विस्तृत तथा व्यापक मार्ग अनुसूचियों की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस करार में परिवर्तन करने के मुख्य कारण थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** १९४५ के पुराने करार के अधीन, मार्ग बहुत ही सीमित थे। अब यह व्यवस्था की गयी है कि एक ओर इंडियन एयरलाइन्स और दूसरी ओर स्विस एयरलाइन्स अधिक परिवर्तनशील मार्ग अपना सकते हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इन दोनों देशों के बीच यात्री और माल यातायात का प्रति सप्ताह औसत कितना है और इन परिवर्त्तनों के कारण सालाना कितनी अतिरिक्त आय और व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** किसी प्रत्यक्ष अतिरिक्त आय या अतिरिक्त यातायात के लिए इस करार में परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक भारत और यूरोप के बीच एयर इंडिया के यातायात का संबंध है, माननीय सदस्य वार्षिक रिपोर्ट से ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री जोकीम आलवा :** हमने एक दर्जन देशों के साथ विमान करार किये हैं। क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित एक से नियमों का पालन करते हैं या कुछ देशों के साथ सर्वाधिक निकट राष्ट्र जैसा व्यवहार करते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** ये करार द्विपक्षीय करार हैं। जहां तक मुझे याद है, कई देशों के साथ वे एक जैसे ही हैं। फिर भी कुछ छोटे मोटे ब्यौरे होते हैं जो हर देश के संबंध में अलग अलग होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

+

*३०८ श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गो० महन्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे थोक माल बेचने वाले उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को प्रोत्साहन दें ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे कितने स्टोर खोलने का विचार है ; और

(ग) इन को किस प्रकार का माल रखने की सलाह दी गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अधीन १९६३–६४ के अन्त तक २०० थोक भण्डार और ४,००० प्राथमिक भण्डार/शाखाएं गठित की जानी हैं ।

(ग) भण्डारों को सामान्यत: खाद्यान्न, कपड़े और दूसरी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं रखने की सलाह दी गई है ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि इनको जो होलसेल प्राइस पर माल दिया जाता है वह क्या उचित मूल्य पर मिल जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : बहुत सी चीज़ें तो होलसेल प्राइस पर मिल जाती हैं और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे कुछ प्राइवेट आर्गेनाइज़ेशंज़ नहीं दे रही हैं, उनके बारे में सरकार कोशिश कर रही है कि उनको दी जायें । गल्ला वगैरह और कपड़ा वगैरह उचित मूल्य पर और थोक मूल्य पर मिल जाता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इन भंडारों के लिए किसी राज सहायता की कोई व्यवस्था है; यदि हां तो किस रूप में और इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम निर्धारित की गयी है ? क्या इन भंडारों को कोई राजसहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : माल की कीमत में कोई राज सहायता नहीं है लेकिन इन सहकारी समितियों के संगठन में राज सहायता और ऋण का अंशदान अवश्य है । वह सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, दिया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणुका बडकटकी** : क्या सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियां खोलने के लिए उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन को कोई हिदायतें दी हैं, क्योंकि मारवाड़ी और दूसरे व्यापारी पिछले चीनी हमले के दौरान वहां से भाग आये हैं ? यदि हां, तो पिछले एक साल या दस ही महीने में कुल कितनी थोक अथवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार खोले गये हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मेरे पास आसाम के लिए कुल आंकड़े हैं लेकिन उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन के लिए अलग से नहीं है । पिछले वर्ष ३ थोक भंडार और ६१ प्राथमिक भंडार खोले गये हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** : सारे देश भर में प्राथमिक उपभोक्ता भंडार खोलने के बजाय क्या सरकार सारा काम देश में बढ़ती हुई विभिन्न विपणन तथा ऋण समितियों को सौंप देने की आवश्यकता पर विचार कर रही है या करने वाली है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : विपणन समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में माल बांटेगी । वास्तव में यह योजना ५०,००० से अधिक आबादी वाले शहरी इलाकों या नगरों के लिए है । इन क्षेत्रों में भी जो राज्य सारा थोक व्यापार जिला विपणन संगठनों को सौंपना चाहते थे उन्हें हमने रोका नहीं है । यह बात मद्रास तथा कुछ अन्य राज्यों के संबंध में है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी मिली है कि उपभोक्ता भंडारों को माल की सप्लाई प्राप्त करने में कड़ी कठिनाई हो रही है क्यों कि शीर्ष भंडार समय पर संगठित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इस बात के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले हम यह जान लें कि उत्तर हां है या नहीं ।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : माननीय सदस्य का आशय संभवत: थोक भंडारों से है । इस वर्ष १०२ थोक भंडार पहले ही खोले जा चुके हैं । हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि शीर्ष भंडार संगठित नहीं किये गये हैं । दूसरी ओर प्राथमिक भंडार ही संगठित नहीं किये गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उपभोक्ताओं को वस्तुओं का संभरण करने के अतिरिक्त यह विचार है कि लोगों में सहकारिता की आदत डाली जाये । अब तक केवल ३०० भांडारों का संगठन किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन भांडारों की स्थापना बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । क्या समाज के विभिन्न भागों में इसको बढ़ाने का किस प्रकार विचार है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को ३०० भांडारों के आंकड़े कहां से मिले हैं । अब तक १३८८ भांडारों का संगठन किया जा चुका है । क्या इन आंकड़ों समेत इस वर्ष के अन्त तक ४००० भांडार बना दिए जायेंगे । योजना के अनुसार ५०,००० से अधिक की आबादी वाले सभी नगरों में यह योजना लागू हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीराम गुप्त** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि राज्यों में सत्तारूढ़ दल ने भांडारों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निश्चित रूप से नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : डिफ्रेंट स्टेट्स को कितनी मनी एलाट की गई है और स्टेट्स कब तक इस मामले में सैल्फ-सफिशेंट हो जायेंगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : दस करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए रखा गया है । इस साल ६.५ करोड़ रखा गया है और पिछले साल दो करोड़ रखा गया था । दस करोड़ की यह स्कीम है ।

श्री कछवाय : क्या ऐसी कोई सूचनायें सरकार को मिली हैं कि कुछ राज्यों में इन भाण्डारों को ठीक प्रकार से माल नहीं दिया जाता है और इनको पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : ऐसी शिकायतें हैं और कुछ राज्यों में ये दिक्कतें हैं और उनको दूर करने की चेष्टा की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि भांडारों की स्थापना में भारत के पूर्वी खण्ड में राज्यों, विशेषतया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है जब कि इन भांडारों को बनाने के लिए आवश्यक सभी सुविधायें वहां पर उपलब्ध हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं तथा यदि कोई विशेष कार्यवाही सरकार कर रही है कि यह कमी दूर हो जाये ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : दुर्भाग्यवश पूर्वी राज्यों में सहकारी आन्दोलन शिथिल है तथा उपभोक्ता भांडार कार्यक्रम सहकारी आन्दोलन का ही एक अंग है । मैं स्वीकार करता हूं कि पूर्वी राज्यों में उपभोक्ता भांडार कार्यक्रम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है ।

†**श्री दाजी** : सरकार का विचार ५०००० से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगरों में यह कार्यक्रम कब तक पूरा कर लेने का है । इस लक्ष्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : योजना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के अन्त तक २०० थोक भांडार बनाये जायेंगे । संभव है यह २०० से २५० भांडार हो जाये । तथ्य यह है कि ५०,००० से अधिक की जनसंख्या वाले नगर २५० हैं । इस लिए ५०,००० से अधिक की जन संख्या वाले सभी नगरों में यह भांडार इस वर्ष बना दिए जायेंगे ।

सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

*३०९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ५ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ११ तथा १२ फरवरी, १९६३ को लखनऊ में सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में जो मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई थीं उनमें से प्रत्येक की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन जो ११ व १२ फरवरी, १९६३ को लखनऊ में हुआ था उसकी मुख्य सिफारिशों के लागू करने में जो प्रगति हुई है उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी–१५६६ / ६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस लम्बे विवरण से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों को अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अथवा राष्ट्रीय सहकारी संघ को लिख दिया गया है कि इस पर अमल किया जाय ? क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा प्रयत्न किया है या प्रयत्न करने का विचार कर रही है कि समय समय पर इसकी जांच पड़ताल की जाय कि इन सिफारिशों पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है या नहीं और कितनी प्रगति हो रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : दोनों बातें हो रही हैं । लिखना भी जरूरी था, इसलिये लिख दिया गया था । बिना लिखे हुये राज्य सरकारें कैसे जानतीं कि क्या फैसला हुआ है । इसलिये वह कर दिया गया है ।

दूसरा काम यह है कि इस की जांच पड़ताल होती रही है और इस में ९ या १० विषय लिये गये थे । सब पर फालो अप प्रोग्राम हो रहा है और पूरी कार्रवाई उस पर हो रही है ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण के सब से अन्तिम पृष्ठ पर यह बतलाया गया है कि सहकारी प्रशासन के संबंध में श्री बी० एल० मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति ने अब तक क्या प्रगति की है और कब तक वह अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : अभी हाल ही में इस समिति ने दौरा करना शुरू किया है । अभी यह लोग हैदराबाद गये थे और कुछ और स्टेट्स में जाने के बाद, जैसी की सूचना मिली है, तीन महीने में वह अपनी रिपोर्ट हमें दे देगी ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस सम्मेलन में यह समझा गया कि सहकारी आंदोलन में बहुत सरकारी हस्तक्षेप था । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह जानने के लिये क्या कार्यवाही की है कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : स्वयं सम्मेलन ने भी सरकारी हस्तक्षेप को कम करने पर बल दिया है । तथा हमने स्वयं ही मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत की है और कहा है कि जहां कहीं भी सरकारी कर्मचारी, सभापति अथवा पदधारि हों उनको इन पदों से हट जाना चाहिये और हम प्रत्येक राज्य से इस निर्णय की क्रियान्विति करने को कह रहे हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मीनाबकम में स्काटिश इण्टरनेशनल एयरवेज के विमान में चीनी सैनिक अधिकारी

+

१. **श्री बड़े**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६३ के दूसरे सप्ताह में मीनाबकम हवाई अड्डे पर स्काटिश इन्टरनेशनल एयरवेज का जो विमान उतरा था, उसमें चीनी सैनिक अधिकारी थे ;

(ख) क्या वे चीनी सैनिक अधिकारी पेंकिंग से कराची जा रहे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि जब विमान में पैट्रोल भरा जा रहा था तब यात्रियों को विमान के भीतर ही रहने दिया गया, जो नियम के विरुद्ध था ; और

(घ) चीनी सैनिक अधिकारियों को ले जाने वाले उस विमान को पेंकिंग से भारत होकर कराची जाने की अनुमति क्यों दी गई विशेष रूप से जब कि चीन और पाकिस्तान दोनों के बीच सांठ-गांठ चल रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कैलेडोनियन एयरवेज (स्कोटिश) का डी सी–७ विमान लन्दन (गारविक) को अन-अनुसूचित उड़ान कर रहा था । क्योंकि विमान अन-अनुसूचित उड़ान पर था इसलिये उसको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ९/१० अगस्त, १९६३ को मद्रास तथा बम्बई होकर उड़ने की अनुमति दे दी गई थी । यह मीनाब्म हवाई अड्डा मद्रास में ११.४० बजे (उपरोक्त मान समय) उतरा तथा उसी दिन १३.१० बजे वहां से उड़ गया । उसकी रुकने की दूसरी जगह कराची थी । बताया जाता है कि विमान में सात विमान कर्मचारी थे तथा ११ यात्री, सभी असैनिक वर्दी थे । दस यात्री गारविक (ब्रिटेन) के लिये थे तथा एक इस्तंबोल (तुर्की) के लिये था । सीमा शुल्क अधिकारियों तथा एयर इंडिया कर्मचारियों से जांच करने पर पता लगा कि यात्री चीनी उद्भव के सिंगापुर राष्ट्रजन थे । सीमा शुल्क विभाग के प्रिवेन्टिव अफसर ने यात्री तथा माल की जांच की तथा उनके पास उनको कोई हथियार अथवा गोला बारूद नहीं मिला । हवाई अड्डे पर विमान को तेल नहीं दिया गया । वहां पर विमान रुकने की अवधि में सीमा शुल्क अधिकारी उनको विश्राम स्थान पर ले गये थे ।

श्री बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि जब चाइनीज नैशनल उस में थे तब विमान की रिफिलिंग करने के समय उनको नीचे क्यों निकाला गया ?

श्री मुहीउद्दीन : स्टेटमेंट में कतई तौर पर यह कहा गया है कि जितने पैसेंजर थे वह उतर कर जो इंटरनेशनल लाउन्ज होता है वहां जाकर बैठे थे । दूसरी बात भी इस में अर्ज की गई है कि रिफिलिंग नहीं हुआ ।

श्री बड़े : क्या यह बात सत्य है कि एअरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार यह नियम बनाया गया है कि

> "कोई भी व्यक्ति जो कभी भी चीनी गणतंत्र का राष्ट्रजन रहा हो, भारत के ऊपर से नहीं उड़ान कर सकता है ।"

जब इस तरह का नियम एअर क्राफ्ट एक्ट के अन्तर्गत बना हुआ है तब फिर चाइनीज पर्सोनेल को यहां जाने क्यों दिया गया ?

श्री मुहीउद्दीन : इस किस्म का कानून एअरक्राफ्ट एक्ट की तहत तो आ नहीं सकता है । लेकिन बहरहाल जो इत्तला हमको मिली है उस के मुताबिक यह लोग चाइनीज ओरिजिन के तो हैं, लेकिन सिंगापुर के नेशनल्स हैं ।

---

†भाषा अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि उनके पास कैमरे थे तथा कर्मचारियों ने उनके कैमरे अपने कब्जे में कर लिये थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरी जानकारी के अनुसार यात्रियों तथा कर्मचारियों के पास कैमरे नहीं थे ।

†**श्री रंगा** : जैसे उनके पास जानकारी लेने के और कोई तरीके नहीं थे ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारा पाकिस्तान से संघर्ष चल रहा है तो यह सारी बातें ध्यान में रखते हुये क्या हम ने इसके विरोध में कोई कड़ी कार्रवाई करने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे ही दिया गया है कि वे सिंगापुर से आये थे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह बात सही है कि इन लोगों ने सर्च देने से इनकार किया ?

श्री मुहीउद्दीन : यहां सर्च करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, लेकिन यह भी सही नहीं है, इसलिये कि जो हेल्थ आफिसर्स थे उन्होंने उनको देखा से त की प्वाइंट आफ व्यू से, फिर जब गुजरते हैं तो कस्टम्स वाले जो होते हैं उन्होंने देखा कि उनके पास कोई सामान नहीं है । तीसरी चीज जो मैंने बयान की है व है सिक्योरिटी आफिसर का हवाई जहाज पर जाकर एहतियात करना ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने भारत से होकर पेकिंग से कराची को सीधी वाणिज्यिक उड़ान करने की सुविधा दी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह विमान पेकिंग से नहीं आया था, यह सिंगापुर से आया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा प्रश्न यह नहीं था । यदि भारत होकर चीन तथा पाकिस्तान के बीच वाणिज्यिक उड़ान की अनुमति होगी तो भविष्य में पुनः ऐसी घटना हो सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग प्रश्न है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री जानते हैं कि यह अन- अनुसूचित उड़ान करने वालों के विमान घूमने फिरने वाले विमान जैसे होते हैं । इस विमान को बम्बई, मद्रास रुकने की अनुमति क्यों दी गयी थी ? क्या सरकार ने ऐसे आदेश दे दिये हैं कि जब ऐसे यात्री हमारे देश से गुजरें तब हमें उनके आने से पहले सूचित किया जाना चाहिये ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : आई सी ए ओ नियम हैं । अन-अनुसूचित विमानों को भारत पर उड़ते समय कम से कम एक स्थान पर रुकना पड़ता है । यह नियम हैं और इस प्रकार वह बिना सूचना के नहीं उड़ सकते हैं ।

यात्री आदि के बारे में प्रश्न एक अलग प्रश्न है । क्या उस पर अलग से विचार होगा ?

†**श्री नाथ पाई** : भारत होकर चीन की ओर उड़ने वाले विमानों के क्या नियम तथा विनियम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभी सदस्यों को दिये गये पत्रों में होंगे ।

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न अनिश्चितता के कारण उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय संक्षेप में बता सकते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय स्थिति यह है कि अनुसूचित एयर लाइनें जिनके साथ भारत का एयर लाइन करार है केवल भारत से उड़ान कर सकती हैं। इस समय भारत होकर चीन उड़ान करने के बारे में कोई करार नहीं है ।

†**श्री बड़े** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : कृपा करके क्षमा करें ।

†**श्री बड़े** : उन्होंने ठीक उत्तर नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महादय** : अगर ऐसा है तो मुझे लिखें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये 'कैरेवेल विमान'

†*३१०. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ज० ब० सिंह० बिष्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से खरीदे जाने वाले तीन कैरेवल जट विमान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा ट्रंक मार्गों पर चलाये जायेंग ; और

(ख) उनकी खरीद में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :(क) १९६४ क पहले तीन महीनों में ।

(ख) ५७१·१० लाख रुपये ।

मूल्य उतार चढ़ाव निधि

†*३११. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी विपणन संस्थाओं द्वारा खेती की पैदावार की सीधी

---

†मूल अंग्रेजी में

खरीद के लिये एक विशेष मूल्य उतार चढ़ाव निधि बनाने के लिये राज्य सहकार मंत्रियों द्वारा रखे गये प्रस्ताव का सरकार समर्थन करती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का अंशदान कितना है और प्रस्तावित निधि किस प्रकार बनायी जायगी ;

(ग) क्या ग्रामीण ऋण संस्थाओं के जरिये खेती की पैदावार खरीदने के लिये प्राथमिक विपणन संस्थाओं और उच्चस्तरीय संस्थाओं का उपयोग करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे लाभहानि में बराबर बराबर हाथ बटायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम विशेष मूल्य उतार चढ़ाव निधि बनाने तथा उसको लागू करने के ब्योरे पर विचार कर रहा है ।

देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर)

*३१२. **श्री म० ला० द्विवदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये कब तक प्रयोग में आने लगेंगे ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) हिन्दी टेलीप्रिंटरों के निर्माण का आरम्भिक काम अब शुरू कर दिया गया है और हिन्दी टेलीप्रिंटर १९६५ के आखीर तक बनाये जाने लगेंगे ।

(ख) यह उम्मीद की जाती है कि आंशिक निर्माण और जुड़ाई (पार्शियल मैनुफैक्चर एंड एसेम्बली) के आधार पर बने हुए भारतीय माडेल, १९६५ तक इस्तेमाल में आने लगेंगे ।

(ग) कोई देरी नहीं हुई है ।

खाद्य उत्पादन

†*३१३. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में पश्चिमी बंगाल के खाद्य उत्पादन के लक्ष्य का पुनरीक्षण कर

---

†मूल अंग्रेजी में

के उसमें काफी कमी की जाने वाली है ;

(ख) क्या तीसरी योजना के अन्त तक राज्य में पर्याप्त खाद्य उपलब्ध करने का लक्ष्य छोड़ दिया गया है ; और

(ग) क्या केन्द्र इस आधार पर धन का पुनः आवंटन करेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल में तीसरी योजना काल के अन्त तक खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता न आ पाये परन्तु आशा है कि खाद्य उत्पादन लगभग १४ लाख टन हो जाये।

(ग) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना के लिये धन का पुनः आवंटन करने का राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

नारियल का तेल सम्बंधी जालसाजी

†*३१४. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने पता लगाया है कि त्रिवेन्द्रम के निर्यातकर्त्ता तेल के बजाय पानी से भरे डिब्बों को भेजकर नारियल का तेल खरीदने वालों के साथ जालसाजी कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ रेलवे अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है ; और

(ग) जालसाजी की इन कार्यवाहियों का पता लगाने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं और इस व्यापार का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिये क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्यपालन निगम

†*३१५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एक अमरीकी फर्म के सहयोग से एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन निगम बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो फर्म के साथ क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) निगम के कब तक बनने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (डा० अ० मा० थामस): (क) से (ग) जी हां। भारतीय मत्स्यपालन निगम बनाने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। इस व्यापार

---

†मूल अंग्रेजी में

में लगी हुई अमरीका की एक मार्थ, जो इसमें सहायता देना चाहती है, वे आरम्भिक सर्वेक्षण करने के लिये तथा आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने के लिये २ से ३ दल इस देश में भेजे हैं। भारत सरकार इस कर्म के प्रतिवेदन तथा उसमें सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है। उपरोक्त प्रतिवेदन मिल जाने के तथा सरकार द्वारा जांच हो जाने के बाद सहयोग की शर्तें तथा निगम स्थापित होने की तारीख के ब्योरों आदि पर विचार होगा।

"एयर इण्डिया" की विमान सेवाएं

†*३१६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६४ के आरम्भ से "एयर इंडिया" दो दैनिक "राउण्डरोबिन सर्विस" बम्बई दिल्ली-कलकत्ता बम्बई तथा बम्बई-कलकत्ता-दिल्ली-बम्बई चालू कर सकेगी ;

(ख) "बोइंग" विमानों की अनुपयुक्त क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है; और

(ग) इस अनुपयुक्त क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण कितनी वित्तीय हानि हो रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) से (ग). एयर इंडिया ने बताया है कि १९६४ के मध्य से, जब उनको सातवां बोइंग विमान मिल जायगा तब बम्बई तथा दिल्ली के बीच वर्तमान प्रतिदिन की बोइंग सेवा के अतिरिक्त देश के मार्गों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ा दी जायेगी यदि अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर विस्तार न करना पड़ा तो।

पश्चिमी खाद्य क्षेत्र

†*३१७. { **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों ने पश्चिमी खाद्य क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्यान्नों विशेषकर चावल और गेहूं के आने जाने के नियमों को और ढीला बनाने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में और परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) अब इसका ढांचा क्या होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस** (क) जी नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक

†*३१८. श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ब० बा० गांधी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों ने २९ जून, १९६३ को दो विमान उड़ाने से मना कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और भविष्य में ऐसी स्थिति न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन (क) और (ख). क्योंकि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के दोनों वाइकाउन्ट विमान जिनको उड़ान करनी थी, में रडार नहीं लगे थे इसलिये विमान चालकों ने २९ जून, १९६३ को उन्हें उड़ाने से इन्कार कर दिया था। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के सभी वाइकाउन्ट विमानों में अब रडार उपकरण लगा दिये गये हैं ?

गुड़ तथा खंडसारी के मूल्य

३१९. **श्री राम सेवक यादव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो तीन महीनों में गुड़ और खंडसारी के भाव बहुत बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भावों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) यह इन वस्तुओं की खपत बढ़ जाने और मांग की तुलना में अपर्याप्त संभरण के कारण हुआ है। यह असन्तुलन हाल ही के महीनों में शर्करा उत्पादन में कमी हो जाने के कारण बढ़ गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि गुड़ और खंडसारी के थोक व्यापारियों की गति-विधियों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से उन्हें लाइसेंस देवें। खंडसारी के अन्तर्राज्य वहन का नियमन करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं। गुड़ और खंडसारी के नियमन के उपायों पर तेजी से विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी उद्योग का गन्ना पेरने का मौसम

†*३२०. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

†क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग से कहा है कि गन्ना पेरने का मौसम लगभग एक महीने पहले शुरू कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग ने यह बात मान ली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक्सप्रैस पत्र

†*३२१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार सर्किलों के मुख्य अधिकारियों के हाल में ही हुये सम्मेलन में एक्स-प्रेस पत्रों के बांटने में विलम्ब की बराबर जारी रहने वाली समस्या पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पत्रों के शीघ्र बांटे जाने के लिये कोई नये उपाय निकाले गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** (क) जी हां।

(ख) ये विचाराधीन है ।

नेपाली चावल का आयात

†*३२३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने बिहार सरकार को परामर्श दिया है कि नेपाल से चावल के आयात के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों को परमिट दिये जायें; जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त शर्तों पर बिहार सरकार द्वारा परिवहन अनुमति पत्र जारी किये जा रहे हैं।

एक राज्य के किसानों को दूसरे राज्य में बसाने की योजना

†*३२४. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है कि एक राज्य के किसानों को दूसरे राज्य में बसाने की योजना के अधीन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के किसान परिवारों को बसाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को बसाया जायेगा ; और

(ग) किन राज्यों ने किसानों के परिवारों को मध्य प्रदेश भेजना स्वीकार कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) से (ग). जी नहीं। सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा बनाई गई 'एक्सचेंज आफ फारमर्स' योजना में ऐसी व्यवस्था है कि एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा राज्य एक से दूसरे में थोड़ी अवधि के लिये किसानों को बसाया जाये जिससे वह अनुभवी किसानों से उत्तम कृषि तकनीकी तथा प्राकृतिक स्थापित रूप से किसानों को बसाने के बारे में कभी भी विचार नहीं किया गया था। राष्ट्रीय आपात के कारण योजना को अस्थगित कर दिया गया है।

भारत-अमरीकी नौवहन सेवा

†*३२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नौवहन निगम ने हाल में ही नई भारत-अमरीकी सेवा चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो जहाज कितनी बार आते जाते हैं ; और

(ग) इस मार्ग पर कितने जहाज चलाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज हादुर)** : (क) जी हां।

(ख) मासिक।

(ग) पांच।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर

†*३२६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ जाने वाली पार्सल एक्सप्रैस, जो गोरखपुर से आ रही थी ? १ जून, १९६३ को डालीगंज के 'लेवल क्रासिंग' पर एक ट्रक से टकरा गई और इस टक्कर से ट्रक चूर-चूर हो गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्रक में सवार तेरह के तेरह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये और उनमें से कुछ की अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई ;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों तथा घायल हुए व्यक्तियों को अनुग्रहात कोई धन दिया गया है ; और

(घ) क्या कोई जांच की गई है तथा यदि हां तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी** (क) जी हां ।

(ख) ट्रक में बैठे जिन व्यक्तियों को गहरी चोट आईं जिनमें से अस्पताल में पांच मर गये । शेष सात व्यक्तियों को कम चोट आईं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां । जांच समिति के अनुसार दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की ग़लती से हुई थी तथा लैवल क्रासिंग पार करते समय मोटर ट्रक का ड्राइवर भी सतर्क तथा सावधान नहीं था ।

विकलांग विमान चालकों को पुनः रोज़गार दिया जाना

†*३२७. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कजरोलकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकलांग विमान चालकों को पुनः रोज़गार दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संस्था से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) :** (क) और (इ). इण्डियन एयरलाइन्स तथा इंडियन कमर्शियल पाइलट्स एसोसियेशन के प्रबन्धकों के बीच मार्च १९६३ में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हुए एक करार के अनुसार निगम को पाइलट द्वारा लाइसेंस खोये जाने के लिए बीमा कम्पनी को वार्षिक १.०० लाख रुपये से अधिक अंशदान करना होता है। निगम यह अंशदान करने को तैयार था परन्तु इंडियन कमर्शियल पाइलट एसोसियेशन ने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला कि जिससे एसोसियशन इस धन को ले सके। इसके अतिरिक्त इंडियन कमर्शियल पाइलट एसोसियेशन ने निगम से कहा है कि किसी पाइलट के मैडिकली ठीक न होने पर निगम उसको ९०,००० रुपया बिना आयकर के देना स्वीकार करें। समझौता करने के लिए निगम ने स्वीकार किया कि अंशदान २.२५ लाख रुपया कर दिया जायेगा परन्तु इंडियन कमर्शियल पाइलट एसोसिएशन ने इसको अस्वीकार कर दिया। निगम ने यह वैकल्पिक प्रस्ताव रखा था कि उसको भी इंडियन कमर्शियल पाइलट एसोसिऐशन ने अस्वीकार कर दिया था और कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह हड़ताल कर देंगे। इसके ३० दिन समाप्त हो जाने के बाद ६ जुलाई १९६३ को उन्होंने निगम को एक पत्र भेजा था जिसमें इंडियन चैम्बर्स पाइलट एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यपालिका द्वारा पारित दो संकल्प थे। निगम के प्रबन्ध ने एक अस्थाई समझौता किया है जिसके आधार पर मडिकली असमर्थ पाइलटों का पुनर्वास करना है तथा इसी आधार पर उन्होंने हड़ताल नहीं की। परन्तु इस करार को बोर्ड तथा सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस करार को बोर्ड की ५ अगस्त, ६३ की बैठक में रखा और बोर्ड ने प्रस्तावों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है परन्तु कुछ सुझाव भी दिये हैं। इन सुझावों पर इंडियन कमर्शियल पाइलट एसोसिएशन ने अपनी १६ अगस्त, १९६३ की बैठक में विचार किया था। अभी बातचीत हो रही है।

रेलवे दुर्घटनायें

†*३२८. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने दुर्घटनाओं को कम करने की दृष्टि से रेलवे कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की एक नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस काम के लिए सुरक्षा संगठन स्थापित किए गए हैं।

(ख) इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि रेलवे कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से तथा इकट्ठा करके अपील तथा पत्रिकाओं, फिल्मों, पोस्टरों, नारों तथा गोष्ठियों आदि के द्वारा शिक्षित किया जाय। जिससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़े। इसके अतिरिक्त रेलवे दुर्घटना समिति, १९६२ की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में ये संगठन विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड

†*३२९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६३ में काश्मीर में हुई केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड ने अपनी बैठक में क्या निर्णय किये हैं ; और

(ख) देश की वन सम्पत्ति बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी--१५६७/६२]

उप-डाकघरों की क्रमोन्नति[1]

†९०७. श्री जेना : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुछ उप-डाकघरों की मुख्य डाकघरों में क्रमोन्नति करने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उप-डाकघरों के नाम क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) ढेकानल, फूलबनी, भजानगर और भद्रक ।

कलकत्ता और मद्रास के बीच दुहरी रेलवे लाइन

†९०८. श्री जेना : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और मद्रास के बीच दुहरी रेलवे लाइन बनान का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

†रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । वह गुडर और गुम्मीडिपुंडी और (२) विजयवाड़ा और निडाडवोलु के बीच के विभागों को छोड़ कर, जहां दूसरे रास्त हैं सारी लाइन को दुहरा करने का विचार है ।

(ख) जी हां ।

(ग) १९६८ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Upgrading of Sub-Post offices

उड़ीसा में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कल

†९०९. **श्री जेना :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को सामान्य शिक्षा देने के लिए रेलव विभाग के कितने स्कूल हैं ; और

(ख) इन स्कूलों में किस श्रेणी तक शिक्षा दी जाती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १७ ।

(ख)	हाई स्कूल स्टैंडर्ड . . .	१
	प्राथमिक स्टैंडर्ड . . .	४
	निम्न प्राथमिक . . .	१२
	योग	१७

उड़ीसा में रेलवे स्टेशन

†९१०. **श्री जेना :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों को उड़ीसा राज्य में कुछ रेलवे के स्टेशनों के नाम बदलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके वर्तमान नाम;

(ग) लम्बित प्रार्थनापत्रों पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा; और

(घ) रेलवे स्टेशन के नाम को किस आधार पर बदला जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वमी) :**(क) जी हां ।

(ख) (१) बालीकुडा ।
(२) मंजूरी रोड ।
(३) कपिलास रोड ।

(ग) और (घ). रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने में रेलवे प्रशासन राज्य सरकारों की सलाह पर चलते हैं और परिवर्तन स्वीकार करते हुए यह देखा जाता है कि वे वर्तमान स्टेशनों के नाम से मिलते जुलते न हो और उनके पास के ग्राम या शहरों के नामों से संगत हों । भाग (ख) में उल्लिखित स्टेशनों के नामों के बारे में उड़ीसा सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कुम्भीरग्राम और मोहनबाड़ी 'टर्मिनल इमारतें'

†९११. **श्री रामसहाय पाण्डेय:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कुम्भीरग्राम और मोहनबाड़ी में 'टर्मिनल' इमारतों का निर्माण समाप्त कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उनका प्रयोग किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) 'कन्ट्रोल टावर्स' को छोड़ कर 'टर्मिनल' इमारतें बना ली गई हैं।

(ख) जी हां।

तम्बाकू की खेती

†६१२. श्री राम चन्द्र उलाका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में उड़ीसा में तम्बाकू उत्पादन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). १९६२-६३ में ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये विकास अनुदानों में से उड़ीसा सरकार ने तम्बाकू की खेती पर कितना खर्च किया है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है और सभापटल पर रख दी जायेगी ?

अयस्कों का परिवहन

†६१३. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६२ से जुलाई १९६३ तक की अवधि में कलकत्ता से खनिज अयस्कों के परिवहन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) खनन उद्योग की कुल मांग उस अवधि में ;

(ग) इस समय कितना लौह अयस्क उड़ीसा के विभिन्न स्टेशनों पर परिवहन के लिए पड़ा हुआ है ; और

(घ) रेलवे को इसे ले जाने के लिए कितना समय लगेगा ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) खनिज और मैंगनीज अयस्क को रेल द्वारा ले जाने के लक्ष्य जुलाई से जून तक निर्धारित किये जाने हैं। जुलाई ६२ से जून ६३ तक की अवधि में कलकत्ता से निर्यात के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये थे :

लाख टनों में

क्षेत्र	पत्तन को	परिमाण लौह अयस्क	मैंगनीज अयस्क
बाराजमाडा	के० पी० डाक्स	५.००	१.५०
बादामपहाड़	,, ,,	.५०	शून्य
जाजपुर-कियोंझार	,, ,,	३.००	शून्य
	योग	८.५०	१.५०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल २३,९७६ डिब्बे लोह अयस्क से और ३४४७ डिब्बे मैंगनीज़ अयस्क से लादे गये थे।

(ग) ठीक ठीक परिणाम मालूम नहीं है, किन्तु जून ६३ के अन्तिम दिन पर बाकी मांग ९५ डिब्बे लोह अयस्क की और १२ डिब्बे मैंगनीज़ अयस्क की थी।

(घ) उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेजने वाले स्टेशनों पर बाकी मांगों का कोई संचय नहीं हुआ।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

†९१४. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा में कितने टेलीफोन केन्द्र खोले गये ;

(ख) क्या सरकार ने शेष ४२ केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितने टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) दो।

(ख) जी हां।

(ग) अतिरिक्त ६।

डिंगवाही स्टेशन

†९१५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांदा-मनिकपुर लाइन पर डिंगवाही स्टेशन को पुनः खोलने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) डिंगवाही स्टेशन को खोलने का निर्णय किया गया है और मध्य रेलवे आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर प्लेटफार्म

†९१६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर कितने प्लेटफार्म आश्रय बनाये

---

†मल अंग्रेजी में

जायेंगे ; और

(ख) इसके लिए कितने रुपये की मंजूरी दी गई है ;

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३७ बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) ४·१६ रुपये खर्च होने की संभावना है।

राजस्थान में डाक और तारघर

†६१७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तीसरी योजना में अब तक कितने डाकघर, टेलीफोन केन्द्र सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और तारघर खोले गये हैं ; और

(ख) १९६३-६४ और १९६४-६५ में ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

	३०-३-६३ तक तीसरी योजना में खोले गये की संख्या	१९६३-६४ की शेष अवधि १-७-६३ से ३१-३-६४ तक	१९६४-६५ में
डाकघर	१४१०	३७९	३८०
टेलीफोन केन्द्र .	१५	२१	११
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय .	३२	३१	१८
तारघर . . .	१९	२१	१९

नोट : सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलना सामान की उपलब्धता पर निर्भर है।

टेलीफोन के कनैक्शन

†६१८. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ से ३० जून, १९६३ तक कटक शहर और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और लम्बित हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६१ से ३० जून, १९६२ तक इन स्थानों पर कुल कितने कनैक्शन दिये गये ; और

(ग) कनैक्शनों को शीघ्रता से देने के लिए क्या क्या पग उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) १-१-६१ से ३०-६-६३ तक की अवधि में

	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	लम्बित
कटक . .	५२५	२३०
भुवनेश्वर . . .	४२९	१३०

(ख) १-१-६१ से ३०-६-६३ तक की अवधि में निम्न कनैक्शन दिये गये :

कटक	२९५
भुवनेश्वर	२९९

(ग) केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और अतिरिक्त तार लगाये जा रहे हैं ।

भद्रक और राजा अट्टागढ़ के बीच रेलवे लाइन

†९१९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण उत्तर रेलवे के अन्तर्गत मद्रास से राजा अट्टागढ़ के बीच एक दोहरी लाइन के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा ; और

(ग) काम कब शुरू होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण पूर्वी रेलवे के पूर्वी तट विभाग को दोहरा करने के सम्बन्ध में भद्रक-नेरगुन्डी विभाग को दोहरा करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है। प्रतिवेदन के अध्ययन के बाद भद्रक और कपिलास रोड के बीच, जेतापुर और हरिदासपुर की लाइन को जोड़ने के साथ, लाइन दोहरा करने की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) आगामी कार्य के मौसम ने काम लिये जाने की संभावना है।

रेलवे सामान का आयात

†९२०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न वस्तुओं के सम्बन्ध में १९६२-६३ में आयातों की मात्रा तथा मूल्य क्या थे ;

(१) इस्पात रेल (बढ़ी लाइन, मीटर गेज और अन्य)

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) इस्पात स्लीपर सामान

(३) लकड़ी के स्लीपर, और

(४) भाप के इञ्जन (बड़ी लाइन के, मीटर गेज और अन्य)

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (१)

		मात्रा जिस का आदेश दिया गया	मूल्य लाखों में
		मीट्रिक टन	
इस्पात रेल	बड़ी लाइन १३१ पौंड	२६,०००	१४०·४००
	बड़ी लाइन १०५ पौंड	७०,०००	३५१·१६७
	मीटरगेज ६० पौंड	१०४,०००	५०४·६४२

भारतीय रेलों की कुल आवश्यकता का ५६% (टनों में) भारतीय उत्पादन से था। कमी को दूर करने के लिए आयात किये गये थे।

(२) (क)	इस्पात लाइन स्लीपर	शून्य	शून्य
(ख)	टर्न आउट स्लीपर सेट बनाने के लिए इस्पात क्रासिंग स्लीपर बार		
		एल टन	
	बड़ी लाइन	४,६५२·८०	२२·६१८
	मीटर गेज	१०,५५६·३०	४६.८२१
(३) (क)	लकड़ी के लाइन स्लीपर	शून्य	शून्य
(ख)	लकड़ी के विशिष्ट	शून्य किन्तु १६६१ के आदेशों के अधीन ५,७७,०५७ क्यूबिक फीट प्राप्त हुए थे।	६०·२६०
(४)	भाप के इञ्जन	शून्य	शून्य

नोट: मद (१) और (२) के सम्बन्ध में मात्रा आदेशों की है और आयात किये हुए माल की नहीं।

केन्द्रीय सड़क निधि

†६२१. **श्री रामचन्द्र मलिक**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा की सड़क विकास योजनाओं के लिए मार्च, १६६३ तक केन्द्रीय सड़क निधि में से कितना अनुदान दिया गया है?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उड़ीसा में सड़क विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से, १९२९ में इस निधि के स्थापित किये जाने के बाद ३१ मार्च, १९६३ तक, २२१·५९ लाख रुपये (१३८·८८ लाख रुपये केन्द्रीय सड़क निधि के आवंटन में से और ८२·७१ लाख रुपया केन्द्रीय सड़क निधि के सामान्य रक्षित धन में से) मंजूर की गई है। ३१ मार्च, १९६३ तक राज्य सरकार ने १२३·३६ लाख रुपये (५९·७८ लाख आवंटनों से और ६३·५८ लाख सामान्य रक्षित धन में से) का उपयोग किया है।

उड़ीसा में नलकूप

†१२२. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में केन्द्रीय नलकूप संगठन द्वारा उड़ीसा में कितने नलकूप खोदने का विचार है ; और

(ख) वे कहां पर खोदे जायेंगे और १९६३-६४ में इन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख) परीक्षणात्मक नलकूप संगठन द्वारा कुल २४ सुराख किये गये हैं। इन में ४,१९६२-६३ में छोड़ दिये गये थे, क्योंकि पानी कम निकलता था। जिनमें से पानी अधिक निकलता है, उत्पादन नलकूपों में परिवर्तित किये गये हैं और राज्य सरकार को दे दिये गये हैं। सारे कार्य के कुल खर्च का अनुमान ९·०० लाख रुपये है। यह परीक्षणात्मक सुराख मयूरभंज, बालासोर, कटक और पुरी के जिलों में किये जा रहे हैं।

रेलवे इंजन

†१२३. **श्री सेझियान** : क्या **रेलवे** मंत्री निम्न खंडवार ब्योरा देंगे कि :

(क) कितने रेलवे इंजनों में स्पीडोमीटर लग हुए हैं ;

(ख) कितने इंजनों में स्पीडोमीटर लगाये जाने हैं ; और

(ग) ३१ मार्च, १९६४ तक कितने इंजनों में स्पीडोमीटर लगाये जाने हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) यात्री सेवाओं वाले कुल ११९९ इंजनों में स्पीडोमीटर/इंडीकेटर लगाये गये हैं जैसाकि विवरण (क) में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १५६८ / ६३]**

(ख) यात्री गाड़ियों वाले १८६५ इंजनों में स्पीडो रिकार्डर/इंडीकेटर अभी लगाये जाने हैं, जैसाकि विवरण (ख) में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १५६८ / ६३]**

(ग) ३१ मार्च, १९६४ तक यात्री गाड़ी वाले ७४८ इंजनों में स्पीड रिकार्डर/इंडीकेटर लगाने की आशा है, जैसाकि परिशिष्ट (ग) में दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य जमा योजना के लिए डाक कर्मचारी

†६२४. **श्री सेझियान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत रुपया इकट्ठा करने के प्रबन्ध के लिए डाक तार विभाग के बारे में (खंडवार) निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) मंजूर किये गये अतिरिक्त पदों की संख्या

(ख) नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या

(ग) (क) और (ख) में अतिरिक्त कर्मचारियों को दिये जाने वाले कुल वेतन और भत्त ;

(घ) लेखन सामग्री, डाक टिकट और अन्य पदों पर खर्च ।

(ङ) विभाग को इस योजना के अन्तर्गत कुल कितना अतिरिक्त मासिक व्यय करना पड़ेगा ।

(च) क्या अतिरिक्त खर्च डाक व तार विभाग को पुन: दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १५६६ / ६३]**

(च) जी हां ।

गन्ने की खेती

†६२५. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में उड़ीसा सरकार को गन्ना की खेती के सुधार के लिये कोई ऋण या अनुदान दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस का विस्तार ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख) १९६२-६३ में उड़ीसा सरकार को उन की गन्ना अनुसंधान योजना के लिए २५ हजार रुपये और १९६३-६४ के आयव्ययक में ३५००० रु० की व्यवस्था की गई है । तीसरी योजना से विकास योजनाओं के संबंध में योजनावार कोई अलग अनुदान नहीं मंजूर किया जाता । तथापि १९६२-६३ में कृषि विकास योजनाओं, जिस में गन्ना विकास भी सम्मिलित है, २६.०४ लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई है ।

फतुहा–इस्लामपुर रेलवे कम्पनी लिमिटेड

९२६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कं० लि० को जो पट्टा दिया गया है उस की मुख्य बात क्या है ;

(ख) वर्तमान पट्टा कब समाप्त होगा ;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने पुन: पट्टे की अवधि बढ़ाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण साथ नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १५७० / ६३]**

फतुहा–इस्लामपुर लाइट रेलवे

९२७. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फतु ा-इस्लामपुर लाइट रेलव के कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पटसन की पैदावार

†९२८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन कृषि गवेषणा संस्था ने प्रति एकड़ पटसन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसी सस्ते तरीका का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस तरीके को किसानों में लोकप्रिय बानाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) पटसन की अधिक पैदा होने वाली किस्म तथा कृषि का व्यय कम करने वाली किस्मों के विकास के साथ साथ पटसन कृषि गवेषणा संस्था ने छोट पैमाने पर प्रयोग करने के बाद यह पता लगाया कि यूरिया से प्राप्त नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी फोलियर प्रणाली से प्रयोग करने के पश्चात् नाइट्रोजन की पूरी मात्रा के बराबर प्रभावशाली होती है । अब इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग) (१) पटसन उगाने वाल राज्यों की सरकारों से यह कहा गया है कि वह किसानों के खेतों तथा सरकारी फार्मों में यूरिया का फोलियर प्रणाली द्वारा प्रयोग करें ।

(२) प्रगतिशील किसानों के खतों में भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ।

सिक्किम में डाक तथा तार सेवायें

†९२९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने सिक्किम में डाक तथा तार विभाग खोलने की एक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने डाक तथा तार कार्यालय खोले जायेंगे ;

(ग) इन में अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) १३ डाकघर

४ तारघर

अनावर्ती रु० १०३८६७

आवर्ती रु० २४७३१ वार्षिक

(घ) जैसीकि भारत तथा सिक्किम के बीच हुई संधि में व्यवस्था की गयी है ।

पैराम्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना

†९३०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाना ने विश्व उत्पादन का रेकार्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रेकार्ड क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल तट पर प्रकाशस्तम्भ

†९३१. **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल तट पर नये प्रकाशस्तम्भ बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रकाशस्तम्भ बनाये जायेंगे ; और

(ग) ये प्रकाशस्तम्भ किन किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग) केरल के तट पर त्रिवेन्द्रम, पोन्नानी और माउन्ट डेल्ली में प्रकाश स्तम्भ बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ।

लाख का उत्पादन

†९३२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में लाख उत्पादन की एकीकृत कार्यक्रम आरम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां तो कितनी योजनायें आरम्भ की जा रही हैं ।

(ग) उक्त राज्यों में इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से क्षेत्र छांटे गये हैं ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) केन्द्रीय सरकार के पास बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में १४ लाख फार्म संचालित करने की एकीकृत योजना है। कई राज्य सरकारें अपने लाख फार्म चला रही हैं।

(ख) एक केन्द्रीय एकीकृत योजना है।

(ग) क्षेत्र इस प्रकार हैं :

राज्य का नाम	जिले
(१) बिहार .	१. पालामाऊ २. गया ३. हजारी बाग
(२) उड़ीसा	मयूरभंज
(३) पश्चिम बंगाल .	पुरलिया
(४) मध्य प्रदेश . . .	१. विलासपुर, २. साहडोल, ३ रायगढ़, ४. होशंगाबाद, ५. रायपुर
(५) महाराष्ट्र . . .	भांदरा

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान १४ लाख के फार्मों को चलाने क लिये ३.३८ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के लाख फार्मों की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए रुपये४७.३२ न० पै० की व्यवस्था की गयी है। बाद वाले फार्मों की वित्तीय व्यवस्था वर्ग "ख" योजनाओं के अन्तर्गत राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से की जाती है।

ठंडे गोदाम

†९३३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भांडागार निगम द्वारा निर्मित ठंडे गोदामों का प्रयोग व्यापारियों द्वारा भी किया जाता है;

(ख) क्या व्यापारियों तथा उत्पादनकर्त्ताओं से ली जाने वाली दरें भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो भांडागार निगम द्वारा उत्पादनकर्त्ताओं को क्या पूर्ववर्तिता दी जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा इस समय किसी ठंड गोदाम का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इस्पात के डिब्बे

†९३४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस्पात के बने हुए भारतीय डिब्ब गर्मियों में यात्रियों के लिये अत्यन्त कष्टदायक सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या उन्हें कम कष्टदायक बनाने के लिये कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ग) क्या इस मामले में कुछ प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस्पात के डिब्बों के भीतर का तापक्रम पुराने लकड़ी के डिब्बों से अधिक आरामदायक नहीं रहता है। क्योंकि वे तापनिरोधक होते हैं तथा परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है।

(ख) बाहर से आयात किये जाने वाले पदार्थ के स्थान पर डिब्बों के काम में आने योग्य स्वदेशी ताप निरोधक सामग्री की खोज की जा रही है।

(ग) उपयुक्त वैकल्पिक पदार्थ के चुनाव के लिये विभिन्न स्वदेशी पदार्थों पर परीक्षण किया जा रहा है।

चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना

†९३५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन इंजिन कारखाना में प्रोत्साहक योजना से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी मशीनी कारखानों में यह योजना लागू करना चाहती है; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी तथा कितने कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आयेंगे ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलवे के सभी यंत्रिक मिस्त्रीखानों में प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गयी है। यह योजना ४८,००० व्यक्तियों पर लागू होती है। आशा है भविष्य में इसके अन्तर्गत ८५,००० व्यक्ति आ जायेंगे।

लकड़ी के स्लीपरों में आग लगना

†९३६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी १९६२ में विमलागढ़ में लकड़ी के स्लीपरों के जलने का कारण जानने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त की गयी थी;

(ख) यदि हां, क्या यह एक विभागीय जांच थी या इस प्रयोजन के लिये गैर-सरकारी लोग भी इस में शामिल किये गये थे;

(ग) क्या जांच के परिणाम से यह मालूम हुआ है कि आग लगने का कारण स्लीपरों को गलत ढंग से रखना था ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह एक विभागीय जांच समिति थी जिस में तीन प्रशासनिक अधिकारी थे।

(ग) जी नहीं। आग अकस्मात लग गयी थी।

कोंकण–गोआ स्टीमर सेवा

†९३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट पर चलने वाले स्टीमर सेवाओं की आवश्यकता के कारण कोंकण, गोआ और बम्बई के यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भीड़भाड़ और अनिश्चितता को दूर करने के लिये जहाज के चलने का समय २० दिन पूर्व विज्ञापित किया जा सकता है और क्या टिकट पन्द्र दिन पहले उपलब्ध किये जा सकते हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई, कोंकण/गोआ बन्दरगाहों के बीच, यात्रियों को स्टीमर सेवाओं की अनियमिता तथा उन के खराब होने से कभी कभी कठिनाई होती है क्योंकि केवल पांच जहाज (जबकि ६ जहाजों की आवश्यकता है) चल रहे हैं। जिन में तीन पुराने हैं जिनमें अधिकांश खराबियां हो जाती हैं। तथापि अब दूसरी जहाज कम्पनी को तीन अन्य जहाजों के बनाने की अनुमति दे दी गयी है।

(ख) जहाजों के चलने का समय प्रबंधकों द्वारा बहुत पहिले से निश्चित और विज्ञापित किया जाता है। तथापि उक्त कारणों से सेवाओं की अनिश्चितता के कारण उन पर स्थिर रहना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि इन स्टीमरों की क्षमता ५२७ से १०४१ तक है अतः प्रबन्धकों के लिये १५ दिन पहिले टिकट बेचना सम्भव नहीं है। इसलिये टिकट एक या दो दिन पहिले ही बेचे जाते हैं, अर्थात् जब यह मालूम हो जाये कि यात्रा के लिये कौन सा स्टीमर उपलब्ध होगा।

पांडिचेरी पत्तन

†९३८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पांडिचेरी पत्तन के विकास की किसी योजना को अन्तिम रूप दे रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार ने पांडिचेरी पत्तन में स्तम्भ (पायर) पर आधारित एक नवीन मार्ग तथा अन्य सहायक सुविधाओं की व्यवस्था की है; इन पर चालीस लाख रुपये व्यय हुए हैं, उक्त नया मार्ग अक्टूबर, १९६२ में चालू किया गया था। नौकायें, गोदाम, क्वार्टर, अतिरिक्त रेलवे साइडिंग आदि अतिरिक्त सुविधाओं पर तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये दस लाख रुपयों का उपबंध किया गया है। पांडिचेरी सरकार उक्त मदों के सम्बन्ध में आवश्यक विस्तृत योजनायें तैयार कर रही है।

गेहूं के बीज का विकास

†९३९. श्री बाल्मीकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के उन्नत बीजों की किस्म की खोज में कहां तक सफलता मिली है;

(ख) इस खोज से रतुआ की बीमारी पर कौन-कौन सी किस्में नियंत्रण कर सकेंगी; और

(ग) किस किस राज्य में कौन-कौन सी किस्में सफल सिद्ध हुई हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) हाल ही के वर्षों में विभिन्न राज्यों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं की उन उन्नत किस्मों—जिनमें कि अधिक उत्पादन तथा अच्छे अनाज के गुण विद्यमान हैं तथा जो रतुआ और कन्डवा आदि रोग रोधक भी हैं—को विकसित करने की दिशा में काफी सफलता मिली है।

(ख) गेहूं की निम्नलिखित कुछ ऐसी किस्में हैं जोकि रतुआ की बीमारी पर नियंत्रण कर

†मूल अंग्रेजी में

सकेंगी :—

पीला रतुआ	भूरा रतुआ	काला रतुआ
एनपी ७७०	एनपी ८३५	एनपी ७६८
	एनपी ८४६	एनपी ८२३
	एनपी ८५१	एनपी ८२४
	एनपी ८६३	एनपी ८३६
	एनपी २००	एनपी ८७६
	एनपी २०१	एचवाई ६५
		केनफाड २५
		एन ३४५

एनपी २००, एनपी २०१, एनपी ८४६, एनपी ८६३ इत्यादि कुछ किस्में एक ही समय में एक से अधिक रतुआ रोगों पर नियंत्रण रख सकती हैं ।

(ग) निम्नलिखित किस्में विभिन्न राज्यों में सफल सिद्ध हुई हैं :—

जम्मू और काश्मीर	एनपी ८०६, एनपी ८१८
हिमाचल प्रदेश	एनपी ८०६, रिडले (Ridley) एनपी ८२१
पंजाब की पहाड़ियां	सी २८५
पंजाब के मैदान	सी २८१, सी २७३, सी ५९१, सी २८६, एनपी ८३०
दिल्ली	सी २८१, एनपी ८२३, एनपी ७१८
राजस्थान . .	एनपी ७१८, एनपी ८२५, आरएस ३१–१
उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां	एनपी ७७०, एनपी ८०६, रिडले
उत्तर प्रदेश के मैदान	एनपी ७१०, एनपी ७१८, एनपी ८२४, एचवाई ६५, के ६८, सी ५९१
बिहार . .	एनपी ७६८, एनपी ८३६, एनपी ८३५
पश्चिम बंगाल की पहाड़ियां	एनपी ७७०, रिडले, एनपी ८०६, एनपी ८२४
पश्चिम बंगाल के मैदान	एनपी ७१०, एनपी ७६८, एनपी ८३५, एनपी ८२४
उड़ीसा	एनपी ७१०, एनपी ७६७, एनपी ७१८, एनपी ८२४
मध्य प्रदेश	ब्रेड व्हीटस (Bread Wheats) : एचवाई ११ एचवाई ३८, एचवाई ६५, एचवाई, २७७, एनपी ८३२, एनपी ८३६, एनपी ७१०, एनपी ७१८ मैकरोनी व्हीटस (Macaroni Wheats) एनपी ४०६, एनपी ४१२

महाराष्ट्र	ब्रेड व्हीटस : निफाड ४, केनफाड २५, एन ३४५, एनपी ७१०, एनपी ८२४ मैक्करोनी व्हीटस : एन ५९, एन १२००, एन १३५-ई
गुजरात	ब्रेड व्हीटस : एनपी ७१०, एनपी ७१८, एनपी ८२४ मैकरोनी व्हीटस : अर्नेज (Arnej) २०६, अर्नेज ६२४
आन्ध्र प्रदेश	एनपी ७९७, पी० डब्ल्यू० ५
दक्षिण भारत की पहाड़ियां	इम्मर व्हीटस (Emmer Wheats) : एन पी २००, एन पी २०१
मैसूर	केनफाड ह्वीट्स (Kenphad Wheats) : इंटरलौकिंग

†१४० श्री ईश्वर रेड्डी क्या रेलवे मंत्री ३० अप्रैल, १९६३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५३० के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४७ स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर प्रारम्भिक इण्टरलौकिंग का काम चल रहा था और कितने अब तक इस की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) धीमी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सभी स्टेशनों पर उस की व्यवस्था के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ५२ स्टेशनों में काम पूरा हो चुका है और शेष स्टेशनों में काम हो रहा है ।

(ख) कुछ देरी हुई है वह इस लिये कि काम अन्य यार्ड डीमाइलिंग से और स्थायी वे वर्क्स के प्रतिस्थापन से सम्बन्धित है ।

(ग) लगभग १२.०० लाख रूपये ।

मध्य रेलवे के स्टेशनों पर सिगनलिंग व्यवस्था

†१४१. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य रेलवे पर जिन १६ स्टेशनों पर मल्टिपल आस्पेक्ट क्वाड्रेंट सिगनलिंग व्यवस्था का प्रस्ताव था उनमें से कितने स्टेशनों पर यह व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) क्या सिकन्दराबाद में मुकम्मल ट्रैक सर्किट की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को अन्तिमरूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इस के पूरे किये जाने की सम्भावना है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) काम आरम्भ कर दिया गया है, परन्तु किसी भी स्टेशन पर खत्म नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) मीटर गेज यार्ड की ट्रैक सर्किट के जो कि पहली अवस्था थी, सितम्बर, १९६३ तक पूरा किए जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खम्मामेथ और येल्पलायम के बीच रेलवे लाइन

†६४२. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर खम्मामेथ और येल्पलायम के बीच लाइन को दोहरी करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) मध्य रेलवे का रामगुन्दम और राघवापुरम के बीच दोहरी लाइन के माल की यातायात के लिये खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या येल्पलायम और विजयवाड़ा के बीच दोहरी लाइन वाले भाग पर लोक और बलोक बकिंग की व्यवस्था की जा चुकी है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सॅ० वॅ० रामस्वामी : (क) जुलाई, १९६३ के अन्त तक समस्त प्रगति २३% है ।

(ख) जून, १९६४ ।

(ग) चूंकि नई लाइन माल के यातायात के लिये खोली गई है और पुरानी लाइन एकल लाइन की जहग चलाई जा रही है, इस समय लौक और बलौक की व्यवस्या का प्रश्न नहीं उठता । जब दोहरी लाइनें आरम्भ की जायेंगी तो लौक और बलौक यन्त्रों की व्यवस्या की जायेगी ।

दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रयोग

†६४३. श्री भक्त दर्शन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में दुर्लभ जड़ी-बूटियों के उत्पादन व विकास में इस बीच और क्या प्रगति हुई है :

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य में स्थानीय प्रशासनों को क्या सहायता दी है ; और

(ग) इस बारे में भविष्य के लिये कैसा कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार आगे प्रगति निम्न प्रकार है :—

हिमाचल प्रदेश : ३१ जनवरी, १९६३ के पश्चात ३,४०० रुपये के खर्च से ४ एकड़ और अतिरिक्त क्षेत्र में जड़ी बूटियों का उत्पादन किया गया है । इसके अतिरिक्त सर्व श्री जोन विथ लेबोरेट्रीज़ बम्बई के सहयोग से १२३ एकड़ भूमि के क्षेत्र में डाओ-सकोरिया डेल्टोयडिया नामक एक लाभप्रद बूटी का सत्पादन किया गया ।

उत्तर प्रदेश : चालू वित्तीय वर्ष में २१ एकड़ से भी अधिक भूमि पर कार्य का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में योजना की क्रियान्विती के लिये धन भारत सरकार देती है । उत्तर प्रदेश के मामले में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता में अनुदान तथा ऋण दोनों शामिल हैं ।

(ग) हिमाचल प्रदेश में वर्तमान योजना ३१ मार्च, १९६६ तक चलेगी और १९६३–६४ से १९६५–६६ तक की अवधि में ६० वर्ग मील भूमि का सर्वेक्षण करने तथा १०ं एकड़

†मूल अंग्रेजी में

भूमि में उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के आगामी कार्यक्रम में जड़ी-बूटी फार्मों का विस्तार भी शामिल है।

ऊन

†९४४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऊन की श्रेणी व परिमाण के विकास की जो योजना स्वकार की गई थी, उसके अन्तर्गत प्रत्येक मद में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

१. अनुसन्धान योजनायें :

समन्वित अनुसंधान योजनायें पहले ही इन कामों के लिये शुरू की गई हैं :—

(१) ऐसी भेड़ों की नस्ल को विकसित करना जिनसे काफी मात्रा में उत्तम ऊन प्राप्त हो सके। (२) उन सब राज्यों में जहां भेड़-पालन एक महत्वपूर्ण ग्रामीण व्यवसाय है, अधिक मांस देने वाली भेड़ों की नस्लों का विकास करना।

२. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान और दो उप केन्द्र :

केन्द्रीय संस्थान की स्थापना के लिये राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा के समीप ३५०० एकड़ क्षेत्र मिला है। संस्थान के दो उप-केन्द्र खोले जा रहे है जिसमें से एक कुल्लू (पंजाब) में, दूसरा कोडिया केनाल (मद्रास) में। पंजाब सरकार १५०० एकड़ भूमि कुल्लू के समीप देने के लिये सहमत हो गई है और मद्रास सरकार लगभग ८०० एकड़ भूमि को कोडिया केनाल में पट्टे पर देने के लिये सहमत हो गई है। मालपुरा स्थित केन्द्रीय संस्थान में और कुल्लू स्थित उप-केन्द्र में भूमि के विकास और सड़कों के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।

३. भेड़ और ऊन उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र, पूना।

पूना में राज्य सरकार के अधिकारियों को भेड़ पालन और ऊन उत्पादन में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में उच्च प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है और प्रशिक्षार्थियों को प्रथम बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

४. राज्य में भेड़ तथा ऊन विकास सम्बन्धी योजनायें।

युवा भेड़ों के प्रजजनन का कार्य ४६ भेंड़ प्रजनन फार्मों में शुरू किया जा रहा है। १२ राज्यों के चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ों के सुधार के लिये भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र आयोजित किये गये हैं। इन केन्द्रों में प्रजनन कार्य के लिये युवा भेंढे उपलब्ध किये जाते हैं। भेड़ों को बीमारियों से बचाने के लिये भेड़ पालकों को सहायता भी दी जाती है और भेंड़ पालन के ठीक तरीके प्रदर्शित किये जाते हैं। इस समय ऐसे ३२१ विस्तार केन्द्र मौजूद हैं।

राजस्थान में जो कि एक देश का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है, एक बड़े स्तर पर ऊन कतरने और ऊन का वर्गीकरण करने का कार्य शुरू किया गया है। जोधपुर में ऊन का वर्गीकरण करने के विषय में एक कोर्स भी शुरू किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान का उतारा जाना

†६४५. श्री हेडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषणी को बिना किसी सूचना के रेल के डिब्बों से माल उतारने का अधिकार सरकार ने ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). आई० आर० सी० ए० गुड्स टैरिफ में, जिसमें माल की स्वीकृति, माल के ले जाये जाने और माल के प्रदान के बारे में सामान्य नियम हैं, हमेशा एक नियम रहा है कि जब पारेषणी को माल उतारना चाहिये और पारेषणी दिये गये 'फी' समय में ऐसा न कर सके तो रेलवे डिब्बों से माल उतार सकती है। नियम इस बात की व्यवस्था करते हैं कि यदि रेलवे समझे कि डिब्बों को जल्दी खाली करना आवश्यक है, तो रेलवे माल उतारने के लिये 'फी' समय खत्म होने से पहिले ही स्वयं माल उतार दे। डिब्बों में भी माल उतारने के अधिकार के इस्तेमाल किये जाने से पहले रेलवे प्रशासन को पारेषणी को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

चूंकि रेलवे को पारेषणी की ओर से माल उतारने की शक्ति पहले ही है, ऐसी शक्तियां लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में तिरूड़ ऊपरी पुल

†६४६. श्री कोया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से तिरूड़ ऊपर पुल के निर्माण को अगले वर्ष के बजट में शामिल करने के लिये कोई दरख्वास्त मिली है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : केरल सरकार ने हाल में ही दक्षिण रेलवे प्रशासन को सुझाव दिया है कि तिरूड़ रेलवे स्टेशन के नजदीक वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर सड़क का ऊपरी पुल बनाने के लिये योजना १९६४–६५ के लिये रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में शामिल कर लेनी चाहिये।

चोरी किए गए रेलवे 'फिटिंग्स'

†६४७. श्री अ० व० राघवन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संरक्षण बल को तामिलनाड में खेती के औजार बनाने वाले कुछ ढलाईघरों से चोरी हुए इस्पात रेलवे 'फिटिंग्स' काफी मात्रा में मिले हैं ;

(ख) उन ढलाईघरों के क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध न्यायालयों में कितने मुकदमे बाकी हैं ; और

(ग) इस्पात फिटिंग्स की कितनी मात्रा मिली है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) १ मैसर्ज प्रकाश इंजीनियरिंग कम्पनी, मेट्टूपालायम रोड, कोयम्बटूर।

२. मैसर्ज इंडिया थापानी फाउंडरी पुलियाकुलम रोड, पप्पानायकेनपालायम, कोयम्बटूर :

---

†मूल अंग्रेजी में

३. मेसर्ज टैम्समों इण्डस्ट्रीज़ मेट्टूपालायम रोड, कोयम्बटूर।

न्यायालय में ऊपर की फर्मों के विरुद्ध तीन मुकदमें बाकी हैं।

(ग) २७ टाप और १० हंडरोड जिनकी कीमत ७,७०० रुपये है।

अवकाश गृह

†१४८. श्री अ० व० राघवन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में एक अवकाश गृह (होलीडे होम) स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(ख) डाक और तार विभाग द्वारा कायम रखे जाने वाले वर्तमान अवकाशगृहों को लोक प्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तृतीय योजना में कितने अवकाशगृह बनाने का प्रस्ताव है और किन स्थानों पर वे स्थापित किए जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) पंचमढ़ी (केन्द्रीय सर्किल), माउण्ट आबू (राजस्थान सर्किल) मथेरान (बम्बई सर्किल) मसूरी (यू० पी० सर्किल) और शिमला (पंजाब सर्किल) में वर्तमान अवकाश गृह, जिनके फर्नीचर, खाना बनाने और सर्विस के लिए बरतनों की व्यवस्था होती है, कर्मचारियों को मुकाबले में कम दरों पर दिए जाते हैं :—

अधिकारियों का वेतन	प्रतिदिन किराया
३०० रुपये प्रतिमास तक	वेतन का १० प्रतिशत जिसका जितने दिन रहा जाए उतने दिनों के लिए दर के अनुसार हिसाब लगाया जाता है।

३०० रुपये से ५०० रुपये प्रतिमास तक १ रुपया प्रतिदिन ५०१ रुपये से १००० रुपये प्रतिमास तक रु० १.५० नये पैसे प्रतिदिन १००१ रुपये और अधिक रुपये प्रतिमास से रु० २.५० नये पैसे प्रतिदिन इन अवकाश गृहों को सम्बन्ध में प्रतिदिन प्रचार इन सर्किल सूचना पत्रों में यिनयतकालिक रूप में किया जाता है।

(ग) सारे प्रश्न पर डाक और तार बोर्ड सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

लेवल क्रासिंग

१४९. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में कितने लेवल क्रासिंगों पर नये फाटक सन् १९६२–६३ में लगाये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने लेवल क्रासिंग अब भी बिना फाटक और बिना चौकीदार के हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) चार ।

(ख) एक हजार नौ सौ और तेंतीस (जिनमें छः सौ अड़तालीस 'डी' श्रेणी के मवेशियों वाले समपार शामिल नहीं हैं), लेकिन इनमें से अधिकतर समपारों की सुरक्षा के लिए फाटक की जरूरत नहीं है ।

होटल

†९५०. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० त्रिवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री १९ फरवरी, १९६३ को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में ऐसे कितने नए होटल खोले गए हैं जिनके लिए सरकार ने विभिन्न व्यापारियों को सुविधायें दी हैं ;

(ख) क्या हांगकौंग में रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं ; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्नलिखित ६ होटल १९६२–६३ में खोले थे जिनके लिए सरकार ने सुविधाएं दीं ।

१. क्लार्कस शिशल होटल, आगरा ।
२. शालीमार होटल, बम्बई ।
३. सुन्नसद होटल, बम्बई ।
४. होटल डिप्लोमेट, नई दिल्ली ।
५. लेव पैलेस होटल, उदयपुर ।
६. हौली डे इन, फरीदाबाद ।

(ख) हांगकौंग में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने होटल उद्योग में विनियोजन के लिए प्रस्ताव भेजने के साथ साथ भूमि के उचित टुकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की है राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता देने के लिए प्रार्थना की गई थी और हांगकौंग से सम्बन्धित लोगों का होटल बनाने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रस्ताव देने के लिए सलाह दी गई थी । हांगकौंग में हमारा कमिश्नर इस मामले का पीछा कर रहा है और इन प्रस्तावों के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धारा

†९५१. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० त्रिवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में उत्तर भारत में

---

†मूल अंग्रेजी में

चारा अनुसन्धान संस्था द्वारा सस्ते और विभिन्न फसलों के चारे के सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण अनुसन्धान किए जा चुके हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इण्डियन ग्रासलैण्ड और फौडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतएव इसके सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर नेपीयर घास की हाइब्रिड किस्म पैदा कर रही है जोकि नैपियर घास और बाचर की मिलावट है। उत्पादन १००–१४० टन प्रति एकड़ है और काफी सन्तोषजनक है। "जंगोला ग्रास" नाम का घास भूमि कटाव रोकने के लिए बहुत अच्छा पाया गया है और १८ टन प्रति एकड़ पैदा होता है।

व्यावहारिक आहार पुष्टि में प्रशिक्षण

†९५२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ग्राम सेविकाओं और ग्राम सेवकों को व्यावहारिक आहारपुष्टि और विस्तृत आहारपुष्टि प्रोग्राम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : जी हां। ग्राम सेविका प्रशिक्षण लेने वालों के पाठ्यक्रम में "खुराक और आहार पुष्टि' का विषय है। उसी प्रकार ग्राम सेवक ट्रेनिंग केन्द्रों में चालू ग्राम सेवकों के सेवा से पूर्व दो वर्षों के ट्रेनिंग के लिए माडल पाठ्यक्रम में आहारपुष्टि जिसमें व्यावहारिक आहारपुष्टि प्रोग्राम का संक्षिप्त अध्ययन भी होता है, शामिल है।

भूमि बन्धक बैंक

†९५३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंकों ने पहाड़ी क्षेत्र में भूमि बन्धक के आधार पर अधिक ऋण देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के लिए ऐसा निर्णय किया है।

सामुद्रिक जीव विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र

९५४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओखा बन्दरगाह (जामनगर जिला) में सामुद्रिक जीव विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खुलेगा; और

(ग) उसके ऊपर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). भारत सरकार के पास अपना कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, गुजरात राज्य की सरकार ने ओखा बन्दरगाह पर एक सामुद्रिक जीव विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रायोजना निधि से सहायता के लिए सिफारिश करने के लिए प्रार्थना की थी । इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी और यह महसूस किया गया था कि यह संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि सहायता कार्यक्रम क्षेत्र में नहीं आएगा । किसी अवस्था में भी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार की प्रायोजना के लिए और सहायता मिलने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने हाल ही में एक अन्य मात्स्य की प्रायोजना (अर्थात् मात्स्य की शिक्षा का केन्द्रीय संस्थान, बम्बई) के लिए पहले ही पर्याप्त सहायता स्वीकार की थी । अत राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि यदि प्रस्तावित सामुद्रिक जीव विज्ञान केन्द्र गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किया जाए तो अधिक अच्छा होगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार

†९५५. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त, १९६३ को पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित थे और किस प्रकार के थे ।

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मामलों की संख्या ७४ ।

(ख) मामलों की किस्में :—

१. माल देने में धोखेबाजी ।

२. कर्मचारियों से मिल कर बिना टिकट के सफर करना ।

३. उतराई और किराया शुल्क जिसमें 'वेफज' भी शामिल है और वसूली में भ्रष्टाचार ।

४. टिकट देते समय अधिक पैसे लेना और धोखेबाजी ।

५. कर्मचारियों द्वारा वेतन और भत्तों के लेने में धोखेबाजी ।

६. पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग ।

७. नकदी में हेरा फेरी ।

८. रेलवे सामान का दुरुपयोग और उसमें भी हेरा फेरी ।

९. रेलवे के कोयले की हेरा फेरी ।

१०. ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिए कामों की गलत पैमाइश का सत्यापन करना ।

११. सरकारी अभिलेखों में हेरा फेरी ।

१२. ज्ञात आय के साधनों से अन्य साधनों द्वारा धन का एकत्रीकरण ।

१३. प्रारूप धारण और झूठे बयान द्वारा नौकरी प्राप्त करना ।

१४. माल और पार्सलों के बुक करने और देने में रिश्वत मांगना और कबूल करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रयोगात्मक नल कूप संस्था

†१५६. श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक नलकूप संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं या स्थापित की जा चुकी हैं ;

(ख) किन राज्यों या क्षेत्रों में वे पहले ही काम कर रहे हैं या स्थापित की जा रही हैं ; और

(ग) पहले ही काम करने वाली संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) देश के विभिन्न भागों में भूमिगत पानी की खोज के लिए १९५४ में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत प्रयोगात्मक नलकूप संस्था स्थापित की गई थी। राज्य सरकारों के पास कोई ऐसी संस्था नहीं है।

(ख) संस्था में चार फील्ड विभाग हैं जिन्होंने अभी तक मैसूर, और जम्मू काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में खोज की है। इन राज्यों में जिन क्षेत्रों में खोज नहीं हुई है उनमें और खोज की जा रही है और जम्मू तथा काश्मीर और मैसूर और हिमाचल प्रदेश संघ क्षेत्र में भी खोज की जाएगी। इस समय ये फील्ड विभाग बिहार, उड़ीसा, मद्रास, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में खोज के लिए खुदाई कर रहे हैं।

(ग) प्रयोगात्मक नलकूप संस्था ने जनवरी, १९५५ में फील्ड आपरेशन आरम्भ किए। विभिन्न राज्यों में जनवरी, १९५५ से जून, १९६३ के बीच की गई खोज के नतीजे नीचे दिए जाते हैं :—

राज्य	खोज के लिए कितने सुराखने निकाले गए	कितने सुराख सफल साबित हुए
१. गुजरात	८९	२२
२. मध्य प्रदेश	५६	२१
३. आसाम	१९	१७
४. पश्चिम बंगाल	५७	४९
५. उड़ीसा	२३	१२
६. बिहार	१९	८
७. राजस्थान	८६	२०
८. पंजाब	४७	१२
९. केरल	५	१
१०. उत्तर प्रदेश	४३	३५
११. मद्रास	४०	२७
१२. आंध्र प्रदेश	१५	११
१३. महाराष्ट्र	३१	२

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उत्पादन

†१५७. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इनाम और दण्ड देने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) किन एजेंसियों द्वारा योजनायें कार्यान्वित की जाएंगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए "फसल प्रतियोगिता" योजना और "सामुदायिक इनामों के देने" की योजना जो कि व्यक्तिगत और दलीय कोशिशों के लिए क्रमवार इनाम देंगी पहले ही चालू हैं। दण्ड देने के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) "फसल प्रतियोगिता" योजना के अन्तर्गत किसान अलग अलग कुछ फसलों के सम्बन्ध में प्रतियोगिताओं में ग्राम, बलौक, जिला, राज्य और सारे भारत के स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। प्रत्येक स्तर पर नकद या जिनस के रूप में जीतने वालों को इनाम दिए जाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक फसल के लिए इनाम जीतने वाले को 'कृषि पंडित' का सर्टिफिकेट दिया जाता है।

'समुदाय इनामों के दिए जाने' की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और जिला जहां फसल में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पिछले तीन मौसमों की सम्बन्धित फसलों के औसत उत्पादन से १५ प्रतिशत या अधिक से बढ़ जाए, समुदाय इनाम के योग्य हो जाता है। राज्य स्तर के इनाम की कीमत ५०,००० रुपये है और जिला स्तर के इनाम की कीमत १०,००० रुपये है। इसके अतिरिक्त जिस राज्य का प्रतिशत उत्पादन सब से अधिक हो उसे 'राष्ट्र कलश' (चांदी की ट्राफी) दी जाती है और प्रत्येक राज्य में सब से अधिक उत्पादन करने वाले जिले को 'राष्ट्र कलश' का इनाम दिया जाता है। इनाम का रुपया किसानों के लाभ के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(ग) योजनायें केन्द्रीय और राज्य कृषि विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

डी० बी० के० रेलवे का सम्बलपुर-टोटागढ़ सेक्शन

†१५८. श्री प्र० के० देव :
श्री महेश्वर नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में डी० बी० के० रेलवे के सम्बलपुर-टोटागढ़ सेक्शन में यात्री गाड़ियों के कब चलने की सम्भावना है ; और

(ख) किरिबुरू से विशाखापटनम तक लौह अयस्क का लाना ले जाना प्रारम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो इसके कब प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सैं० वैं० रामस्वामी) : (क) आशा है कि यह भाग नवम्बर, १९६३ के अन्त तक यात्री यातायात के लिये खोल दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सम्भावना है कि किरिबुरु से विशाखापटनम को लौह अयस्क लाने ले जाने का कार्य १९६४ के मध्य तक प्रारम्भ हो जायेगा, जिस समय तक कि बन्दरगाह पर उठाने-धरने की यांत्रिक सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

रूरकेला-रांची खंड पर रेल सेवा

†२५९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला-रांची जोन में माल तथा यात्री गाड़ियों का आना-जाना कब से प्रारम्भ होगा ; और

(ख) क्या इस खण्ड पर रेलवे लाइन का निर्माण तथा मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सैं० वें० रामस्वामी):** (क) रांची से बोंडामुंडा (रूरकेला) तक का समस्त खण्ड निम्नलिखित क्रमों में खोला जा रहा है :

(१) रांची-हटिया । माल यातायात के लिये २३ मार्च, १९६१ को खोला गया ।

(२) हटिया-नवगांव । आशा है कि यह १ जनवरी, १९६४ तक माल यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

(३) नवगांव-बोंडामुंडा । माल यातायात के लिये १९ जून, १९६२ को खोला गया ।

आशा है कि रांची से बोंडामुंडा (रूरकेला) तक का समस्त खण्ड ३१ मार्च, १९६४ तक यात्री यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

(ख) हटिया-नवगांव–बोंडामुंडा (रूरकेला) परियोजना का केवल हटिया-नवगांव भाग ही निर्माणाधीन है और शेष भाग पूरा हो गया है । कुल मिला कर कार्य की ८१ प्रतिशत प्रगति हुई है । इस समय इस भाग पर मार्ग के विद्युतीकरण करने का विचार नहीं है ।

डाकियों की पदोन्नति

†२६०. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिपिकीय पदों के ५० प्रतिशत स्थान चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी (डाकिये) पदावलि से पदोन्नति देने के लिये सुरक्षित रख लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें निर्धारित कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तवत्सलम्) :** (क) जी, हां ।

(ख) कोई शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु लिपिकीय पदावली के लिये डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा की जाती है । यदि पदोन्नति के लिए सुरक्षित रखे गये सभी स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी परीक्षा में उतीर्ण नहीं होते तो, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, पदोन्नति के लिये सुरक्षित किये गये १० प्रतिशत तक स्थानों को भरने के लिये उन स्थायी और स्थायित्व कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है जो कि सेवा में रहते हुए ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनेक वर्षों तक सेवा करके निम्न श्रेणी के कर्मचारी विभाग के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती है। अतः, किन्हीं शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं को निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

विभागातिरिक्त डाकखाने

†१६६१. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सभी विभाग-अतिरिक्त उप-डाकखानों को विभागीय डाकखानों के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो १९६३-६४ में कितने डाकखानों को परिवर्तित किया जायेगा तथा किन किन स्थानों पर ; और

(ग) १९६२-६३ के दौरान कितने विभाग-अतिरिक्त उप-डाकखाने विभागीय उप-डाकखानों के रूप में परिवर्तित कर दिये गये हैं और किन-किन स्थानों पर ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) इस सम्बन्ध में जो एक सामान्य नीति विकसित की जानी है उसके एक भाग के रूप में इसकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या १५७१/१९६३]**

उर्वरकों का सड़क द्वारा परिवहन

†१६६२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायनिक उर्वरकों के अकेले रेल द्वारा परिवहन के स्थान पर अब केन्द्रीय सरकार ने उनके सड़क द्वारा परिवहन के लिये भी अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अनेक कारखानों पर इकट्ठे हुए उर्वरकों के भण्डार को कम करने में यह उपाय कहां तक सफल हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) उर्वरकों का, रेल भाड़े तक सीमित, सड़क द्वारा परिवहन करने की रियायत फरवरी, १९६१ में ही दे दी गई थी। २२ अप्रैल, १९६३ को दी गई रियायत के अधीन, कुछ हालातों में, बन्दरगाह अथवा कारखाने से २५० किलोमीटर की दूरी के अन्दर अन्दर वाले स्थानों तक उर्वरकों का, केन्द्रीय उर्वरक पूल के व्यय पर, सड़क द्वारा परिवहन किया जा सकता है। परन्तु गन्तव्य स्टेशन पर माल को वैगनों में से उतारने, ट्रकों में लादने और आगे उसका रेलवे स्टेशन से गोदामों तक परिवहन करने में प्रेषिती द्वारा किये जाने वाले व्यय में जो इस कारण बचत होगी उसको बराबर करने के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल के व्यय में २ रुपये प्रति मीट्रिक टन की कटौती की जायेगी।

(ख) क्योंकि नई रियायत की घोषणा केवल २२ मई, १९६३ को ही की गई थी अतः राज्य सरकारों ने अभी तक इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया है जिसका परिणाम यह है कि अब तक केवल थोड़ी मात्रा में ही उर्वरक सड़क द्वारा भेजे गये हैं। तथापि, यह आशा की जाती है कि उर्वरकों को उपभोक्ता क्षेत्रों तक भेजने के लिये विक्रेताओं द्वारा सड़क परिवहन का भविष्य में अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के गांवों में चकबन्दी

९६३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब कितने और किन-किन गांवों में चकबन्दी होना शेष है ;

(ख) इन गांवों में कब तक चकबन्दी हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ गांवों में चकबन्दी की योजना असफल हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग) अभी तक २५ गांवों में चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५७२/६३]**

१९६१–६२ में इन समस्त २५ गांवों में कार्य शुरू किया गया था परन्तु रोस्टर कार्य (प्रारम्भिक रिकार्ड) पूरा करने के पश्चात् इसे बन्द करना पड़ा क्योंकि पट्टाधारियों की दलबन्दी ने कार्य में रुकावट डाल दी।

तत्पश्चात् पट्टाधारियों की प्रार्थना पर ६ गांवों में प्रायोगिक आधार पर इस शर्त पर दोबारा काम शुरू किया गया कि पट्टाधारी योजना को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। अतः इन ६ गांवों में पुनः कार्य शुरू किया गया—(१) मुंढाला कलां (२) बुधनपुर (३) घेवरा (४) नीलबल (५) टीकरीकलां तथा (६) बिजवासन। इन समस्त गांवों में १९६४–६५ के अन्त तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। क्योंकि इस समय एक साथ ६ गांवों में कार्य चल रहा है, अतः इस समय यह ठीक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यदि कार्य का विस्तार इन सब गांवों तक भी कर दिया जाये तो बाकी १९ गांवों में किस समय तक चकबन्दी हो जायेगी।

यद्यपि उपरोक्त कारणों से कार्य रोक देना पड़ा था परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी गांव में योजना असफल हो गई है।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

†९६४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ा से खड़गपुर तक की रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के लिये अट्ठाईस स्टेशनों में से इस समय केवल पंद्रह स्टेशनों को ही फिर से बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शेष स्टेशनों का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस समय कौन कौन से सम्बद्ध डाक-तार कार्य किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख) इस समय सत्रह स्टेशनों पर स्टेशनों को फिर से बनाने का कार्य प्रगति कर रहा है। शेष स्टेशनों के कार्य को

---

†मूल अंग्रेजी में

टीकापाड़ा और खड़गपुर के बीच तीसरी लाइन का निर्माण करने के कार्य के साथ साथ ही किया जायेगा ।

(ग) रेल मार्ग के समानान्तर चलती हुई विद्यमान ऊपरी दूर संचार लाइनों के स्थान पर भूगर्भ केबल लगा दिये जायेंगे ।

कोलाघाट में रेलवे का पुल

†९६५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलाघाट में रूपनारायण नदी के ऊपर एक नये रेल के पुल का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) पुल की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) पुराने रेल के पुल में क्या दोष पाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) लगभग ३ करोड़ रुपये ।

(ग) विद्यमान रेल के पुल में कोई दोष नहीं है । नये पुल की व्यवस्था उस तीसरी लाइन के लिए की जा रही है जो कि हावड़ा तथा पंचकुड़ा के बीच बनाई जा रही है । तथापि, लाइन के नीचे के पुल के विद्यमान धरण (गर्डर) आजकल के लदान के लिये कमजोर हैं और इसलिए नये पुल के पूरा हो जाने के पश्चात् उसमें नये धरण (गर्डर) लगाने का विचार है ।

दिल्ली में कुतुब पर पर्यटक उपाहारगृह

†९६६. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, इस बात के होते हुए भी कि नये उपाहारगृह के भवन का निर्माण द्वितीय योजना की एक परियोजना के रूप में किया गया था, दिल्ली में कुतुब पर एक पर्यटक उपाहार गृह खोलने के कार्य को रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) कुतुब पर एक उपाहारगृह बनाने की योजना तृतीय योजना की परियोजना थी जो कि चालू योजना में सम्मिलित करके पूरी की गई है। सब प्रकार से पूर्ण भवन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से १३ मार्च, १९६३ को लिया गया था। इस बीच में, दिल्ली के बारह प्रसिद्ध केटररों को टेन्डर आमंत्रित करने वाले नोटिस जारी किये गये थे परन्तु उनमें से किसी का भी कोई प्रस्ताव नहीं आया। नई दिल्ली के सोलह केटररों, उपाहारगृह चलाने वालों से फिर टेन्डर आमंत्रित किये गये थे और जिन

---

†मूल अंग्रेजी में

तीनों ने टेन्डर भेजे थे उन में से एक को स्वीकार कर लिया गया है। जब इस टेन्डर भेजने वाले ने यह अनुभव किया कि कुतुब पर के विद्यमान केटरर को, जो कि डाक बंगले के बरामदे के अन्दर काम चला रहा है, हटाया नहीं जा सकता तो उसने ठेके को कार्यान्वित करने से मना कर दिया। उसका ठेका समाप्त कर दिया गया है। दूसरा उपयुक्त केटरर मिल गया है और यह आशा है कि वह इस उपाहारगृह को सितम्बर, १९६३ के प्रथम सप्ताह में चलाना प्रारम्भ कर देगा।

दिल्ली में यमुना पर पुल

९६७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वजीराबाद के निकट यमुना पर जो दूसरा पुल बन रहा है वह कब तक चालू हो सकेगा ;

(ख) इसके अतिरिक्त हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में जो अन्य पुल बन रहा है, उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) वजीराबाद के पास बने पुल पर कुल मिला कर कितना व्यय हुआ है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वजीराबाद पुल का काम पूरा हो चुका है। उस पर पहुंच मार्ग तैयार किये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि पुल यातायात के लिए शीघ्र ही खोल दिया जायगा। फिर भी २३-८-६३ को पुल एक गली यातायात के लिए अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है जिस से रेल व सड़क के मौजूदा पुल की एक गली की जरूरी मरम्मत की जा सके।

(ख) हुमायूं के मकबरे के पास वाले पुल के बनाने का काम अप्रैल, १९६१ में एक ठेकेदार को दे दिया गया था। ठेकेदार द्वारा कुछ अतिरिक्त मांग करने के कारण फिर से ताजे टेंडर मंगाना जरूरी हो गया। इस कार्य में रुचि रखने वाले विभिन्न लोगों से ताजे टेंडर अभी मिले हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस वर्ष पुल के बनाने का काम शुरू कर दिया जायगा और काम के शुरू होने से लगभग तीन वर्षों में उसके पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) १७·२४ लाख रुपये।

केरल डाक परिमण्डल

†९६८. **श्री इम्बीचिबाबा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल डाक परिमण्डल को एक बड़ा परिमण्डल बनाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय पहले जैसी स्थिति को ही बनाये रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल के लिये चीनी

†९६९. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी नियंत्रण आदेश के जारी किये जाने के उपरान्त सरकार ने चीनी के कोई भण्डार केरल राज्य को दिये हैं ;

(ख) क्या केरल सरकार ने चीनी के और अधिक सम्भरण के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). जी, हां; ६,००० टन के मासिक अभ्यंश के आधार पर चीनी दी गई थी। कुल उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इसका अधिक सम्भरण करना सम्भव नहीं था।

बिहार में आरटीजियन वेल

९७०. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिले के उत्तरी हिस्से से पूर्निया जिले के उत्तरी हिस्से तक आरटीजियन वेल (कुएं से पानी उठने वाला) का स्त्रोत है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सिंचाई के काम में केन्द्रीय सरकार किस प्रकार लाना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बिहार के चम्पारन जिले के उत्तरी हिस्से से पूर्निया जिले के उत्तरी हिस्से तक आर्टीजियन वेल का कोई नियमित स्त्रोत नहीं है। चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा तीनों जिलों में कुछ टुकड़े मिले हैं परन्तु अभी तक पूर्णिया तथा सहर्सा जिलों में कोई स्त्रोत नहीं मिले। इन जिलों में खोज का कार्य जारी है। जिन स्थानों पर आर्टीजियन वेल मिले हैं उनके नाम जिलावार दिये गये हैं :—

(१) मजफ्फरपुर जिले के सीतामरही उप-प्रभाग में सुरसान्द

(२) (१) उमगांव (२) लडानिया (३) पथलागरहा (४) बासुकी बिहारी (५) दरभंगा जिले के मधुबनी उप-प्रभाग में राम नगर काजरा

(३) चम्पारन जिले के बाया गोनाहा, नरकटीगंज तथा मेनातिरड खण्ड

(ख) १९६१ में बिहार राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नलकूप गवेषणा संगठन ने चम्पारन तथा दरभंगा जिलों के उत्तरी भागों में कुछ गवेषणा स्थान निर्धारित किये थे। राज्य सरकार ने गवेषणा के लिये सहर्सा तथा पूर्णिया जिलों के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा है क्यों कि उन्हें तुरन्त बहाव सिंचाई योजनाओं से लाभ पहुंचेगा। नेपाल के तराई क्षेत्र से, जो और उत्तर में है, बहुत सी नदियां निकलती हैं, अतः वहां तक भारी रिगों तथा सहायक साज-सामान का पहुंचाना कठिन है। इसलिये इन क्षेत्रों को गवेषणा के कार्यों में शामिल करना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिनाजपुर जिले में रेल सम्पर्क

†९११. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलुरघाट–हिली, रायगंज का पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के साथ बड़ी लाइन द्वारा रेल संपर्क स्थापित नहीं किया जायेगा ;

(ख) क्या इकलखी स्टेशन को बलुरघाट से मिलाया जायेगा ;

(ग) क्या इस सीमावर्ती क्षेत्र में रेल सुविधाओं की कमी से सरकार अवगत है ; और

(घ) क्या स्थिति को ठीक करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नई लाइनों के निर्माण के रेलवे के कार्यक्रम में इन प्रस्तावों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सीमित संसाधनों के कारण, निकट भविष्य में इन लाइनों के सम्बन्ध में विचार किये जाने की कोई आशा नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) अभी तक ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया गेहूं

†९७२. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, १९ सितम्बर, १९६२ को, पी० एल० ४८० के अधीन, अमरीकी सरकार से ८,४००टन गेहूं का एक नौ-भांड खाद्य प्रादेशिक निदेशक कलकत्ता ने भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया था, जो कि १०००परित्यक्त तालाबों की फिर से खुदाई और पुरुलिया विकास योजना परियोजना के अधीन पुरुलिया राज्य में अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पृथग्रक्षित था ; और

(ख) इस गेहूं और तालाबों के सुधार और पुरुलिया में अन्य सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिनके लिये कि यह गेहूं मंगाया गया था नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रादेशिक निदेशक द्वारा पी० एल० ४८०के शीर्ष २ के अधीन नौ-भांड प्राप्त किया गया था और आगे भेज दिया गया था।

(ख) क्योंकि पुरुलिया मुख्य रूप से एक चावल खाने वाला क्षेत्र है, अतः यह व्यवस्था की गई थी कि परित्यक्त तालाबों के सुधार के कार्य में लगे हुए श्रमिकों को वस्तु रूप में मजूरी देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार अमेरिका से प्राप्त हुए गेहूं के बदले में अपने भण्डारोंसे बराबर मात्रा में चावल देगी। तदनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ३ (गेहूं): २(चावल)के अनुपात में चावल दे रही है। अभी तक, ६५४टन चावल श्रमिकों को मंजूरी के रूप में दे दिया गया है। १५ परित्यक्त तालाबों का पुनर्नवीकरण हो गया है ; ८० अन्य योजनाओं में कार्य किया जा रहा है तथा ३० पूरी होने को हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती के औजार

९७३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय किसानों के बैलों की हालत को देखते हुये खेतों को वे आसानी से जोत सकें इसके लिये सरकार ने कौन-कौन से सस्ते दाम वाले औजारों का निर्माण कराया है ; और

(ख) उनकी कीमत कितनी है और उनकी उपलब्धि किसानों को असानी से कहां से हो सकती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास तथा पंजाब में सरकारी कारखानों द्वारा बनाये गये सस्ते औजारों की सूचियां संलग्न हैं।

औजार तथा उनके नमूने तैयार करते समय उन क्षेत्रों के बैलों की भार ढोने की शक्ति को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) इन औजारों के मूल्य संलग्न सूचियों में भी दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १५७३।६३ ।]

ये औजार खण्ड मुख्यकार्यालय या सीधे कारखानों अथवा उनके ऐजेन्टों से मिल सकते हैं ।

राजस्थान में तारघर

†९७४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब भी राजस्थान में कुछ ऐसे तहसील मुख्यालय हैं जहां कि तारघर नहीं हैं ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : जी, हां; १२ तहसील मुख्यालय। उनमें से ९ पर तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये मंजूरियां दे दी गई हैं।

मध्य प्रदेश मे कृषि उत्पादन

†९७५. **श्री रामसहाय पांडेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल ने हाल ही में भोपाल का दौरा किया था और मध्य प्रदेश की कृषि योजनाओं पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी और सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के एक केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार के परामर्श में १९६३-६४ के लिये कृषि उत्पादन कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने के लिये १ जून से ५ जून, १९६३ तक मध्य प्रदेश का दौरा किया था। इस दल ने रायसेन क्षेत्र गांव से लेकर जिलों तक के चुने हुए क्षेत्रों का भी पहली जून से तीसरी जून तक दौरा किया था। इस दौरे के पश्चात् प्रविधिक स्तर पर और शासकीय स्तर पर तथा मंत्री-स्तर पर भी चर्चायें हुईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कि उस केन्द्रीय दल की महत्वपूर्ण उत्पतियां तथा सुझाव स्पष्ट रूप से दिये गये हों जिसने कि मध्य प्रदेश का दौरा किया था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५७४/६३।]

प्रसंकर ज्वार[1]

†९७६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के कृषि विद्यालय में प्रसंकर ज्वार का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) १९६३ के ग्रीष्म काल के प्रारम्भिक परीक्षण उत्साहवर्द्धक बताये जाते हैं। ज्वार की स्थानीय किस्मों की तुलना में प्रसंकर ज्वार से ५० से लेकर ६० प्रतिशत तक अधिक उपज हुई बताई जाती है।

इलाहाबाद पैसेंजर और सियालदह एक्सप्रेस

†९७७. श्री दे० द० पुरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हाल में उत्तर रेलवे की दो महत्वपूर्ण गाड़ियां, ३५१ अप अम्बाला-इलाहाबाद पैसेन्जर और ५१–डाउन सियालदह–पठानकोट एक्सप्रेस बरास्ता लखनऊ प्राय निरन्तर रूप से कई घन्टे देर से चल रही हैं और इस से यात्रियों को असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो उनके देर से चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों का निर्धारित समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) निम्नांकित भाटक कारणों से ३५१ अप इलाहाबाद–अम्बाला पैसेन्जर और ५१-अप सियालदह–पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ियों के निर्धारित समय पर चलने में कुछ बाधा पड़ गई थी: —

(१) विवाह तथा गर्मी के कारण यातायात की भीड़ होने के कारण अनेक बार खतरे की जंजीर का खींचा जाना।

(२) मौसम में ताजा फलों तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का लदान उतरना।

(३) भारी वर्षा के कारण, विशेषकर नई बनाई गई लाइन पर अनेक इंजीनियरी प्रतिबन्धों का लगया जाना।

(४) नये इंजीनीयरी तथा सिगनलों पर पहिली वर्षा के प्रभाव के कारण सिगनल तथा नियंत्रण की असफलता।

---

†मल अंग्रेजी में

[1]Hybrid Jawar.

(ग) रेलवे प्रशासन इन रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलने की आवश्यकता पर गहरा और निरन्तर विचार कर रहा है। इन रेलगाड़ियों का चलना सुधारने के लिये सामयिक समय पालन आन्दोलन चलाये गये हैं। एवं ताजा फलों, विवाह और गर्मी का मौसम प्राय समाप्त हो गया है, इस कारण आशा है कि इन गाड़ियों के समय पालन में सुधार होगा।

समय पालन आन्दोलन की अतिरिक्त प्रस्तावित उपायों में बरेली मुरादाबाद सेक्सनों की संतृप्त इकहरी लाइन पर बिना टोकिन ब्लाक उपकरमिका की व्यवस्था, वाराणसी जफराबाद और मुरादाबाद--सहारनपुर सेक्शनों में लाइनों कोदोहरा बनाना और ३५१ अप--३५२ डाउन इलाहाबाद, अम्बाला साधारण यात्री गाड़ी को दो सेवाओं में, अर्थात् १-१०-६३ से एक इलाहाबाद और सहारनपुर के बीच और दूसरी सहारनपुर और अम्बाला के बीच बांटना शामिल है।

'सुपरसोनिक' विमान सेवा

†६७८. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में 'सुपरसोनिक' विमान सेवा चलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा बी० ओ० ए० सी० तथा आस्ट्रेलियन क्वान्टास एयरलाइन के साझे में चलाई जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथ

†६७९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चार राष्ट्रीय राजपथ बनाने का प्रस्ताव किया है जो राज्य में होकर जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सड़कों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने तत्पश्चात उस प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो उसपर क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). में किन्हीं भी चार विशेष सड़कों का विकास करके उन्हें राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई भी प्रस्ताव मध्यप्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ समय पहिले, उन्होंने दो निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने की प्रार्थना की थी :

(१) इलाहाबाद--रायपुर सड़क बरास्ता रीवा, शाहडोल, अमरकन्टक, क्योंची, विलासपुर, और सिमगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जबलपुर–रायपुर सड़क बरास्ता मण्डला, विछिया, मोतीनाला, पण्डी, कवरधा, वेमेताए और सिमगा ।

ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये हैं क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में विद्यमान राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार के लिए कोई उपबन्ध नहीं है ।

'जल विष्णु'

९८०. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मालवाही जहाज (जल विष्णु) २७ अप्रैल, १९६३ को कृष्ण सागर के तुर्क बन्दरगाह में फंस जाने के कारण नहीं आ सका; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने कर्मचारी और कितना माल था ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। बोस्फोर्स के उत्तरी जल मार्ग (नादर्न इंट्रेस) को पार करते हुए यह जहाज जमीन से टकरा गया।

(ख) इस जहाज में कप्तान सहित ५७ कर्मिक और ५६०० टन सामान्य माल था।

कोसी पल पुल

९८१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कुरसेला स्थान पर कोसी नदी पर पुल बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि रखी है ; और

(ग) यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) २,०५,२३,००० रुपये ।

(ग) काम अभी शुरू किया गया है और इसके पूरा होने में दो वर्ष लग सकते हैं।

मारवाड़ जंक्शन पर माल के डिब्बों का पटरी से उतर जाना

९८२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अप्रैल, १९६३ को मारवाड़ जंक्शन पर तीन मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने के माल का नुक्सान हुआ ; और

(ग) उतरने का क्या कारण था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

टेलीफोन के तार की चोरी

९८३. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६३ में दिल्ली में ८२ बण्डल टेलीफोन के तारों की चोरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिर भी सभा की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि २९ अप्रैल, १९६३ को जोरबाग टेलीफोन केन्द्र के अहाते से लोहे के तार के ९८ बंडल चोरी हुए थे और मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी, जो अभी तक अपराधियों का पता नहीं लगा सकी ।

कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन

९८४. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन पर सवारी गाड़ियों में भीड़ दिन प्रति दिन बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पठानकोट-जोगिन्द्रनगर सेक्शन पर तीन जोड़ी गाड़ियां चलती हैं जिनमें से एक जोड़ी गाड़ियों में भीड़ कुछ बढ़ी है ।

(ख) इस सेक्शन की ऊपर बतायी गयी एक जोड़ी गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ा कर ८ से ९ कर दी गयी है ।

जम्मू तथा काश्मीर में होटल

†९८५. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के किसी होटल-मालिक को जम्मू तथा श्रीनगर में पर्यटकों के लिये नये होटल बनाने के लिए १९६२–६३ में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार स्वयं होटल-मालिकों को वित्तीय सहायता नहीं देती। फिर भी, भारत का औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्तीय निगम नये होटलों के निर्माण के लिए ऋण देते हैं। नीति स्वरूप औद्योगिक वित्त निगम होटल-मालिकों के ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र टिप्पण के लिए पर्यटन विभाग को भेजता है। औद्योगिक वित्त निगम ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के होटल-मालिकों के ऋण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पर्यटन विभाग नहीं भेजा।

कोयले की खरीद

†९८६. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों द्वारा कोयला खरीदने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

गन्ना उत्पादकों को देय आस्थगित मूल्य

†९८७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना-उत्पादकों ने १९५८–५९ से १९६०–६१ तक कारखानों को जो गन्ना दिया उसके लिए कारखानों द्वारा उन्हें देय आस्थगित मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्यवाही का क्या फल निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां। इस कार्य के लिए गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकार नामक एक प्राधिकार बनाया गया है।

(ख) तत्पश्चात् १९५८–५९ और १९५९–६० के मौसमों के मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और केरल के चीनी के कारखानों के खातों की जांच आरम्भ कर दी गई है। अन्य राज्यों में स्थापित कारखानों के खाते और उपरोक्त राज्यों में स्थित कारखानों के बाकी काल के खाते बाद में लिये जायेंगे।

(ग) अब तक १९५८–५९ और १९५९–६० के मौसमों के लिए १२ कारखानों के खातों की जांच हो गई है। सभी कारखानों के खातों के पूरे होने पर और महान्यायवादी द्वारा अतिरिक्त मूल्य निर्धारित होने पर निष्कर्षों का पता लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पुल के साथ तेल की पाइप लाइन

†९८८. **श्री राम रत्न गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि तेल की पाइपलाइन रेलवे पुलों के साथ बनाई जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां, परन्तु कुछ रक्षात्मक कार्यवाही की जायेगी । इस ब्यौरे का बताना लोकहित में नहीं है ।

भारतीय नौवहन उद्योग में विदेशी पूंजी

†९८९. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ महीने पहिले भारतीय नौवहन में विदेशी पूंजी की मात्रा २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ४० प्रतिशत किये जाने के बाद क्या भारतीय नौवहन में विदेशी पूंजी लगाने का कोई नया प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ४० प्रतिशत विदेशी पूंजी के साथ नई नौवहन कम्पनियां बनाने के लिए कुछ लोगों ने सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । फिर भी, प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और ब्यौरा निश्चित होने तक उसके बारे में कुछ कहना ठीक न होगा ।

खाद्य विक्रेता संघ

†९९०. **श्री द्वारकादास मंत्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विक्रेता संघों ने अपने वार्षिक सम्मेलन में, जो दिल्ली में हुआ था, सरकार को कोई ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं । उन्होंने पुस्तिकाओं की प्रतियां भेजी थीं जिन में स्वीकृत संकल्पों का उल्लेख था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनरोपण

†९९१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर वनरोपण योजनाओं की सफलता का कोई मूल्यांकन किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष लगाये जाने वाले वृक्षों की संख्या और एक वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले वृक्षों में क्या अनुपात है; और

(ग) अब तक वनरोपण से (१) भूमि कटाव रोकने, (२) ईंधन तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ी की कमी पूरा करने और (३) ईंधन के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने में कहां तक सफल हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). नहीं। बागान एकड़ों के आधार पर लगाये जाते हैं न कि लगाये पड़ों की संख्या के आधार पर। सामान्यतया, बागान के बड़े होने तक नष्ट हुए पेड़ों को प्रति वर्ष स्थानापन्न कर दिया जाता है।

वन-महोत्सव वनरोपण के मामले में लगाये पेड़ों सम्बन्धी तथा एक वर्ष से अधिक बने रहने वाले पेड़ों सम्बन्धी जानकारी १९५९ तक की उपलब्ध है। बाद के वर्षों की पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तीन वर्षों के आंकड़े निम्न हैं :—

वर्ष	लगाये पेड़ों की संख्या	बने रहे पेड़ों की संख्या
१९५७ . . .	४,३६,०२,९०७	२,११,८६,६४३
१९५८ . .	३,६७,१०,७४२	१,९४,९६,६७८
१९५९ . . .	४,८६,३०,२८९	२,८६,५२,०१३

(ग) जानकारी के एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम होगा, परिणाम उसके अनुसार प्राप्त न होंगे।

अखिल भारतीय पहाड़ी विकास गोष्ठी

†९९२. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय पहाड़ी विकास गोष्ठी की जो अप्रैल, १९६३ में शिमला में हुई थी, व सिफारिशें क्या हैं जो सरकार ने स्वीकार की हैं;

(ख) उनकी कार्यान्विति के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) जिन योजनाओं को राज्य सरकारें वित्तीय कठिनाई के कारण आरम्भ करने में असमर्थ हैं, क्या उन के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५७५/६३।**]

नगेन्द्रनगर स्टेशन

†९९३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में जिला कछार में बजरघाट गांव में हाल में 'नगेन्द्रनगर' नाम से एक नया हाल्ट स्टेशन खोला गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या स्थानीय लोगों ने प्राधिकार द्वारा यह नाम रखे जाने का भारी विरोध किया है और उचित जांच-पड़ताल किये जाने तथा स्टेशन का नाम गांव के नाम पर अर्थात् बजरघाट रखने के लिए प्राधिकार को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस वास्तविक लोक-असुविधा को दूर करने और स्टेशन का नाम बजरघाट रखने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

(ख) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में रेलगाड़ी हाल्ट का नाम नगेन्द्रनगर रखने पर आपत्ति की गई है ।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकार के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में कृषि विकास

†९९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में अब तक प्रति वर्ष पंजाब सरकार को कृषि विकास योजनाओं के अनुदान या ऋण स्वरूप कितना धन दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में अब तक कृषि विकास की योजनाओं के लिए पंजाब सरकार को प्रति वर्ष निम्न अनुदान तथा ऋण दिये गये :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
	लाख रु०	लाख रु०
*१९६१–६२ .	८८.४६	९४.५४
**१९६२–६३ . .	१३०.०८	१७९.१२
***१९६३–६४ (अब तक) .	३.१३	—

*उपरोक्त आंकड़े समूचे वर्ष में वास्तविक व्यय के आधार पर अन्तिम रूप से समायोजित केन्द्रीय सहायता की राशि के हैं ।

**उपरोक्त आंकड़े पहिली वर्ष की तीन तिमाही में वास्तविक व्यय और अन्तिम तिमाही के अनुमानित के आधार पर अस्थायी रूप से स्वीकृत राशियों के हैं ।

***ये आंकड़े अब तक स्वीकृत या प्रशासकीय अनुमति प्राप्त राशियों के हैं । जानकारी अधूरी है क्योंकि राज्य की योजना की योजनाओं के स्वीकृति वर्ष के अन्त में दी जाती है ।

कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन

†९९५. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पांग बांध परियोजना की कार्यान्विति के लिये कांगड़ा घाटी में जवानं वाला शहर

†मूल अंग्रेजी में

से गुलेर तक वैकल्पिक रेलवे लाइन डालने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में किये गये अनेक सर्वेक्षणों का वांछित परिणाम नहीं निकला ; और

(ग) सर्वेक्षण पूरा करने और रेलवे लाइन डालना आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्शन के जवान वाला शहर और गुलेर के बीच रेलव लाइन के एक भाग को दुबारा बनाने सम्बन्धी सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया है। परियोजना रिपोर्ट, डिजाइन तथा ड्राइंग की तैयारी आरम्भ हो गई है।

(ख) क्षेत्र कार्य मार्च, १९६२ के आरम्भ में आरम्भ हुआ था और सितम्बर, १९६२ के मध्य में पूरा हो गया था। योजनाओं, आदि की तैयारी का कार्य जारी था जबकि नवम्बर, १९६२ में पंजाब सरकार के सचिव, और जनरल मैनेजर व्यास परियोजना ने उत्तर रेलवे को सलाह दी कि किये गये नवीनतम अध्ययनों के अनुसार जलाशय का उच्चतम स्तर, १००० वर्ष में एक की बाढ़ के रिकार्ड सहित, आर० एल० १४१५ आता है, जब कि पहिले आर० एल० १४०४ होना बताया गया था। रेलवे से प्राथना की गई है कि वह फिर आवश्यक सर्वेक्षण करे। पुनर्सर्वेक्षण पूरा हो गया है और परियोजना की रिपोर्ट, योजनायें तथा ड्राइंग बनाने का कार्य शुरू हो गया है।

(ग) आशा है कि परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन अक्टूबर, १९६३ के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। प्रस्तावित नये मार्ग पर लाइन डालने का प्रश्न इस पर निर्भर है कि राज्य सरकार रेलवे लाइन बनाने की लागत स्वीकार करे और इस पर भी निर्भर है कि वह निर्माण-कार्य कब आरम्भ करना चाहते हैं।

वाराणसी–गाजीपुर सड़क

९९६. **श्री सरजू पांडेय : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारस्ता गाजीपुर बलिया जाने वाली सड़क पर औडिहार के पास बन रहे पुल को वाराणसी-गाजीपुर वाली सड़क से मिलाने के लिये जिस प्रस्तावित सड़क का निर्मण हो रहा है उसे रोक देने के लिये वहां के आस-पास के किसानों की तरफ से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सड़क निर्माण से पांच-सात गांव के किसानों की खेती की सारी भूमि छिन जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, औड़िहार के पास मोहना घाट पर गोमती के पुल के पहुंच मार्गों के रेखांकन के विरुद्ध कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) चूंकि इन पहुंच मार्गों के निर्माण के लिये भूमि का केवल १५० फुट चौड़ा टुकड़ा लिया जा रहा है इसलिये कुछ किसानों की ज़मीन का कुछ ही हिस्सा उनके हाथ से निकल जायेगा न कि सारी जमीन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुल के पहुंच मार्गों के जिस रेखांकन का अनुमोदन इस विभाग द्वारा किया गया था वह उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करके पूरी तरह विचार करने के बाद तय किया गया था। फिर भी भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन पर प्रदेश सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

जन-दिनों का दान[1]

†९९७. **श्री गो० महन्ती** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा श्रम बैंक को दान में प्राप्त कुल जन-दिनों में से आंध्र प्रदेश में ८ लाख जन-दिन और उड़ीसा में ६ लाख जन-दिनों को उपयोग में लाया गया है ;

(ख) इन राज्यों में दान के तौर पर कितने जन-दिन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) उन का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) आन्ध्र-प्रदेश, में ६१९३५२ जन दिनों और उड़ीसा में ७४०९९८ जन-दिनों का उपयोग किया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ११७४६१७६ जन-दिन और उड़ीसा में ५९६६०८६ जन-दिन प्रतिरक्षा श्रम संघ को दान के तौर पर प्राप्त हुए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश में जन-दिनों का उपयोग भूमि को कृषि योग्य बनाने, चरागाहों का विकास, चारा और ईंधन वृक्षों को उगाहना, कटूर बंध करना, छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण एवं उन को नये ढंग से बनाना और संभरण नाले खोदना तथा चौड़ा करना, सिचाई कूपों की खुदाई, मिट्टी की सड़कों का निर्माण, नालियां बनाना और बाढ़ रक्षा कार्य, खाद के लिये गढ़े खोदने, मुर्गी पालन विकास और मछलियां पालने का विकास आदि।

उड़ीसा में, जन-दिनों का उपयोग सड़कों के निर्माण और मरम्मत, तालाबों और कुओं को ठीक करने, खाद के गड्ढे खोदने, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, ईंटें बनाने, खेतों की नालियां खोदने, बेकार भूमि पर खेती और उसे कृषि योग्य बनाना, स्कूलों तथा होस्टलों की इमारतों का निर्माण और मरम्मत, खरीफ और रबी कार्यक्रम, चारा तथा ईंधन, वृक्ष उगाना आदि।

कपास का उत्पादन

९९८. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कपास के उत्पादन की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या इस से मिलों की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) १९६२–६३ की कपास का अखिल भारतीय अन्तिम आगणन जिसने १९६२–६३ की कपास के क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुमान देने हैं, ने अभी तक उन्हें प्रकाशित नहीं किया है। वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि १९६२–६३ में कपास का उत्पादन १९६१–६२, जब कि ४५ लाख गांठें हुई थीं, से कहीं अधिक होने की सम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Donation of Man-days.

(ख) मिलों को मौसम में जितनी कपास की साधारणतया आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिये उत्पादन बहुत काफी होगा, फिर भी इसके अतिरिक्त कपड़े की उत्तम और अत्युत्तम किस्में बनाने के लिये उत्तम किस्म की आयातित कपास की आवश्यकता पड़ेगी ।

पर्यटन संबंधी गोष्ठी

†९९९. **श्री प्र० कें० देव :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई, में मद्रास में हुई पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी ने भारत सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) : भारतीय समाज कार्य सम्मेलन, मद्रास राज्य शाखा ने 'राष्ट्रीय एकता पर पर्यटन का प्रभाव' को मद्रास में १२ से १४ जुलाई, १९६३ तक एक गोष्ठी आयोजित की । इस गोष्ठी के आयोजकों ने अभी तक सरकार को गोष्ठी की कोई सिफारिशें नहीं भेजीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम तट का जल वर्णनात्मक सर्वेक्षण

†१०००. **श्री दे० जी० नायक** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिम तट और खम्भात की खाड़ी का जल वर्णनात्मक सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में प्रमुख वर्णन विशेषज्ञ और भारत सरकार के नाविक सलाहकार ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य करने का विचार करती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की जल वर्णनात्मक सर्वेक्षण समिति ने प्रमुख जल वर्णन विशषज्ञ तथा भारत सरकार के नाविक सलाहकार की सिफारिशों को, तटीय सर्वेक्षण का भावी कार्यक्रम तय करने के लिये मार्गदर्शन के तौर पर स्वीकार कर लिया है। पश्चिम तट पर श्रीवर्धन से बानकोट तक और मालवन तक सर्वेक्षण कार्य १९६३–६४ के आगामी सर्वेक्षण मौसम कार्यक्रम में समिति द्वारा शामिल कर लिया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् समूचे पश्चिम तट पर सर्वेक्षण इस प्रकार किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्रमांक

१ सर्वेक्षण कोरी क्रीकै

२ गोदिया क्रीक

३ कच्छ की खाड़ी (उत्तरी भाग)

४ कांडला पत्तन और वहां जाने के मार्ग

५ ओखा

६ खम्भात की खाड़ी (गोपी नाथ से सुलतानपुर शोल्ड तक)

७ बौसी बोरसी

८ उम्बेरगोंव

९ तारापुर

१० बम्बई पत्तन और व ां जाने के मार्ग

११ डाभोल

१२ जयगढ़

१३ गोआ पत्तन और मिलाने वाले मार्ग

१४ वेतुल

१५ कारवार

१६ बेलेकेरी

१७ होनावर

१८ भातकल

१९ मालेप

२० मंगलौर

२१ आज़ीकल

२२ बड़ागरू

२३ वेपुर

२४ कोचीन पत्तन तथा मिलाने वाले मार्ग

२५ अल्लप्पी

२६ वज़ि जय

२७ कोलाचेल

२८ मिनिकाय द्वीप

२९ अन्दरोप द्वीप

३० किलतन द्वीप

बाद के मौसमों के सर्वेक्षण कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष समिति द्वारा तय किये जायेंगे ।

I078(Ai)LS6

डाक तथा तार कर्मचारी

†१००१. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार प्रशासनिक कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को डाक व तार इकाइयों में चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में पदोन्नत होने की परीक्षाओं में बैठने दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं

(ख) पदोन्नतियां साधारणतया उसी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को दी जाती हैं । डाक व तार प्रशासी कार्यालयों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर डाक व तार इकाइयों की प्रतिष्ठानों पर नहीं होते, अतः उन को उन इकाइयों में पदोन्नति नहीं मिल सकती ।

हसन–मंगलौर रेल लाइन

†१००३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हसन-मंगलौर रेल लाइन परियोजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इस लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण चल रहा है । सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है और रेलवे द्वारा आवश्यक प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ।

चारा बैंक

†१००४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के समीप पड़ौसी राज्यों को, तुरन्त सहायता देने के लिये जिन के पास समय समय पर चारे की कमी हो जाती है, एक चारा बैंक स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) दिल्ली के समीप एक चारा भण्डार स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) अभी ब्योरा तय नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार साधन

१००५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस बीच उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में नये टेलीफोन एक्सचेंज, सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और वायरलेस केन्द्र खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के लिए इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। चौथी योजना के लिए अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० १५७६/६३।]

कृषि विकास

१००७. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने तीसरी योजना की अवधि में ३४ प्रतिशत राष्ट्रीय आय बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषि विकास के किसी कार्यक्रम की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उन को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में राष्ट्रीय आय को ३४ प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये कृषि विकास का राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् से कोई विशेष कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। परिषद् ने चुने हुए कृषि पण्यों की मांग तथा पूर्ति की दीर्घकालीन रूपरेखा तैयार कर के प्रकाशित की है परन्तु उस ने इस प्रकाशन में विकास के किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

सेतु समुद्रम परियोजना

†**१००८. श्री सेजियान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतु समुद्रम परियोजना सम्बन्धी प्राविधिक रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सेतु समुद्रम परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में उच्च अग्रता देने का विचार है ; और

(घ) प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य कब पूरा किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मई १९६३ में मद्रास सरकार ने भारत सरकार को सेतु समुद्रम परियोजना का संशोधित प्राक्कलन दिया। यह २६ फुट गहराई वाले जहाजों की आवश्यकता पर आधारित था। हाल ही में उन्होंने दूसरा संशोधित प्राक्कलन दिया है, जिसमें एक नहर की व्यवस्था होगी, जिस में, इस

---

†मूल अंग्रेजी में

आधार पर कि तूतीकोरिन पत्तन ऐसे जहाजों को लेगा, ३० फुट गहरे ज ाज चल सकेंगे। मद्रास सरकार ने पहले के लिए १५.५० करोड़ रुपये और बाद वाले के २१.७२ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। प्राक्कलन परिवहन विभाग के प्रविधिक अफसरों के विचाराधीन है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अभी बनाई नहीं गई। अतः इस समय बता सकना संभव नहीं है कि इस में कौन से काम शामिल किये जायेंगे या चौथी योजना में शामिल किये जाने वाले कामों को क्या अग्रता दी जायेगी।

(घ) अधिकतर अनुसंधान पूरा हो चुका है। नहर के बांध के दोनों ओर भूमि का सर्वेक्षण भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा करना शेष है। उस विभाग से आवश्यक निवेदन कर दिया गया है।

पंजाब में तार व सार्वजनिक टेलीफोन

†१००९. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना तथा तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में पंजाब राज्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन और तारघर मंजूर किये गये तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने आरम्भ हो चुके हैं और कहां पर, ; और

(ग) बाकी को लगाने में विलम्ब के क्या करण हैं और उन के कब तक लगाये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० १५७७/६३।**]

(ग) कार्य को करने का विलाम्ब का कारण लाइन तथा तार सामग्री की कमी और आपात-काल के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये जाने वाले अन्य काम। इन स्थानों पर वर्ष के अन्त तक इन के चालू हो जाने की आशा है।

स्वीडन और नार्वे से सहकारिता विशेषज्ञ

†१०१०. **श्री शं० ब० पाटिल** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यहसच है कि स्वीडन और नार्वे के सहकारिता विशेषज्ञों की सेवाएं उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के भारतीय प्रबन्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायता देने के लिये प्राप्त की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता ली जाएगी और क्या उन्होंने इस के बारे में भारतीय कर्मचारियों की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां।,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी समझौता इसलिये किया गया है ताकि तीन उच्च स्तर के विशेषज्ञ प्रस्तावित केन्द्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्था के लिये प्राप्त हो जाएं और ३–३ विशेषज्ञों के ४ दल, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के लिए सलाहकार के तौर पर काम करने के लिये, जहां व्यापक ढंग पर उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, प्राप्त होंगे। बातचीत प्रारम्भिक स्तर पर है और सहायता के स्वरूप के बारे में अभी कोई करार नहीं हुआ।

खाद्यान्न का आयात

१०११. श्री राम सेवक यादव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० ४८० के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाया गया किन-किन वर्षों का खाद्यान्न का भण्डार मौजूद है ;

(ख) वह किस मात्रा में है ;

(ग) क्या १९५५ से अब तक सड़ा हुआ अन्न नीलाम हुआ ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन वर्षों में और कितना-कितना तथा नीलाम के भाव क्या थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्राप्त तथा अन्य खरीद किए माल का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। अतः नीचे दी गयी सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त कुल मौजूद स्टाक के बारे में है :—

(३१–७–१९६३ को स्थिति)

प्राप्ति वर्ष	खाद्यान्न (मात्रा हजार मीट्रिक टनों में)
१९६०	४
१९६१	१०
१९६२	३०२
१९६३	१२६७

(ग) और (घ). खराब दशा में प्राप्त खाद्यान्न या भण्डार अथवा मार्ग में खराब हुए खाद्यान्नों का प्रतिवर्ष नीलाम कर दिया गया है। वर्ष के अनुसार मात्राओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	दर (परास) (रुपये प्रति क्विंटल, कुल)
१९५५	२६	३.३५ से १०.७२ तक
१९५६	१४८	४.३४ से १६.६६ तक
१९५७	७४०	२.६८ से १२.७४ तक
१९५८	४२७	२.०१ से १२.३६ तक
१९५९	७८१३	०.२५ से ३२.१८ तक

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	दर (परास) रुपये प्रति क्विंटल, कुल)
१९६० . . .	४८००	०.२५ से २५.५५ तक
१९६१ .	११४८८	०.२५ से २५.५५ तक
१९६२ . . .	५०९५	०.२५ से २५.५५ तक
१९६३ (जुलाई के अन्त तक) .	२४०८	०.२० से २५.५५ तक

हवाई अड्डे

†१०१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में वायु यात्राओं को बढ़ाने की सुविधाएं प्रदान करने के लिये देश भर में प्रादेशिक मार्गों पर हवाई अड्डों को सुधारने का बड़ा कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन-कौन से हवाई अड्डों को इस योजना के अन्तर्गत उन्नत किया जायेगा; और

(ग) इन हवाई अड्डों में क्या बड़ी-बड़ी उन्नतियां की जाऐंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). भारी तथा तेज विमानों को चलाने के लिये प्रादेशिक मार्गों पर कुछ हवाई अड्डों के धावन पक्षों को लम्बा करने/मजबूत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डाक तथा तार कर्मचारियों के तबादले

†१०१३. **श्री वाजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के विविध अनुभागों के कितने कर्मचारियों को नवम्बर १९६२ से लेकर आसाम और उपूसी क्षेत्रों में बदला गया है ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को वापिस बुला लिया गया है और कितने लोग सीमा कर्तव्य पर हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) से (ग). सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

पदावलि	भेजे गये लोगों की संख्या	बुलाये गये लोगों की संख्या	अभी तक जो आसाम में हैं	अतिरिक्त भत्ता
इंजीनियरिंग सुपरवाइजर	१६	—	१६	४५ रुपये प्रतिमास
रिसीटर स्टेशन सहायक	२४	६	१५	३५ ,, ,,
टेलीटाइपिस्ट	३६	२६	१०	३० ,, ,,
वायरलैस आप्रेटर	२	—	२	३० ,, ,,
पोस्टल सिगनेलर	७	५	२	३० ,, ,,

कांडला–जुंड परियोजना

†१०१४. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडला जुंड रेलवे के यातायात का सर्वेक्षण रेलवे विभाग द्वारा पूरा हो चुका है ।

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने का निश्चिय कर लिया है ;

(ग) समूची परियोजना पर क्या व्यय होगा ; और

(घ) योजना की कार्यान्विति में विलम्ब के क्या कारण है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जुंड कॉडला ब्राड गेज रेलवे लाइन का यातायात सर्वेक्षण जुलाई, १९६० में पूरा हुआ था। कांडला पत्तन में तथा वहां तक यातायात के भावी ढ़ांचे संबंधी किये जाने वाले अन्तिम सीमा बंधन संबंधी कुछ अनुसंधान परिवहन तथा संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए किये जा रहे हैं ।

(ख) यह तीसरी पंजवर्षीय योजना की अनुमोदित परियोजना है ।

(ग) १२.८९ करोड़ रुपये ।

(घ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ ।

चीनी का उत्पादन

†१०१५. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को चीनी उत्पाद में प्रोत्सहान प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य

†मूल अंग्रेजी में

सरकारों को १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी रकम दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). चीनी उत्पादन के लिए राज्य सरकारों और उत्तर प्रदेश सरकार को १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में दी गई सहायता इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	कुल खर्च	केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सहायता	केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता
१९५९–६०	१७८.३९	६३.४६	३२.५४
१९६०–६१	१५९.७२	५३.१२	२७.६९
१९६१–६२	११४.३३	३८.०२	११.२६

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियों के पाकिस्तानी चालकों की हड़ताल की धमकी

†१०१६. **श्री प्र० च० बरूआ :**
श्री हेम बरूआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और आसाम के बीच चलने वाली ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियों के पाकिस्तानी चालकों ने कम्पनियों को हल हो में हड़ताल की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान और चीन दोनों देशों द्वारा भारत की सीमाओं पर अपनी अपनी सेनाएं एकत्र करने की वर्तमान स्थिति में उक्त हड़ताल को टालने के लिये क्या कदम उठाये गये है ; और

(ग) हड़ताल पर उतारू होने के कथित कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं .

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातिया की भर्ती

१०१७. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए नौकरी सम्बन्धी क्या कोई विशेष निर्वाचन बोर्ड बनाने की योजना पर उनका मन्त्रालय विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब से लागू किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा सचार मत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

रेलवे बोर्ड

१०१८. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के हिन्दी विभाग में क्या कोई राजपत्रित पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भी सुरक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पदों को भरने की क्या चेष्टा की गई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे बोर्ड पुस्तकालय

१०१९. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में राजपत्रित और अराजपत्रित कितने पुस्तकाध्यक्ष काम करते हैं ;

(ख) इन में से कितने पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं ; और

(ग) इन जातियों के कितने व्यक्ति वास्तव में काम पर लगे हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक पुस्तकालयक्ष (लायब्रेरियन) (राजपत्रित) । एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष (अराजपत्रित)

(ख) कोई नहीं

(ग) कोई नहीं ।

रेलवे बोर्ड पुस्तकालय

१०२०. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में पिछले दस वर्षों में कितनी बार पुस्तकों की संख्या की जांच पड़ताल की गई ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कितनी पुस्तकें खो गई या चोरी चली गईं ; और

(ग) इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में हर दूसरे वर्ष पुस्तकों की जांच-पड़ताल की जाती है। इस के अलावा दिसम्बर १९६० और फिर जुलाई-अगस्त, १९६२ में विशेष जांच की गयी । विभागीय अफ़सर आकस्मिक जांच भी करते रहते हैं ।

(ख) अभी तक पुस्तकों के खो जाने या चुराये जाने की कोई घटना नोटिस में नहीं आयी है ।

(ग) ऊपर भाग 'ख' के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में पत्तन,

†१०२१. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश से तम्बाकू का निर्यात करने के लिए काकिनाडा, मसलीपत्तनम और कृष्णपत्तनम पत्तनों का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों को छोड़ कर अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर आश्रित है । तम्बाकू जैसी पृथक वस्तुओं की निर्यात सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । ऊपर निर्दिष्ट तीन पत्तनों के सामान्य विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध सम्मिलित है इस का ब्यौरा निम्न-लिखित है । **[पुस्तकालय में रखा गया । कृपया देखिय संख्या एल० टी० १५७८/६३ ।]**

विशेषाधिकार का प्रश्न

†**अध्यक्ष महोदय** : कल मुझे छै मंत्रियों के त्याग पत्रों को, स्वीकार करने के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा सदन से बाहर सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा के बारे में श्री रामसेवक यादव और श्री कपूर सिंह की सूचना प्राप्त हुई थी । मैं ने कल इस सूचना को स्वीकार नहीं किया था ।

आज डा० सिंघवी ने दो आधारों पर यही सूचना दी है : एक तो सभा के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, और दूसरा प्रथा के बारे में । इस प्रकार वह स्वयं संदेह प्रकट करते हैं कि क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह प्रथा का उल्लंघन है ।

मैंने कल श्री कपूर सिंह से यह पूछा था कि क्या यह संसद् को मंत्रियों की नियुक्ति करने उन्होंने पदच्युत करने अथवा पद से हटाने के बारे में कुछ अधिकार है अथवा यह प्रधान मंत्री का ही विशेषाधिकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Ports in Andhra Pradesh.

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : आप का विनिर्णय सुनने के बाद अब मैं यह नहीं कहता कि यह सभा का विशेषाधिकार है, किन्तु सौजन्यता का दावा तो यही है कि जनता के जानने के पक्ष से सभा इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाने ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन की बात समझता हूं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं ने यह कहा था कि यह विशेषाधिधकार का और साथ ही प्रथा का भी प्रश्न है और कुछ विशषाधिकार प्रथा पर भी आधारित हो सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्रियों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में सभा को कुछ करने का अधिकार है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रथा को देखते हुए मैं प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने की आशा करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल इस सभा के अधिकार की बात कर रहा हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जो कर रहा हूं उस को तो खत्म कर लेने दीजिये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस मामले में यह न केवल विशषाधिकार का प्रश्न है वरन् . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने कहा "न केवल", किन्तु विशेषाधिकार है कहां । क्या वे कोई संवैधानिक . . . . .

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं "मैं की संसदीय कार्य-संचालन" पुस्तक से उद्धृत कर सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सभा के विशेष नियम हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : नियमों में हमारे विशेषाधिकार संहिताबद्ध नहीं हैं ?

श्री राम सेवक यादव : इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि जहां तक रूल २२४ का सम्बन्ध है उस में यह नहीं दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से मसले होंगे जो विशेषाधिकार से सम्बन्धित होंगे । उस में साफ साफ दिया है :

(१) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे ;

(२) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा ;

(३) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है ।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री या अन्य मंत्री इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं । और जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है उन के बारे में भी वे इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं । अगर प्रधान मंत्री किसी मंत्री का इस्तैफा स्वीकार कर लेते हैं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए तो उस का तो सीधा अर्थ यह हो जायगा कि मंत्रियों का इस्तैफा मंजूर करना पार्टी के हित के लिए है । और इस तरह से छः छ मंत्रियों के इस्तैफे स्वीकार कर लिए गए तो यह भी कहा जा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम सेवक यादव]

सकता है कि अविश्वास के प्रस्ताव को प्रधान मंत्री ने मान लिया। इस का अर्थ होगा कि यह जो सदन सार्वभौमिक सत्ता से सम्पन्न है वह मातहत हो जाता है कांग्रेस संगठन के। यह प्रश्न इस सदन के सम्मुख रखा जाना चाहिए था जबकि बैठा हुआ है।

श्री त्यागी : मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अपना फैसला देना चाहता हूं और उस को हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे संविधान के अनुसार यह प्राइम मिनिस्टर का हक है कि वह अपनी काउंसिल आफ मिनिस्टर्स मुकर्रर करें और वह किस को रखते हैं यह उन की मर्जी पर है और यह उन का प्रिविलेज है कि अगर वह किसी दूसरे को चाहते हैं तो उस की सिफारिश प्रेसीडेंट को करें। इस हाउस को, अगर ऐतबार न रहे तो, वोट आफ नो कानफिडेंस लाने का हक है और उसे रिमूव करने का मोशन लाने का हक है। हाउस किसी खास मिनिस्टर के खिलाफ अगर चाहे तो सेंसर मोशन ला सकता है। बाकी इस में हमारा अधिकार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर किस को रखते हैं और किस को नहीं रखते हैं।

दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि उन्हों ने मिनिस्टरों का इस्तैफा मंजूर कर लिया है लेकिन हम तो देखते हैं कि मिनिस्टर साहिबान यहां बैठे हैं, गए नहीं हैं। अगर कोई चीज बाहर हो रही हो तो उस से मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम सेवक यादव ने रूल २२४ कोट किया है। उस में यह साफ़ है :

"विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है"

अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं तो उस में हाउस किसी वक्त भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता। कर्टसी की बात दूसरी है। जिस वक्त हाउस बैठा हो तो कर्टसी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब उस को बतलाएं। लेकिन यह उन की मर्जी की बात है। लेकिन इस वक्त तो यह सवाल भी पैदा नहीं होता। इसलिए यह जो मोशन लाया गया है, ब्रीच आफ प्रिविलेज का इस को कंसेंट देने से इसी वास्ते मैं ने इन्कार कर दिया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आप के विनिर्णय के विषय में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री नहीं अपितु राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति आदि कर सकता है। तब राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के पूर्व प्रधान मंत्री का इस प्रकार सार्वजनिक घोषणा करना क्या उचित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरा विषय है, मैं ने कहा था कि वह सिफारिश करें और अगर मेरे अलफाज से यह पाया जाता है कि सिफारिश के बारे में मैं ने नहीं कहा, तो यह मेरी गलती है, और उसको माडीफाई करता हूं।

†**श्री नाथ पाई** : मैं विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। समाचार-पत्र त्यागपत्र सम्बन्धी अफवाहों से भरे पड़े हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। मेरे अर्ज करने का मनशा यह है कि रेजिगनेशन का मामला जिस पर मेरे दोस्त ऐतराज कर रहे हैं, वह कायदे से अभी हमारे सामने आया नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो इनफारमेशन मैं उन को नहीं देना चाहता वह आप उन को दे रहे हैं ।

श्री त्यागी : दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं । यह प्रिविलेज का सवाल है । हर पार्टी के अन्दर जो भी लीडर होगा उस पार्टी का उसकी मेम्बरशिप होगी, वहां वह . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मेरा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

क्या श्री एस० एम० बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के कल के बयान के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : बाहर जो सरकार के बारे में अफवाह फैल रही है क्या मैं उस के बारे में सवाल कर सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : सवालात तो बेशक कर सकते हैं । तो इस वक्त ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन पर फैसला दे रहा हूं। मैं किसी हाइपाथिटिकल सवाल का जवाब नहीं देना चाहता । कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान हुआ है उसके बारे में अगर वह सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं ।

लाटीटीला में पाकिस्तानी झंडा फहराये जाने के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : १४ तारीख को जिस क्षेत्र में पाकिस्तान ने झंडा फहराया था उसे विवादग्रस्त क्षेत्र माना जाता है इसे किस आधार पर विवादग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है ? क्या इसी कारण पाकिस्तानियों ने वहां झंडा फहराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार लगातार सीमा का उल्लंघन किये जाने के बाद अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह विवादग्रस्त क्षेत्र है । यह पुराने रैडक्लिफ के पंचाट के निर्वचन का प्रश्न है । उस पंचाट में लिखित शब्दों और इस से संलग्न नक्शे के बीच कुछ असंगततायें हैं । नक्शे के अनुसार यह गांव पाकिस्तानी क्षेत्र में है जब कि नक्शे के साथ दिये हुए विवरण के अनुसार यह भारतीय क्षेत्र में है। इन बातों के निर्वचन का नियम स्वयं श्री रैडक्लिफ ने ही निर्धारित कर दिया था । असंगतताओं की स्थिति में लिखे हुए शब्द का मूल्य नक्शे की रेखाओं से अधिक समझा जायेगा । कुछ भी हो नक्शे में रेखा दी हुई है और पाकिस्तान कुछ समय से इस पर दावा कर रहा है । विभाजन के समय इस विषय पर विचार किया गया था । इस क्षेत्र में विभाजन नहीं किया गया है । हम ने इस प्रक्रिया में शीघ्रता करने का प्रयत्न किया जिस से किसी तरह मामले को निबटा दिया जाये । किन्तु किन्हीं कारणों से इस में देरी हो रही है । अब भी हम ने इस मामले का शीघ्र ही निबटारा करने के लिये कहा है और यह कहा है कि इस बीच, जैसा कि मैंने कल कहा था, यथापूर्व स्थिति बनी रहे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वे यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये सहमत हो गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ समय पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी इस बात से सहमत हो गये थे। इस समझौते के बाद भी उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। वहां के लोगों ने हमारे लोगों के खेत आदि के कार्य में हस्तक्षेप किया है। हम ने फिर उनसे शीघ्र ही विभाजन करने के बारे में कहा है, जिससे इस विषय का किसी प्रकार निबटारा हो जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान आसाम विधान सभा में लगाये गये इस आरोप की ओर गया है कि पाकिस्तानी झंडे फहराने वालों में एक व्यक्ति कांग्रेस का भी था। क्या इस बात के विश्वास करने के भी कारण हैं कि आसाम की सीमा के गैर-कानूनी रूप से आने वाले पाकिस्तानियों के प्रति सरकार की कमजोर नीति के कारण राष्ट्र-विरोधी बदमाश दंगा करवाते हैं और सजा से बच जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्, मैं ने ऐसा विलक्षण वक्तव्य नहीं पढ़ा जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। किन्तु में यह सूचना प्राप्त हुई है कि उस दिन सुबह पाकिस्तान से आये हुए लोगों ने चुपचाप यह छोटे झंडे लगाये थे ; उन्होंने स्वयं इन्हें फहराया और अन्य लोगों को भी यह काम करने के लिये बाध्य किया।

•**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : यह दूसरा प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी पहला तो खत्म हो लेने दीजिये।

†**श्री स्वैल** (आसाम—स्वायत्तशासी जिले) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि आसाम पुलिस के उस क्षेत्र में जाने के बाद पाकिस्तान राइफल्स ने उसे धमकाया और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के गोली चलाने का उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इन घटनाओं के कारण सरकार ने आसाम की सरकार से कहा है कि वह वहां के लोगों की रक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस तैनात करे। क्या अब तक वहां यह प्रबन्ध नहीं था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का वह अर्थ नहीं जो माननीय सदस्य समझ रहे हैं। किन्तु सशस्त्र पुलिस तैनात करके सामान्य सुरक्षा का प्रबन्ध करना एक बात है और स्थिति को बिगड़ने से संभालने के लिये कदम उठाना दूसरी बात। फिर यह कुछेक सशस्त्र पुलिसमैनों का ही प्रश्न नहीं रह जाता; अपितु बड़े पैमाने पर कदम उठाने का प्रश्न बन जाता है।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : पहली घटना १४ को और दूसरी ५ दिन बाद १९ को हुई। इस का अर्थ है कि इस काल में हम पर्याप्त रूप से उस क्षेत्र में गश्त नहीं लगा सके। ऐसी घटनायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता। बड़ी मात्रा में वहां सेना भेजने के अतिरिक्त हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जब तक यह मामला पूरी तरह नहीं सुलझ जाता तब तक यह घटनायें होती ही रहेंगी। इसलिये हम यथासम्भव शीघ्र विभाजन द्वारा मामला निबटाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर। मेरा उस से सम्बन्ध नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात ख़त्म हुई है। अब दूसरी बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इस के लिए पहले से मुझे आप इत्तिला दीजिये। इस तरह से बग़ैर नोटिस के एक दम से खड़े हो कर कोई भी बात कहना उचित नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इसकी कई बार इत्तिला दे चुका हूं। पहले जो इत्तिलाएं दी जाती हैं वह पता नहीं कहां जाती हैं। कई बार अध्यक्ष महोदय, हम आप के पास लिख कर इत्तिलाएं भेजते हैं परन्तु हमारी इत्तिलाएं आप के पास पहुंचती ही नहीं हैं। इसलिए मेरी बात आप कृपया सुन तो लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : यह गाजियाबाद के किसानों का मामला . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा भाव तो सुन लीजिये। मैं आपके आर्डर को मानता हूं और मैं बैठ जाता हूं। लेकिन मेरी बात आप सुन अवश्य लें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं स्वामी जी, वह मेरे पास नोटिस आ चुका है . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कछवाय (देवास) : अब अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आप के कहने से बैठ गया। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिये। मैं आप को एक सूचना दे रहा हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस तरीक़े से आप हाउस में कोई बात नहीं ला सकते यह मैं रोज़ कहता हूं। नोटिस सुबह आते हैं। इस मामले में नोटिस तीन, चार दफ़े आ चुके हैं और तीन, चार दफ़े मैं मेम्बरों से कह चुका हूं कि वह मैंने नामंजूर कर दिया है। इस हाउस को अधिकार नहीं कि उस में दख़ल दे। मेरे पास कल डा० लोहिया आये थे और मैं ने उन को यह समझा दिया था। जो दूसरों के नोटिस आये थे उन को भी मैं ने यही समझाने का यत्न किया है। अब बग़ैर नोटिस के हर रोज़ हर एक मेम्बर इस तरीक़े से हाउस में खड़ा हो कर बोलना शुरू कर देगा तो हाउस का नौरमल काम नहीं चल सकेगा। इसलिए स्वामी जी, अगर आप कोई नोटिस देना चाहते हैं तो मुझे लिख कर भेजें। अगर वह क़ायदे के मुताबिक होगा तो मैं उस को दाख़िल कर लूंगा और मैं उसे हाउस में उठाने की इजाज़त दे दूंगा। लेकिन इस तरीक़े से इजाज़त नहीं दे सकता कि कोई मेम्बर जब उसके जी में आये किसी भी समय खड़ा हो कर कहना शुरू कर दे। इस मामले पर बहुत विचार हो चुका है और अब मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब तीन आदमी एक वक्त खड़े नहीं हो सकते हैं।

पर रखा गया

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप ने जो कहा मैं उसे बिलकुल मानूंगा और वह हमें शिरोधार्य है। आप ने यह कहा कि यह केन्द्र का विषय नहीं है। इसी सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि संविधान का जो सातवां शैड्यूल है उस में जो सम्मिलित सूची है, ७०वीं लिस्ट . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य यह मानते हैं कि मेरा यह कहना कि यह केन्द्र का विषय नहीं है और इस पर यहां बहस की इजाजत नहीं दी जा सकती है, ग़लत है तो वे मेरे पास चम्बर में आयें और मुझे इस बारे में बतलायें कि कैसे वह ग़लत है। यहां बहस होती है फैसला नहीं होता है। इसलिए माननीय सदस्य मेरे पास अभी जब मैं उठ कर जाऊंगा मेरे पास आ कर मुझे समझायें। कल भी मैं ने लोहिया साहब को कहा था कि अगर आप के पास कोई चीज है तो ले आइये मेरे पास जिससे आप मानते हैं कि यह पार्लियामेंट इस पर बहस कर सकती है। मैं उस पर गौर करने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि अब इस को वे ख़त्म करें और हाउस का काम आगे चलने दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** मैं चावल कूटना उद्योग (विनियमन अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६९ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल० टी० १५६१/६३।]

भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** मैं विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत, दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७३ में प्रकाशित भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल० टी० १५६२/६३।]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा ने अपनी २१ अगस्त, १९६३ की बैठक में औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६३ पारित कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पर रखा गया

†**सचिव :** मैं औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६३ को, राज्य सभा-द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खंड़ों पर विचार लिया जायेगा । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्वाव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ६ सितम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

"कि यह सभा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन पर, जो २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री बेसरा अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : अभी कई सदस्यों ने भाषण देना है । इस चर्चा के लिये और समय दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा): श्रीमान्, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ५ घंटे इस के लिये निर्धारित किये गये थे। इस में से ४ $^{1}/_{2}$ घंटे इस में लग चुके हैं। अभी कई सदस्यों ने इस में भाग लेना है। इसलिये इस का समय बढ़ा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा को आगे बढ़ने दीजिये। इस के बाद मैं देखूंगा।

श्री बेंसरा (दुमका) : अध्यक्ष महोदय, आज आप ने मुझ को बोलने के लिए मौका दिया है, इस लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

ढेवर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध म कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

बिहार राज्य के अन्तर्गत सन्थाल-परगना जिले में अधिक से अधिक आदिवासी हैं। वे लोग कृषक हैं और उन लोगों की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। वे लोग बहुत परिश्रमी हैं। कृषि को छोड़ कर उन को कोई भी दूसरा सहारा नहीं है कि कोई रोजगार कर के वे अपनी जीविका का निर्वाह कर सकें। वे लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन उन लोगों में कोई भी कुटिलता नहीं है और वे बहुत सीधे-सादे हैं। अनपढ़ और सीधे-सादे होने के कारण वहां के महाजन भाई उन का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीब आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिये एस० पी० टेनांसी एक्ट के मुताबिक महाजन कानून पास किया है, लेकिन अब तक वह कानून लागू नहीं किया गया है। वहां के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी आदिवासियों का शोषण किया जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के गरीब आदिवासियों को बचाने के लिये हर एक पंचायत में एक एक ग्रेन-गोडाउन बनाया जाये। वहां पर यदि ब्लाक में कोई भी स्कीम सेंक्शन हो जाये, तो जमीन खुदवाने, बांध, तालाब और कुंए खुदवाने के लिये जो रुपया मन्जूर किया जाता है, वह किसी ठेकेदार को दिया जाता है। स्थिति यह है कि ठेकेदार २५ या ३० परसेंट का काम करते हैं और जो बाकी रहता है, उस को ठेकेदार, ओवरसियर और दूसरे हायर अथारिटीज़ मिल कर हड़प कर लेते हैं।

कोर्ट-कचहरियों में भी घूस देते देते वहां की जनता तबाह है। इस का कारण यह है कि कोई भी मुकदमा कम से कम तीन चार साल तक चलता रहता है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सरकार कोई कड़े कदम उठाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा का विकास करने के लिये जगह-जगह स्कूल खोल दिये हैं और नये नये स्कूल भी खोले जा रहे हैं। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि वहां के आदिवासियों के बच्चों की मातृभाषा सन्थाली होती है। इस लिए वे दूसरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि वहां के प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ सन्थाली-नोइंग टीचर्स को ही नियुक्त किया जाये। इस के अलावा सन्थाल-परगना में हर एक थाने में एक एक हाई स्कूल और हर सब-डिवीजन में एक एक कालेज खोलने की व्यवस्था की जाये।

हमारी सरकार को सिंचाई के लिये दांड़, बांध, तालाब और कुंए अच्छी तरह से खुदवाने के लिये कदम उठाने चाहिये। सन्थाल-परगना जिले में बहुत सी पड़ती जमीन पड़ी हुई है। उस पड़ती जमीन का गरीब आदिवासियों और हरिजनों के साथ बन्दोबस्त किया जाये। उस जमीन की मरम्मत करने के लिये या खुदवाने के लिये भी सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिये।

सन्थाल परगना जिले में आने-जाने की भी कठिनाई है। एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस लिये वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध करने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

ढेबर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये कुछ नाश्ते की व्यवस्था की जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में आदेश दिये जायें कि वह इस की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हायर क्लासिज के आदिवासी विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देने की भी कोशिश की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के सब पक्षों की ओर से समय बढ़ाने की मांग की गई है। अब इस चर्चा के लिये ५५ मिनट बचे हैं। कितना समय बढ़ा दिया जाये ?

†**श्री ना० नि० पटेल** (बुलसार) : सारा दिन।

†**श्री प्र० के० देव** : कम से कम दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये।

†**श्री स्वैल** (असाम स्वायत्तशासी जिले) : इसके लिये आज का पूरा दिन दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कितना समय लेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : लगभग ४५ मिनट।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें ४.१५ पर बुलाऊंगा और यह ५ बजे समाप्त कर दिया जाये। फिर भी समय-सीमा निर्धारित करनी होगी। सदस्य अपना भाषण दस मिनट में समाप्त करें।

†**श्री स्वैल** : १० मिनट का समय बहुत कम है। हमें गृह-कार्य मंत्री से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पीठासीन व्यक्ति इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या किसी विशेष मामले में अधिक समय दिया जाये। साधारणतया यह दस मिनट ही होगा। श्री स्वैल।

†**श्री स्वैल** : श्रीमान्, अखिर एक वर्ष बाद इस विषय को आरम्भ कर ही दिया गया है। न तो इस समय सभा में गृह-कार्य मंत्री ही हैं और न गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ही, केवल उप मंत्री ही यहां पर हैं। यह इस बात को प्रकट करता है कि आदिम जातिके लोगों के प्रति मंत्रालय का कितना उपेक्षापूर्ण रुख है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय के प्रभारी मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। फिर वह ऐसा क्यों कहते हैं कि दूसरे मंत्री नहीं हैं ?

†**श्री स्वैल** : अब मैं इस प्रतिवेदन पर आता हूं। आयोग ने बहुत सीमित समय में ही बहुत बड़ा कार्य किया है। आयोग को देश के विभिन्न भागों का दौरा करना पड़ा, विभिन्न प्रकार के लोगों का साक्ष्य लेना पड़ा और बहुत से विषयों का अध्ययन करना पड़ा।

जब श्री ढेबर वहां गये थे तब न तो मुझे ही न ही राज्य विधान मण्डल के मेरे सहयोगियों अथवा उनके प्रतिनिधियों को साक्ष्य के लिये बुलाया गया। प्रतिवेदन के परिशिष्ट से पता चलता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वैल]

है कि आयोग के समक्ष ऐसी समस्यायें रखी गई थीं जो आसाम सरकार के लिये कठिन नहीं थीं। श्री ढेबर द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र से प्रतीत होता है कि आयोग को अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। मैं समझता हूं कि ये समस्यायें सब प्रकार की—सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा सम्बन्धी और राजनैतिक थीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिम जाति के लोगों की, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, राजनैतिक समस्या ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस समस्या के सुलझाने से शेष सब समस्यायें सुलझ जायेंगी और यदि यह अनसुलझी पड़ी रही तो आयोग द्वारा की गई अथवा न की गई सिफारिशों का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा।

राज्य के अन्य भागों की तुलना में पहाड़ी आदिम जाति के लोगों की कुल मिल कर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिशतता अधिक है। १९६१ की जनगणना से यह बात स्पष्ट है।

उनका सामाजिक स्तर भी ऊंचा है और वह स्त्रियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं।

किन्तु अल्पसंख्यक होने के कारण राजनैतिक क्षेत्र में अपने कार्य स्वयं करने की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में भी उनका स्तर काफी ऊंचा रहा है। प्रजातन्त्र की भावनायें उनके रग-रग में भरी हुई हैं। नेता जी ने एक बार कहा था कि यदि भारत के लोग मूर्त प्रजातन्त्र देखना चाहते हों तो खासी पहाड़ियों में जाकर देखें।

१८३० में एक ब्रिटिश अधिकारी ने खासी दरबार देख कर यह उद्‌गार व्यक्त किये थे कि यह दरबार उसे रोमन सीनेट की याद दिलाता है।

उनमें देश भक्ति की भावना भी कूट-कूट कर भरी है। उन्होंने १८३२ में ही विद्रोह कर दिया था उनके मुखिया तिगेत सिंह के गिरफ्तार किये जाने तक वे संघर्ष करते रहे।१८६० में जैन्तिया पहाड़ियों के क्षेत्र में विद्रोह हुआ जो कि १८६३ में दबा दिया गया जब कि उनके नेता को पकड़ कर फांसी दे दी गई।

अब १९४७ को लीजिये। पाकिस्तान के समीप होने के कारण वे भी काश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते थे किन्तु स्वर्गीय निकल्सन राय के नेतृत्व में, जो प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत मित्र थे, उन्होंने अपना भाग्य आसाम और भारत के साथ जोड़ दिया।

किन्तु इस निर्णय के बाद परिस्थिति बदलने लगी। उनकी पूर्ति पाकिस्तान की मंडी समाप्त हो गई, उनकी अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई और आसाम की सरकार ने इस स्थिति को सुधारने में बहुत सुस्ती से काम लिया।

वहां शिक्षितों की प्रतिशतता अधिक होने के बाद भी उच्च शिक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं खोला गया। इस प्रकार की बातें चलती रहीं और अब उन्हें आसामी समुदाय में मिला लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह उन्होंने आसामी भाषा को राज्य भाषा घोषित करके किया जो वहां अल्पसंख्यकों की भाषा है। और यदि वहां के लोग भारत के ही अन्दर पृथक राज्य की मांग करते हैं तो यह अनुत्तरदायीपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। इस मांग का समुचित देशभक्तिपूर्ण आधार है।

श्री ढेबर के प्रतिवेदन में पहाड़ी क्षेत्रों के आदिम जाति वासियों की समस्या को नहीं छुआ गया। यह लोग समस्या के मूल तक नहीं पहुंचे हैं ।

इन पर्वतीय क्षेत्र पर संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्ध लागू होते हैं । संविधान को लागू हुए १२–१३ वर्ष हो गये हैं । क्या इस आयोग का यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस बीच इस बात की जांच करता कि छठी अनुसूची के उपबन्ध ठीक तरह लागू किये जा रहे हैं ।

१९५४ में श्रीमती खोंगमेन ने इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया था कि छठी अनुसूची के उपबन्धों में संशोधन किया जाये जिससे पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासियों को अधिक शक्ति, अधिक आत्मसम्मान की भावनायें, अधिक उत्तरदायित्व और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। उस समय प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है ।

१९५७ के बाद इस मामले को राज्य सरकारों के सुपुर्द किया गया। १९५९ तक इसी तरह चलता रहा। फिर एक आदिम जाति सलाहकार समिति नियुक्त हुई । १९६१ में भाषा विवाद के बाद आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का एक शिष्ट मंडल प्रधान मंत्री से मिलने आया। उन्होंने मांग की कि छठी अनुसूची में संशोधन किया जाय। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ढेबर आयोग ने तो इन बातों में विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी।

मेरे विचार में प्रतिवेदन में हमारी समस्याओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। सरकार नागा समस्या को हल करने के लिये तो सब कुछ करने को तैयार है, परन्तु इस समस्या के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेरे विचार में यदि इन पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को हल न किया गया तो बड़े भयंकर परिणाम निकल सकते हैं ।

†**श्री बसुमतारी** : संविधान के अनुच्छेद ३३९ में जो व्यवस्था है उसकी भावना के अनुसार ही ढेबर आयोग ने कार्य किया है। इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके समक्ष तो मुख्य काम यही देखना था कि देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों ने कहां तक उन्नति की है इस आयोग का प्रतिवेदन बहुत व्यापक और बड़ा है। और काफी स्थानों पर जाकर सब चीजों को देख और सुन कर तथा गम्भीर विचार के बाद परिणाम निकाले गये हैं। यह खेद का विषय है कि आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। यह बात ठीक है कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों का था। इसी दृष्टि से ही हमने इस बात पर जोर दिया था कि परामर्शदात्री परिषद् का सभापति सामान्यत राज्य का मुख्य-मंत्री ही होना चाहिए ।

इस के अतिरिक्त हम ने यह भी अनुरोध किया था कि बेगार प्रणाली को आदिम जाति क्षेत्रों में बन्द कर दिया जाना चाहिये। यही एक तरीका है जिस से कि आदिम जाति लोगों को साहूकारों के चगुंल से बचाया जा सकता है। साहूकार लोग उन का खूब शोषण कर रहे हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि आय व्यवहार में ऐसा करना कठिन महसूस हो रहा है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि आदिम जाति लोगों को जंगल क्षेत्रों में कुछ सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत रियायतें उन्हें प्राप्त हैं, उन्हें उन से छीना नहीं जाना चाहिए। उनकी आर्थिक प्रगति की दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन लोगों की आर्थिक प्रगति के कार्य को इस कारण खटाई में नहीं डाला जाना चाहिए कि वे लोग निरन्तर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं उनके प्रति हमारी नीति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अत: मेरा निवेदन है कि इस

श्री बसुमतारी :

दिशा में उपबन्ध बड़ी गम्भीरता से कार्यान्वित करना चाहिए । आदिम जाति क्षेत्रों में अधिक औषधालय खोले जायें । वहां के लोगों में कई तर के रोग बढ़ रहे हैं । फफोलों के रोग, कुष्ट रोग तथा अन्य कई प्रकार के रोग उनमें आम हैं और लगभग ७० से ८० प्रतिशत तक लोग इनसे पीड़ित हैं । सम्मेलन में जब हमने इस प्रश्न को उठाया तो मंत्री महोदय ने इसे गलत बता दिया मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जाय ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए जो संविधान में व्यवस्था है उसका आदर किया जाना चाहिए और ढेबर आयोग के प्रतिवेदन को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

†**श्री प्र० के० देव :** (कालाहांडी) : जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं । यदि यह न कहूं कि सरकार इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकी तो य मेरे लिये भी अपना कर्तव्य न करने के बराबर होगा । संविधान के ४६, और २७५ में इसके लिए बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है । खर्चका प्रबन्ध भी इन्हीं उप-बन्धों के अन्तर्गत किया गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये] ।

इस बारे में केन्द्रीय सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे राज्यपाल द्वारा किया जाता है । परन्तु आज की स्थिति में राज्यपाल नाम का ही मुखिया होता है । उसके कोई अधिकार नहीं होते । जिसके फलस्वरूप आदिम जाति लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता । उनके वन सम्बन्धी अधिकारों में, उनके भूमि के स्वामित्व के बारे में मद्यनिषेध के बारे में और आदिम जाति अर्थ व्यवस्था के बारे में उनके जीवन में निरन्तर बाधाएं आ रही हैं। भावनात्मक विरोध का यही मूल कारण है । उनके वन-अधिकारों की छीन ने से वन-ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं कि स्थान परिवर्तन खेती पर कानूनन पाबन्दी है । आदिम-जातीय लोग न जाने कितने समय से यह करते आ रहे हैं। इससे उनके लिये अनेक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। सरकार को स्थान-परिवर्तन खेती के बारे में अपने रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिये और जब तक आदिम जातीय लोगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवसाय का प्रबन्ध कर दिया जाये अथवा उनकी अच्छी भूमि पर न बसा दिया जाये, तब तक उनको सदियों पुरानी प्रथा से वंचित न किया जाये ।

राउरकेला में और जगन्नाथपुरी में विकास-कार्यों के फलस्वरूप विस्थापित हुए आदिम जातीय लोगों को अभी तक नहीं बसाया गया है । उनको वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया है। सरकार लाभ की दृष्टि से आदिमजातीय क्षेत्रों में मद्य-निषेध की संकोच वाली नीति पर जोर नहीं दे रही है । आदिम जातीय लोगों का वर्गीकरण सामान्यतः राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है । उन्हीं लोगों को एक स्थान पर आदिम जातीय माना गया है और अन्य स्थान पर उनको आदिम-जातीय नहीं माना गया है । अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय को अपने मंत्रीमंडल में एक आदिमजातीय प्रतिनिधि लेना चाहिए । मंत्रीमंडल में तो वह परिवर्तन कर ही रहे हैं और आदिमजातीय लोगों में योग्य व्यक्ति भी हैं उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो सक।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : श्री ढेबर द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह काफी बड़ा और व्यापक है। उन्होंने तथा उनके साथियों ने इस बारे में बहुत ही परिश्रम से काम लिया है । इस समस्या से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है । उन्होंने इन समस्याओं की छानबीन के लिए काफी क्षेत्रों का दौरा भी किया । इस बारे में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

सरकार को ऐसी अधिक संस्थायें खोलनी चाहियें जहां लोगों को आदिमजातीय क्षेत्रों में और आदिमजातीय लोगों के बीच काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके । लद्दाख, लाहौल और स्पीती जैसे आदिमजातीय क्षेत्रों को अनुदान देने की कसौटी जनसंख्या नहीं होनी चाहिये । उन क्षेत्रों के विकास के स्तर सम्बन्धित राज्य की वित्तीय स्थिति और सीमान्त जिलों की विशेष स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । राज्य उपक्रमों के कार्य पर भी ध्यान दिया जाये ।

कांगड़ा में छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल जैसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये। लाहोल में तो गद्दियों को अनुसूचित आदिम जातियां घोषित किया गया है परन्तु कांगड़ा और कुल्लू में, जहां वे लोग रहते हैं, उनकों अनुसूचित आदिम जातियां घोषि त नहीं किया गया है। इस विषमता को दूर किया जाना चाि ये । आयोग ने भी य: सिफारिश की है। सरकार को यह सिफारिश मान कर इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए ।

†**श्री दे० जी० नायक** (पंचमहल): इस प्रतिवेदन पर बोलने के लिए मुझे जो समय दिया गया है उसके लिए धन्यवाद । यह ठीक है कि प्रतिवेदन बहुत मोटा और व्यापक है परन्तु इस का सदन में ही नहीं सारे देश पर स्वागत हुआ है । श्री ढेबर भाई के प्रयत्नों से सभी इस प्रतिवदन के बारे में एकमत हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वैल इस प्रतिवेदन को पसन्द नहीं करते । मेरे विचार में उन्होंने प्रतिवेदन को ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं है ।

मेरा निवेदन य: है कि य: प्रतिवेदन एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज है । और यह क:ना कि इस में सभी वर्गों को उचित ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया बिल्कुल गलत बात है । आयोग के सदस्यों ने देश का बहुत व्यापक भ्रमण भी किया । ऊंचे से ऊंचे दुर्गम स्थान पर वे पहुंचे और दो वर्ष तक सारी सम्बन्धित समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते रहे। कम से कम १५००० लोगों से आयोग के सदस्यों ने भेंट की । और फिर जा कर कहीं य: प्रतिवेदन तैयार हुआ जिसे आदिम जाति लोगों की गीता क:ा जा सकता है । गृह-कार्य मंत्री ने इस प्रतिवेदन को बड़े सहानुभूति पूर्ण ढंग से लिया और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रयों तथा तत्सम्बन्धी मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया । मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि आयोग की सभी सिफारिशें सम्मेलन ने स्वीकार कर ली हैं । जो अभी स्वीकार नहीं की गयी, आशा है उन्हें भी स्वीकार कर लिया जायेगा । छः सितंबर को शास्त्री जी ने इसी सदन में य: भी घोषणा की थी कि जिन क्षेत्रों में ६६ प्रतिशत आबादी आदिम जाति लोगों की है वे सभी क्षेत्र आदिम जाति विकास खंडों के अन्तर्गत आ जायेंगे । यह दिन आदिम जाति लोगों के इतिहास में बड़े ही महत्व का है ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत ७ करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गयी जोकि १८२० खण्डों पर खर्च किया जाना है । योजना आयोग ने यह भी क:ा है कि जहां भी ५० प्रतिशत आबादी है वहां खंड स्थापित किया जाय । आदिम जाति लोगों को साहूकारों और ठेकेदारों के शोषण से पूरी तरह से बचाया जायेगा और आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० जे० नायक]

अब मैं आदिमजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर आता हूं । इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यद्यपि यह ठीक ही है कि गत दस वर्षों में इस दिशा में काफी कुछ किया गया है । सरकार को आदिम जाति लोगों के आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है । ये लोग सभी स्तरों में अभी निम्न दर्जे पर ही हैं । इस दिशा में काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है । विभिन्न राज्यों में आदिम जातीय लोगों के परिवारों की औसतन वार्षिक आय बहुत ही कम है । राजस्थान में एक परिवार की औसतन आय ६७७ रुपये वार्षिक है, जबकि परिवार की औसतन सदस्य संख्या वहां पर ५.४ है । मध्य प्रदेश में एक परिवार की औसतन सदस्य संख्या ६.५७ है और वार्षिक आय ६८७.१७ रुपये है । ६.८ सदस्यों के परिवार की आय गुजरात में ७०० रुपये है । यह सब उस हालत में है जबकि हम इतना विकास का कार्य कर रहें हैं ।

मेरा निवेदन यह है कि आदिम जाति खंडों में समूचे विकास कार्यक्रम पर पुनः विचार किया जाना चाहिये । कोई वर्तमान विकास कार्यवाहियों से आदिमजातीय लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा । आदिम जातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें की अधिक से अधिक व्यवस्था करने की सब से अधिक मांग की जा रही है । यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की कृषि और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये । भूमि, वन, पशुधन और ग्रामोद्योग के सभी संसाधनों को समेकित आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है । सरकार को यह भी देखना चाहिये कि वनों का प्रयोग करने में अनावश्यक प्रतिबन्ध न रहे । वनों में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

श्री **उटिया** (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस मसले पर बोलने का सुअवसर दिया । जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि मैं उन्हीं का नुमायन्दा हूं और उनकी समस्याओं से जन्म से ही परिचित हूं ।

ढेबर कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में आदिवासियों की जनसंख्या सवा दो करोड़ से ऊपर है और इसका एक पांचवांश याने ५० लाख आदिवासी हमारे मध्यप्रदेश में बसते हैं । आज़ादी मिलने के बाद हमारे क्षेत्र में दो, तीन बार राज्य पुनर्गठन होने से प्रशासन गड़बड़ रहा और १९५६ के बाद से अभी तक लगभग ७ वर्षों में प्रशासन में कोई सुधार हुआ है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता । भ्रष्टाचार तथा प्रशासन में ढिलाई, पक्षपात और लालफ़ीताशाही की हज़ारों शिकायतें आज भी बनी रहती हैं । इनकी वजह से जब आम जनता का ही कुछ भला नहीं हुआ तो बेचारे ग़रीब आदिवासियों की सुनवाई कैसे हो ? मध्यप्रदेश की सरकार ने आदिवासियों की हमेशा उपेक्षा की है । जिस प्रकार की समस्यायें एक साधारण नागरिक के जीवन में आती हैं, उसी प्रकार का जीवन एक ग़रीब आदिवासी का भी है । यदि यह बात सरकार समझ सकती तो आदिवासियों के कल्याण के लिये कोई विशेष योजना होती ।

मेरे प्रदेश में हर ५ आदमी में एक व्यक्ति आदिवासी है परन्तु उसकी गिनती ऐसे की जाती है जैसे वह है ही नहीं । कमिशन की रिपोर्ट भी यह बात मानती है । ज़रा ध्यान दीजिए । अनुसूचित क्षेत्रों तथा जंगलों के भीतर रहने वालों के उचित विकास के लिये राज्य तथा क्षेत्र स्तर के प्रशासन को चुस्त बनाना होगा । मध्य प्रदेश सरकार राज्य के खाते से आदिवासियों के लिये ४ करोड़ ९९ लाख रुपये में से सिर्फ १ करोड़ ९३ लाख खर्च रुपये कर सकी और केन्द्रीय सरकार के खाते से नियत

२ करोड़ २७ लाख में से १ करोड़ ५७ लाख रुपया । आदिवासी विकास खंडों के लिये डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया था जिसमें से १ करोड़ १७ लाख रुपया खर्च किया गया । अर्थात् दूसरी पंचवर्षीय योजना में, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की उन्नति के लिये जो रक़म दी गई थी उस का ६१ प्रतिशत खर्च नहीं किया जा सका । सरकार कितनी चुस्त है और आदिवासियों के प्रति कितना ध्यान दिया जा रहा है यह इसी बात से साफ़ हो जाता है ।

अब समस्याओं पर भी एक नज़र डालिये । हमारे यहां उद्योग धंधे ज्यादा नहीं हैं । आदिवासियों की इतनी बड़ी आबादी की आजीविका के मुख्य दो साधन हैं, खेती और जंगल । खेती के लिए कम से कम २५ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, ५० प्रतिशत ऐसे हैं खेत मज़दूरी करते हैं और बाक़ी २५ प्रतिशत के पास ज़मीनें हैं और उन में धनी लोग हैं । भूमिहीनों को ज़मीन देने की कोई योजना नहीं बनाई गई । जिनके पास हैं उनकी ज़मीन छुड़ाने की बड़ी योजनायें बनीं । अमलई में कागज़ का कारख़ाना बनाने के लिये सैकड़ों लोग बेदख़ल कर दिये गये । उन्हें उचित मुआविज़ा भी नहीं दिया गया और वे मज़दूरी की खोज में दरबदर भटकते फिर रहे हैं । कमिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरगुजा और रायगढ़ी ज़िले में वर्षों से पथरीली और चट्टानी ज़मीनों को उपजाऊ बना कर खेती करते आ रहे थे । उन से वे ज़मीनें या तो छीन ली गई हैं या उन्हें उन पर स्थायी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं । जो खेतिहर हैं, वे उन्हीं पुराने तरीक़ों से खेती कर रहे हैं । उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई, औज़ार, बैल, ट्रैक्टर और खाद आदि की सुविधायें प्रदान करने के लिए मेरे इलाके में कोई योजना नहीं के बराबर है । कर्ज़ देने के लिए जो सहकारी समितियां हैं, उन से कांग्रेस का चुनाव-प्रचार करने वालों को ही मदद मिलती है । उन में भी भ्रष्टाचार की हद है ।

किसान आदिवासियों पर पटवारियों के जुल्मों की एक अलग कहानी है । अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के नाम पर धन वसूल करने के लिये बड़े सख़्त तरीक़े काम में लाए गए, जिनकी ओर मैंने एक पत्र द्वारा माननीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, का ध्यान भी दिलाया था । सुरक्षा के नाम पर लूटा हुआ धन कोष तक पहुंचा है या नहीं, यह तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे शिकायतें मिली हैं कि उसका बहुत सा हिस्सा बीच में ही साफ़ हो गया है ।

आदिवासी गरीब होते हैं, भोले भी और अपढ़ भी । कचहरियों में उनको जो परेशानियां होती हैं, उनकी ओर मैं ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने समय-समय पर ध्यान आकर्षित कराया है । हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा भाग घूसख़ोरी में ही लुट जाता है । जंगल विभाग लूटता है, रेवेन्यू विभाग भी लूटता है और पुलिस भी लूटती है । जंगलों से लकड़ी बांस के द्वारा हमारे क्षेत्र के आदिवासी रोटी कमाते थे । परन्तु अब वे न तो लकड़ी काट सकते हैं और न ही अन्य पैदावार के द्वारा रोटी-रोज़ी कमाने की आज़ादी उन को है । बांस तो छूने को नहीं मिलता । दस बरस पहले हमारा इलाका बांस से भरा पड़ा था, परन्तु राज्य के वन मंत्री की मेहरबानी से कई करोड़ रुपयों का बांस काट कर राज्य के बाहर चला गया और सिर्फ़ एक पूंजीपति, बिड़ला, की तिजोरियां भरने के लिये हमारे क्षेत्र की लगभग ३५ लाख की आबादी को अपने पेट पर पत्थर बांधना पड़ता है । बांस की लीज़ एक बहुत बड़ा गोलमाल है, जिसकी ओर राज्य और केन्द्रीय सरकारों का ध्यान दिलाया जा चुका है । मैं मांग करता हूं कि इस लीज़ की जांच की जाये और मेरे क्षेत्र की जनता को यह बतलाया जाये कि उस से उसे क्या लाभ हुए हैं । यह तो कई लोगों की रोटी का सवाल है । जंगल की पैदावारों से रोज़ी कमाने के लिये शासन को चाहिए था कि वह उसकी ख़रीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियां बनवाती, परन्तु अभी तक मेरे क्षेत्र में एक भी ऐसी समिति नहीं है ।

[श्री उटिया]

आदिवासियों का गुजारा पशु-पालन से भी होता है, परन्तु वे पशु अच्छी नस्ल के नहीं हैं। उनकी उन्नति से दूध घी का व्यापार बढ़ सकता है, परन्तु कृषि तथा पशु-पालन विभाग नुमायशी काम के अलावा मानों कुछ जानता ही नहीं। मेरे इलाके में घने जंगल हैं, प ाड़ हैं, जंगली जानवर, जैसे बाघ, चीता, भालू, हिरन आदि, भरे पड़े हैं। गहरी घाटियां, नदी और नाले हैं, जहां शिकार तथा पर्यटन-केन्द्र खोल कर जनता की आय बढ़ाने के साधन पैदा किये जा सकते हैं।

गांवों में बीमारियों का प्रकोप होता रहता है, परन्तु सौ गांवों के पीछे भी एक अच्छा अस्पताल नहीं है—न ज़नाना अस्पताल और न मर्दाना अस्पताल। किसी-किसी जगह तो देहाती लोग वैद्य या ओझा की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। न तो उनको उचित सलाह मिलती है और न दवा। ज़चगी में मदद करने के लिए नर्सों को तो लोग जानते ही नहीं हैं। पीने के अच्छे पानी का भी बुरा हाल है। पांच गांवों के पीछे भी एक अच्छा कुआं मिलना मुश्किल है। रहने के मकानों में हवा का इन्तज़ाम नहीं है। गांवों की गलियों में गन्दा पानी बहता रहता है और कूड़े के ढेर रहते हैं। लोग गोबर के ढेर के पास सोते हैं, परन्तु इन सब में सुधार कर स्वस्थ जीवन की शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

लड़के-लड़कियों की पाठशालायें भी बहुत कम हैं। ग़रीबी इतनी अधिक है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी खेती-मज़दूरी करना या ढोर चराना पड़ता है। अधिकांश आबादी तो बेपढ़ी है। म लाओं की तरक्की या उनको सिलाई-बुनाई आदि की शिक्षा और अच्छी मां बनने की शिक्षा आदि की भी बड़ी ज़रूरत है। भारी जन-संख्या झौंपड़ों में रहती है। उनके लिए सस्ते परन्तु हवादार साफ़-सुथरे घर बनाने का काम बहुत आवश्यक रूप से किया जाना चाि ए।

स्थानीय संस्कृति की रक्षा, नागरिक भाव, देश की जानकारी आदि की उन्नति के लिए विशेष योजनायें ाथ में ली जानी चाहिएं। चीनी मले के बाद तो देश के बच्चे-बच्चे में जोश तथा एकता की जो भावना पैदा होनी चाि ए, व तो आदिवासियों के लिए भी ज़रूरी है, परन्तु उन बेचारों को देश का ही पता नहीं, फिर देशभक्ति क ं से होगी।

जैसा कि ढेबर कमीशन की रिपोर्ट में क ा गया है, राज्य तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन चुस्त होना चाहिए। आदिवासी विकास-खंडों की स्थापना, उनकी संख्या में वृद्धि के अलावा व्यापक तथा सर्वतोमुखी काम ाथ में लिया जाना चाि ए, जिसमें आदिवासियों के र प लू का ध्यान रखा जाये। ऐसी इकाइयों की स्थापना सब से ज़रूरी है। ढेबर कमीशन ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो सुझाव दिये हैं, उनसे साफ़ है कि उसने आदिवासियों के जीवन, आचार-विचार, खान-पान तथा सभी पहलुओं और समस्याओं का बड़ी ग राई से अध्ययन किया है। इस के लिए मैं कमीशन को हार्दिक धन्यवाद देता हुआ अन्त में दो चार शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

हमारे राज्य के कुछ क्षेत्रों, जैसे रीवां, श हडोल, सीधी और सतना में, माल कानून की धारा २४८ से ज़मीनें बेदखल की जाती हैं तथा धारा १७२ के अनुसार घर अपनी आराज़ी में बनाने के लिए मन्ज़रू मन्ज़ूरी की ज़रूरत होती है। ये दोनों धारायें हटाई जायें, क्योंकि इन दोनों धाराओं

से जनता अधिक परेशान है और बहुत ही ज्यादा लूटी जाती है । अभी मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था । वहां पर मुझे मालूम हुआ कि गिरवी मौज़ा, व्यौहारी तहसील, थाना जयसिंह नगर में एक ब्राह्मण को धारा २४८ के तहत हुआ जुर्माना न दे सकने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी । इसलिए मेरी बारम्बार प्रार्थना है कि इन दोनों धाराओं को हटा दिया जाये ।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री घुलेश्वर मीना (उदयपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ढेबर कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने से पहले इस कमीशन के चेयरमैन, ढेबर भाई, को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में जा कर आदिवासियों की स्थिति को देखा, समझा और बहुत से लोगों से मिल कर उन की दिक्कतों को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की ।

इस रिपोर्ट पर काफ़ी चर्चा हुई है और जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने इस बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है । मैं आप के द्वारा इस हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए जो कुछ भी वैल्फ़ेयर के काम हुए हैं, उन में से अगर किसी काम में अधिक से अधिक कमी रह गई है, तो वह है गवर्नमेंट सर्विसिज़ में उनका स्थान । जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन में ट्राइबल लोगों को उचित रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं दिया गया है। ढेबर कमीशन की रिपोर्ट को देखने से यह ज्ञात होता है कि १९५२ से ले कर १९६० तक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में जो एप्वायंटमेंटस हुईं, उन में आई० ए० एस० में ३३ में से सिर्फ़ ९ एपायंटमेंट्स ही ट्राइबल्ज़ को दी गईं । आई० पी० एस० में १९५२ से १९६० के दर्म्यान में २८ में से केवल तीन सीटें दी गई हैं । मेरा निवेदन यह है कि जब से संविधान लागू हुआ है, तब से ले कर अब तक जितनी सीटें भरी गई हैं और उनके बाद जितनी भी खाली रह गई हैं, उन को इस जाति के लोगों से भरने के लिए मंत्रालय की ओर से कोशिश होनी चाहिये । जितनी भी कमी तब से लेकर अब तक बाकी रही है, उस को पूरा करना मुश्किल नहीं होना चाहिये क्योंकि इस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवेलेबल हो रहे हैं ।

इसके अलावा जो सेंट्रल सर्विसिस हैं, उन को आप लें । १९५१ से ले कर १९५७ तक फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ १४, सैकिंड ग्रेड में ४९, थर्ड ग्रेड में ३१९० और फोर्थ ग्रेड में २११९ कर्मचारियों को लिया गया है । इन ग्रेड्ज़ में भी कई स्थान खाली पड़े हुए हैं । जब कभी भी शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग एप्लाई करते हैं तो यह कह कर कि सूटेबल कैंडिडेट्स आर नाट एवलेबल, दूसरी जाति वालों से उन जगहों को भर लिया जाता है । उन सीटों को नान-ट्राइबल्ज़ से फिल अप कर लिया जाता है । चूंकि धीरे धीरे ट्राइबल लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट बन रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट तक हो गये हैं, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये और उन से ये जगहें पूरी तरह से भरी जानी चाहिये । सूटेबल कैंडिडेट्स मिल सकते हैं लेकिन यह कह कर कि मिलते नहीं, दूसरों से उन जगहों को भर लिया जाता है । इस ओर आप का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

अब जो कम्पीटीटिव परीक्षायें होती हैं, जैसे आई० ए० एस० या हमारे राजस्थान में आर० ए० एस० या आर० पी० एस०, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इस प्रकार की जितनी भी परीक्षायें होती हैं, उन में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग दूसरी जाति वालों से कम्पीट नहीं कर सकते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी भी कम्पीटीटिव परीक्षायें हों, वे शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शैड्यूल्ड कास्ट्स दोनों की कम्बाइंड हों, जनरल जो कम्पीटीशन इनके लिए किया जाता है, उस से ये अलहदा होनी चाहिये । मैं मानता हूं कि कुछ सहूलियतें इन जाति वालों को मिली हुई हैं,लेकिन वे काफी नहीं हैं, सेफिशेंट नहीं हैं । इस प्रकार की कम्पीटीटिव

[श्री धुलेश्वर मीना]

परीक्षायें अगर अलग से की जायेंगी तो वे इन में पास होने की योग्यता प्राप्त कर सकेंग और इस प्रकार की सर्विसिस में आ सकेंगे । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सोचें कि क्या इस तरह से इन जातियों के लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्या वे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं । अगर आप इनके लिए अलग से परीक्षा नहीं रखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जनरल कम्पीटीशन में कम्पीट करके ये आगे नहीं आ सकते हैं ।

शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का जो रिजर्वेशन है और जो साढ़े बारह परसेंट है, वह दोनों का कम्बाइंड है । आप को अच्छी तरह से मालूम है और ढबर कमीशन ने भी साफ शब्दों में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मुकाबले में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग सभी मानों में बैक्वर्ड हैं । इसलिए जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की सीटें भी शैड्यूल्ड कास्ट्स के कैंडीडेट्स के द्वारा फिल अप कर ली जाती हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस साढ़े बारह परसेंट में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का जो रिजर्वेशन है, वह अलग कर दिया जाना चाहिये ।

कम्पीटीटिव परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आल इंडिया लेवल पर जो इलाहबाद कोचिंग सेंटर है, वह सारे देश के अन्दर अपनी किस्म का अकेला है । वह एक ही है । मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार के कोचिंग सेंटर प्रत्येक स्टट के अन्दर खोले जाने चाहियें और अगर ऐसा किया गया तो यह बहुत ही अच्छा होगा । अगर आप इस स्थिति में न हों कि इस प्रकार के सेंटर प्रत्येक स्टेट में खोल सकें, तो मेरा निवेदन है कि इनकी संख्या को तो आप अवश्य ही बढ़ायें ताकि दक्षिण भारत के लोगों को या पूर्वी भारत के लोगों को जो दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, उन में कमी आ सके ।

जैसा कि आदरणीय वर्मा साहब ने पिछले साल अपनी स्पीच में बताया था ट्राइबल लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति गिरी हुई होने के कारण एजुकेशन प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं । वहां पर जो एग्रिकलचर कालेज है, उसके अन्दर अब तक एक भी विद्यार्थी इस जाति का नहीं था । दो साल पहले एक विद्यार्थी को किसी प्रकार से एडमिशन दिलाया गया । लेकिन दुर्भाग्य से उसे वजीफा नहीं मिला और इस कारण से उसकी उस साल की एजूकेशन खत्म हो गई । लेकिन उसने किसी प्रकार से सात आठ सौ रुपया लेंड मार्टगेज बैंक से या कहीं और से रुपया उधार लिया और अपनी स्टेडी को एक साल के लिये और कंटीन्यू किया। दूसरे साल भी उसे अपनी स्टडी जारी रखने के लिए वजीफा नहीं मिला । मजबूर हो कर दूसरे साल के बाद उस को अपनी पढ़ाई खत्म करके घर बैठना पड़ गया । इस तरह की जो बातें होती हैं, इन को रोका जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो टैक्नीकल कोर्सिस हैं, उन के लिए शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को वज़ीफा अलग से दिया जाना चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वज़ीफा दिया जाता है, अर्थात् स्कालरशिप दिया जाता है, वह साल के एंड में दिया जाता है, आखिर में दिया जाता है जबकि उन्हें अपनी पुस्तकें या अपने इंस्ट्रुमेंट्स वगैरह खुद की जेब से खरीदने पड़ते हैं । इतना पैसा वे अपने पास से नहीं ला सकते हैं । साल के एंड में वजीफा देने से उस विद्यार्थी की उस साल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अगर वह किसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी भी रखता है, तो उसे फेल हो जाना पड़ता

है ऐसे प्रकार की जो उनकी दिक्कते हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन दिक्कतों के कारण अगर टैक्निकल कोर्स के अन्दर कोई विद्यार्थी दूसरे साल फेल भी होता है किसी कारण से तो उसे पूरा स्कालरशिप नहीं तो कम से कम दूसरे साल आधा स्कालरशिप अवश्य दिया जाना चाहिये ।

बसुमतारी साहब ने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शैड्यूल्ड कास्ट के लिए अब जो एक कमिश्नर है, उसकी जगह दो कमिश्नर अलग अलग होने चाहिये। एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होना चाहिये और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए होना चाहिये। मैं उनकी यह जो बात है, इससे सहमत हूं। अगर दोनों के लिए अलग अलग कमिश्नर होते हैं तो वे दोनों शेड्यूल्ड कास्ट्स की और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की अलग-अलग से इंटेंसिव स्टेडी कर सकते हैं, उन दोनों की अलग अलग से क्या दिक्कते हैं, इसको देख कर इनका हल सुझा सकते हैं, गहराई से उनकी समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इस सुझाव पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अभी यह कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए जो एडवाइज़री कमेटी स्टेट में होती है उसमें चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस एडवाइज़री कमेटी का जो चेयरमैन हो, वह भी चीफ मिनिस्टर ही होना चाहिये और साथ ही उसमें ट्राइबल लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह जानने वाले लोग होने चाहियें।

ट्राइबल लोगों के जो आम प्राबलैम्ज़ हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो लोग गांवों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट काफी हद तक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है और कर रही है। पिछले साल मन्त्री महोदय ने अपनी स्पीच में बताया था कि सरकार आदिवासियों की भलाई के लिए धीरे-धीरे काफी ब्लाक खोल रही है। ब्लाक खोलने का मतलब यह नहीं कि ब्लाक खोला जा रहा है लेकिन उस में काम कुछ न हो। आज होता यह है कि शिक्षा की दृष्टि से लड़कों को पढ़ाने के लिये नये नये स्कूल खोले जा रहे हैं, उनका सैंक्शन हो रहा है लेकिन साल साल तक उन में टीचर नहीं रहते हैं। दूसरे साल वह स्कूल बन्द हो जाते हैं और दूसरे स्कूल खोल दिये जाते हैं। आज ब्लाकों में काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि काम चाहे कम हो लेकिन जो कुछ भी हो वह सही ढंग से किया जाना चाहिये ।

इसी के साथ दूसरा सवाल टीचर्स के रखने का हो जाता है। मान लीजिये कोई यू० पी० का रहने वाला टीचर है उसको राजस्थान के किसी प्राइमरी स्कूल में ले जाकर लगा दिया जाता है, तो उस को बड़ी दिक्कत होती है। उसको ट्राइबल एरिया में जाकर बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसे वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और न वहां किसी प्रकार का उसके आमोद प्रमोद का सामान होता है। ऐसी स्थिति में वह जल्दी से जल्दी पहाड़ों से भागना चाहता है। इस प्रकार का टीचर वहां के लड़कों को पढ़ा नहीं सकता है। लोकल एरिया का रहने वाला, जो कि लोकल लैंग्वेज जानता हो, लड़कों को ज्यादा अच्छी तरह अपने वश में कर सकता है। इस तरह का टीचर हर एक एरिया में भेजा जाना चाहिये ताकि वह उन लोगों की कठिनाई को समझे और अच्छी तरह से पढ़ा सके ।

खेती के सम्बन्ध में जो भी विकास कार्य ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के द्वारा किया जाता है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। कारण यह है कि वहां पर चाहे जितना भी पैसा खेती के नाम पर लगाया गया हो, लेकिन कुछ लोग जिनको ग्राम सेवक या पटवारी कहा जाता है, वे किसानों को हर प्रकार से परेशान करते हैं। मगर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। जो आदमी जमीन को जोतता है, उस पर खेती करता है, जब तक उस को जमीन पर खेती करने वाले को, आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं दी जाती है तबतक वह अच्छी तरह से खेती नहीं

[श्री धुलेश्वर मीना]

कर सकता। क्योंकि उस पर सभी प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। उसे डर बना रहता है कि पता नहीं किस समय पर पटवारी किस समय ग्राम सेवक आ जाय और वह कैसे मेडबन्दी करे या एक्स्टेंशन करे। एक-एक इंच जमीन के लिये ग्राम सेवक और पटवारी जा कर झगड़ा खड़ा करते हैं। ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि किसानों के लिये, खेती में काम करने वालों के लिये इस प्रकार के कानून बनाये जाये जिसमें पटवारी और ग्राम सेवक जा कर उन को सता न सके।

उपाध्यक्ष महोदय, कहना तो मुझे बहुत कुछ था लेकिन चूंकि समय नहीं है इस लिये इतना कह कर मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री ना० नि० पटेल (बुलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में हमारे श्री नायक ने बतलाया कि यह रिपोर्ट जो है वह रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक गीता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे हिन्दू शास्त्र के अन्दर जितना गीता का महत्व है उसी प्रकार से यह रिपोर्ट हमारे आदिवासियों के लिये गीता का रूप है। कोई भी हिन्दू सुबह उठ कर गीता का सबसे पहले स्मरण करता है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस रिपोर्ट को, हमारी गीता को, छपे हुए दो साल हो गये लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहस होती है। इसके अन्दर जो अध्याय दिये हुये हैं उनका इम्प्लेमेंटशन कब होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस गीता के अन्दर हम आदिवासियों के सुधार के लिये जो अध्याय लिखे गये हैं वे बड़े अच्छे हैं लेकिन उनके अलावा कुछ बातें इसके अन्दर आने से रह गई हैं, उनको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

इस रिपोर्ट के अन्दर सब प्रदेशों के बारे में तो दिया हुआ है लेकिन एक प्रदेश के बारे में जिसके तीन तरफ हमारा गुजरात है, जिसमें पोर्चगीज शासन था और जिसको दादरा और नगर हवेली कहते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। जिस वक्त यह रिपोर्ट छप रही थी उस वक्त तक वह मुक्त नहीं हुआ था, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं था, इसलिये उसका नाम इस रिपोर्ट में नहीं आया। इस एरिया की पापुलेशन का ८० टका से ज्यादा आदिवासियों का है। दादरा और नगर हवेली जो है उसके तीन तरफ मेरी कांस्टिटुएन्सी लगी हुई है। धर्मपुर ताल्लुका, बार्डी ताल्लुका और उमर गांव ताल्लुका, यहां की पापुलेशन भी ६० टका से ज्यादा आदिवासियों की है। दादरा और नगर हवेली में पहले से पोर्चगीज शासन होने की वजह से वहां अभी तक प्राहिबिशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से हालत यह हो गई है कि दादरा और नगर हवेली के जो आदिवासी हैं वे तबाह हो गये हैं और और भी हो रहे हैं जो मेरी कांस्टिटुएन्सी है, जो कि गुजरात स्टेट में है, वहां पर प्रोहिबिशन है इसलिये वहां के जो आदिवासी लोग हैं वे दादरा और नगर हवेली में जाते हैं और पैसा खर्च करके दारू और ताड़ी पीकर सत्यानाश को प्राप्त हो रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि जल्दी से जल्दी दादरा और नगर हवेली में भी प्रोहिबिशन होना चाहिये क्योंकि आप सारे देश में प्रोहिबिशन करना चाहते हैं। ऐसा न होने के कारण वहां के लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है और उसको सुधारना चाहिये। जैसा मैंने बतलाया आपको यह बात हमारी इस गीता में नहीं है और इसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

दूसरे बात हमारे गुजरात सम्बन्धी चैप्टर ३३ में लिखी है कि :

"यह राज्य सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से अभागा रहा है।"

यह बिल्कुल सही बात है। जो मेरी कांस्टिटएन्सी है वहां पर इर्रीगेशन की योजनायें तो चल रही हैं लेकिन खास कर डांग, बांसरा, बार्डी और धर्मपुर विभाग में माइनर इर्रीगेशन की शक्ल नहीं है। वहां पर कुएं भी नहीं हो सकते क्योंकि वह हिस्सा हिली है, राकी है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो वहां पर माइनर इर्रीगेशन का इन्तजाम हो सकता है। वहां पर छोटी-छोटी नदियां हैं, अगर उस विभाग में छोटे छोटे बांध बना दिये जायें और उनके अन्दर छोटे छोटे माइनर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स बनाई जाय तो हमारा काम ठीक से चल सकता है। वहां पर जमीन बहुत है मगर पानी की सुविधा नहीं है। इसकी

वजह से वहां पर खेती अच्छी नहीं हो सकती। इसके ऊपर भी मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारी इस गीता में सूरत डिस्ट्रिक्ट में दुबला, बारली, और भील लोगों का तो उल्लेख है लेकिन धोड़िया लोगों का जो कि सूरत में बड़ी संख्या में हैं कोई उल्लेख नहीं है। इसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। य अच्छी नीति है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन है। लेकिन जब पोस्ट भरने का वक्त आता है तो कहते हैं कि सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सूटेबिल किस को कहा जाता है। यह मैं कबल करता हूं कि आदिवासी और रिजन बेचारे जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले हैं इसलिए वे देखने में अच्छे नहीं होते—नाट नाइस लुकिंग। अगर इस वज से उनको नौकरी में नहीं लिया जाता तो यह मेरी समझ में नहीं आता। और जिनको ले लिया है, जैसे रेलवे में, पोस्ट आफिस में और बलाक्स में, उनको प्रोमोशन नहीं मिलता। इस प्रकार आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टें हों उनके लिए नान आफिशियल्स का एक कमीशन होना चाहिए और अगर इस प्रकार की शिकायत पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास आवे कि किसी सूटेबिल कैंडीडेट को इन जगहों पर नहीं लिया गया है तो वह कमीशन उसकी सुनवाई करे। इस बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यल्ड ट्राइब्स के लिए अलग-अलग कमिश्नर होने चाहियें तब उनका काम अच्छी तरह हो सके। हमारे दयाभाई जी ने भी, जिन्होंने हजारों मील की यात्रा करके इस गीता को बनाया है, कहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो र। है। शास्त्री जी ने भी यही बतलाया है। जो हमारे लिए स्कीमें हैं अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो जितने ब्लाक हैं उनके अन्दर बहुत करके शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसर आपको रखने चाहिएं और उनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, सरकार की नीति हरिजनों और आदिवासियों के लिए अच्छी है,लेकिन जो अफसर हैं वे उनको आगे नहीं आने देना चाहते। इस काम को वही कर सकता है जो कि इन लोगों के दु:ख को जानता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जो ब्लाक बनाने जा रहे हैं उनमें चीफ आफिसर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसर रखे जाने चाहिएं जिससे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो, पैसे का खर्च ठीक से हो और योजना कामयाब हो।

इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी लिखा है। लेकिन मुझे अपनी स्टेट का अनुभव है कि इन लोगों की कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने इंटरवीन किया, कारेसपोंडेंस की और जहां जहां जाना था उन लोगों के साथ गए और कोशिश की मगर छः छः सात सात सालें हो गयीं आदिवासियों की हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन एक्वायर नहीं हो पा रही है। और उन लोगों से ऊपर से कहा जाता है कि तुम एम० पीज और एम० एल० एज के पास क्यों जाते हो। क्या यह कोई इन्साफ है। जिस केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह सारा कारोबार है, अगर वह पूरी कोशिश से इस उद्देश्य को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है और मुझे भय है कि जो हमारी यह गीता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और जो हमारे माननीय ढेवर जी ने और इस कमीशन के अन्य सदस्य गण ने जो प्रयास किया, खर्चा किया और मेहनत की वह सब बकार जायगी।

श्रीमती जमुना देवी (झाबुआ) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज ढेंवर कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने पेश है और उस पर चर्चा चल रही है। मैं इसके अध्यक्ष को और सदस्यों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और सारे देश घूम घूम कर इस किताब को लिखा

[श्रीमती जमुना देवी]

है और इस में हमारी सारी समस्याओं को रखा है, और इस प्रकार इस को एक गीता का रूप दे दिया है ।

आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी हैं । हर प्रान्त में एडवाइजरी बोर्ड बने हुए हैं, वे भी इन आदिवासियों की समस्याओं पर विचार करते हैं । यहां पार्लियामेंट में हम उस को एक बड़ा रूप दे सकते हैं क्योंकि यहां पर होम मिनिस्टर महोदय हैं और यहां पर सारे प्रान्तों की समस्याओं की चर्चा हो सकती है । हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रान्तों में बड़े बड़े गवर्नर बैठे हैं । और भी बहुत से त्यागी तपस्वी लोग बराबर आदिवासियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न चलाते रहते हैं । लेकिन इतने बड़े लोगों का हाथ इन के सिर पर होने के बावजूद इन लोगों का सुधार नहीं हो पा रहा इसका क्या कारण है ? कहां पर गलती है, इस को आज तक भी सरकार नहीं समझ पायी है सरकार यह नहीं समझ पायी है कि इन आदिवासियों को किस ढंग से सुधारा जाए और कैसे उन की स्थिति संभले ।

सरकार ने यह मान लिया है कि हम इन का सुधार और उद्धार शासकीय मैशिनरी के द्वारा ही कर सकते हैं । यही मुझे अब तक देखने में आया है । जितने भी आदिवासी अब तक सुधरे हैं और जो यहां चुन कर आए हैं वे गैर-शासकीय संस्थाओं के द्वारा सुधरे हैं और उन को जो सहूलियतें दी गयी हैं उनको समझते हैं । लेकिन जो काम शासकीय मैशिनरी द्वारा हो रहा है उस से तो इस कौम का विकास नहीं हो सकता ।

शासन ने बहुत सी स्कीमें बना कर आदिवासियों के लिए दी हैं लेकिन उनका बराबर पालन नहीं होता और जो उन का पालन करने वाले हैं बड़े बड़े अधिकारी, डाइरेक्टर, कमिश्नर और दूसरे स्टाफ के लोग बैठे हैं, वे नहीं चाहते कि ये आदिवासी लोग उनके बराबर के स्तर पर आ जाएं ।

एक माननीय सदस्य : यह बात गलत है ।

श्रीमती जमुना देवी : आप ध्यान से सुन लीजिए । बैठे रहिए ।

तो यह दृष्टिकोण है । यदि यह दृष्टिकोण न होता तो ये लोग आप वर्षों से इस प्रकार पिछड़े न पड़े रहते और समाज में और लोगों के बराबर आ सकते थे । लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है । और मैं मंत्राणी जी से आशा करती हूं और मैं खास कर कहना चाहती हूं कि अगर आप को इन गरीबों के प्रति हमदर्दी है और आप उन के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन लोगों को जिन लोगों ने आपकी योजनाओं की अवहेलना की है तत्काल दंड दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए । हो सके तो उन को डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए । जब तक आप ऐसा ऐक्शन नहीं लेंगी आदिवासी अपनी जगहों पर ही रहेंगे । न उनको महल चाहिए, न उन को धन चाहिए और न और कुछ । आप जो उनको दें उस में उनको संतोष है । लेकिन यह देखना चाहिए अगर उनका सुधार करना है तो उन के प्रति दृष्टिकोण बदला जाए । मेरा यह सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्कस को उन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय । अशासकीय संस्थाएं जैसे गांधी आश्रम आदि सामाजिक सुधार करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए । खेद का विषय है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । ऐसा करने से ही वांछित सुधार जल्द से जल्द हो सकेगा ।

आदिवासियों के कल्याण और भलाई की यह जो योजना है यह ठीक उस ढंग से है जैसे कि एक लोमड़ी के लिए उसकी पहुंच से बाहर लटकता हुआ अंगूर का गुच्छा । योजना आप जरूर बनाते हैं और हम को मीठी, मीठी बातें सुना कर और भाषण दे कर समझा लेते हैं लेकिन जिस तरह से वह लोमड़ी उन अंगूरों को नहीं पा सकती है और उसे यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि अंगूर खट्टे हैं ठीक वैसी ही हालत हम आदिवासियों की है । योजना बनती अवश्य है लेकिन वह ख़ाली काग़जों तक ही सीमित रह जाती है । उसका लाभ आदिवासियों को प्राप्त नहीं हो पाता है ।

लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है । स्वयं ढेवर कमिशन की रिपोर्ट में इस का उल्लेख किया गया है । मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि वहां के आदिवासियों के जो मंत्री हैं वह बिल्कुल फैल्योर साबित हुए हैं । हो सकता है कि उन्होंने अपने एरिया में काम किया हो । आज एक ऐसा समय आया जब कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता आदिवासियों की दशा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तब यह इमरजेंसी आ गई है । अब यह आदिवासियों के दुर्भाग्य के सिवाय और क्या है ?

ग़रीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है । देश पर आज जो संकट छाया हुआ है और हमारी सुरक्षा को जो चुनौती दी गई है उसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए और देश के लिए लड़ने के लिए आदिवासी तन मन धन से सहयोग देने को तैयार हैं, जो भी आवश्यक था सब कुछ उन्होंने किया और आज भी अपने देश की रक्षा की ख़ातिर लड़ने के लिए तैयार हैं । लेकिन खेद का विषय है कि इस इमरजेंसी को ले कर सब से ज्यादा जो कटौती हुई है वह आदिवासियों की स्कीमों में हुई है । क्या उन्हीं के लिए यह इमरजेंसी आई है ? यह ठीक है कि आपने इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ इधर, उधर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जैसा एक आदिवासी डिपार्टमेंट बना रखा है । हालत यह है कि सड़क का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, कुए का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, स्कूल का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा । यह आदिवासी डिपार्टमेंट बिल्कुल एक भिखमंगा डिपार्टमेंट सा बना रखा है जिसको कि हर एक चीज़ के लिए अन्य डिपार्टमेंट पर आश्रित रहना पड़ता है । अब जब तक वह लोग उस कार्य को जल्दी न करें तब तक हमारे आदिवासी विभाग से कुछ होता नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी काम करना हो उस को आप एक सही ढंग से करिये अन्यथा आप साफ़ साफ़ कह दीजिए कि इन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं होगा । हम भीख नहीं मांगते आप से । आप जो कुछ पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आप कोई अहसान नहीं कर रहे हैं । हम कुछ नहीं चाहते लेकिन यह अवश्य चाहेंगे कि आज जो प्रशासकीय मशीनरी द्वारा हम लोगों का शोषण हो रहा है वह बद हो । ऐक्साइज़ डिपार्टमेंट को देख लीजिए, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को देख लीजिये और पंचायत व कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को देख लीजिये, इन बचारे गरीब आदिवासियों का पिछले कितने ही वर्षों से शोषण होता चला आ रहा है । उन पर जुर्माने करके आज उन को भिखमंगा और बेरोज़गार बना दिया है । हमारे आदिवासियों ने पहले कभी भीख नहीं मांगी थी लेकिन आज वह भीख मांगने लगे हैं । आज यह हालत हमारी आप ने बना दी है । हम आप से भीख नहीं मांगते अलबत्ता हमें इन अधिकारी लोगों के शोषण से बचा लीजिये । भले ही आप हमारे ऊपर रुपया मत खर्च करिये । दूसरे लोग सोचते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा की सहूलियत है, खाने कपड़े व आवास की सहूलियत है ।लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमें कोई विशेष कपड़ा नहीं चाहिए । हमारे लोग एक सा कपड़ा पहनते हैं । एक से क्षेत्र में रहते हैं हमें कुछ विशेष नहीं चाहिए लेकिन यह जो एक नाटक बन रहा है वह उनके जीवन को दुखदायी बना रहा है और यह समाज के दूसरे लोगों की निगाह में उन को गिरा रहा है । उनको इस गिरावट से बचाइये । अलवत्ता कुछ करना हो तो करिये । हम लोग कुछ विशेष नहीं मांगते हैं । ज़रूरत इस बात की है कि विभागीय कर्मचारी हमदर्दी का भाव रखकर यह कार्य करें ।

उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इस हमदर्दी के अभाव में सामूहिक बस्ती की व्यवस्था मध्य प्रदेश में बिल्कुल फैल्योर साबित हुई है । सामूहिक बस्ती का नाटक मध्य प्रदेश में रचा गया कि जहां पानीनहीं है वहां सामूहिक बस्ती बसाई । अफसरों की कमेटियां बनीं जिन में बड़े बड़े अफसर जिले के हैं लेकिन वे उससमस्या को सुलझा नहीं सके और उस को बसा ही नहीं सके । उन अफ़सरों ने कहा कि आध सेर आटा दिन भर के लिए मिलेगा । यह ज़मीन है । हम तुम्हें बैल ख़रीद देंगे । इस पर तुमखेती करो । लेकिन हमने देखा कि वह उस में फेल्योर साबित हुए और उस को बसा ही नहीं सके ।

[श्रीमती जमुना देवी]

एक जगह गारियाकुई तहसील मनावर में जहां कि सामूहिक बस्ती बननी थी हम खुद देखने गये कि सामूहिक बस्ती कैसे बनी है । गवर्नमेंट के अफसरान ने बसाई है लेकिन वह बस नहीं सकी है । अगर इसके बदले दस आदिवासियों को इकट्ठा करके कह देते कि यह देखो यह रुपया है इसमें यह काम आपको करने हैं तो यह स्कीम शायद सफल भी हो सकती थी । लेकिन जितना नपा तुला आपने दिया उतना काम नहीं हुआ । इतने अफसरान उस कमेटी के होते हुए भी वह सामूहिक बस्ती नहीं बन सकी । उसमें अक्लमंद लोग थे, पढ़े लिखे थे लोग थे । जिले के कलक्टर और डिप्टी कलक्टर्स उसमें थे लेकिन वह स्कीम फेल हुई । फिर जब यह नहीं कर पाते हैं तो कह देते हैं कि इन क्षेत्रों में काम करना बड़ा मुश्किल है और उनको सुधारना बहुत मुश्किल है लेकिन आज जिस तरीके से थीड़ी सी एक मदद मिलने से हमारी समाज ने जो तरक्की की है वह हम भूल नहीं सकते हैं । बेशक हम सुधरे हैं लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन आदिवासियों की समस्यायें वर्षों से चली आ रही हैं । राजाओं के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से और कांग्रेस सरकार ने जब से शासन की बागडोर सम्हाली है, उन लोगों को एक तरह से ललकारा है वह दबे हुए जंगलों में अंगारे जिन पर राख जमी हुई थी उनकी राख को हमारे शासन ने फूंका है । मैं यह नहीं चाहती कि यह शासन आदिवासियों को आज की तरह आधी फांसी पर लटका कर छोड़ दे क्योंकि उस हालत में पता नहीं कैसी परिस्थिति का मुकाबला उसे करना पड़ सकता है । इसलिए उस कौम का मजाक मत उड़ाइये और बिना देरी किये जो आवश्यक हो काम कर दीजिये वरना वह जो कर बीतें वह थोड़ा होगा ।

इसी तरह सहकारिता की ओर आप देखिये । सहकारिता के आधार पर आदिवासियों को कुछ धंधा व रोजगार मिलना चाहिए और उनको बेरोजगारी और ग़रीबी मिटनी चाहिए लेकिन यह अफसरान लोग जब तक उनको रिश्वत नहीं मिलती है, उन सहकारी सोसाइटियों को अनुदान नहीं मिलता है और अगर यह नहीं हो पाता है तो उन सोसाइटियों का रिस्पैक्ट गिरता है ।

मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहती हूं । शायद वैसा और जगह भी होता होगा । जिस ग़लत ढंग से सहकारिता पर अमल प्रशासकीय मशीनरी द्वारा किया जा रहा है और अपने अधिकारों का ग़लत दुरुपयोग किया जा रहा है उसका जनमानस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । विरोधी पार्टियां प्रचार करती फिरती हैं कि देखो यह सरकार कैसे सहकारिता पर अमल करा रही है । उन भोलेभाले आदमियों के दिमाग़ में ग़लत बात आती है और परिणाम यह होता है कि सहकारिता आन्दोलन जिसे कि हम सफल करना चाहते हैं वह सफल नहीं हो पाता है । हमें इस तरह की प्रशासन की ग़लत मनोवृत्ति को बदलना होगा ।

दूसरी चीज़ यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई उद्योग धंधा नहीं है । वहां हमें नये उद्योग धंधे उनके लिये खोलने चाहिए । उनका जीवन निर्वाह, उस खेती पर और उन जंगलों की लकड़ियों पर और वन उपज पर आश्रित रहता है । उससे उनका पेट भर नहीं पाता है । मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक नया आर्डर निकाला है कि एक भी इंच जमीन फौरेस्ट की खड़ी न जा सके और जिस किसी ने अगर खड़ी है तो उसके ऊपर २००, २०० और २५०, २५० रुपये का जुर्माना कर दिया गया है । उन पर लाख रुपया खर्च किया और इस ढंग से उनसे ले लिया जाता है । मैं मंत्राणी महोदया से निवेंदन करूंगी कि वे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, रेवेन्यु मिनिस्टर और वन मिनिस्टर को कहें कि वे जल्दी से जल्दी ऐसा आदेश दें ताकि जितनी भी ज़मीन फौरेस्ट एरिया में हो और खेती के काबिल हो वह उन आदिवासियों को दे दी जाये । अगर वे यह नहीं करेंगे

तो लाखों लोगों के वहां भीख मांगने की नौबत आने वाली है। उन लोगों के पास कोई धंधा नहीं है। मैं ढेवर कमिशन की रिपोर्ट का समर्थन करती हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा न हो कि उसमें से आधी बातें ले ली जायें और आधी न ली जायें। उसकी पूरी सिफ़ारिशों को माना जाय और सही ढंग से जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय। मुझे आशा है कि यह सरकार आदिवासियों के प्रति सजग रहेगी और उनकी उन्नति हो सकेगी।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइसब्स के बारे में ढेवर कमिशन की जो रिपोर्ट है उस के बारे में कुछ कहने से पहले एक दो बातें कहना चाहता हूं।

आज से २०, ३० साल पहले हम लोग स्कूलों में इस बारे में सुना करते थे। उस समय फ़ीमेल एजुकेशन के सब्जैक्ट पर डिबेट हुआ करता था उस पर हम लोग बहस किया करते थे कि उनके लिए क्या होना चाहिये, उन को शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फ़ीमेल एजुकेशन होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तो उसका सवाल ही नहीं रह गया है। लड़कियां काफ़ी तादाद में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा। गांधी जी के लिए हम सुनते थे कि किसी गांव में वह पधारेंगे तो उस वक्त होता यह था कि किसी चमार या मेहतर को स्नान करा कर, उस को नये कपड़े पहना कर, अब उस वक्त इतनी सारी पार्टियां तो थी नहीं, कांग्रेस ही होती थी तो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता लोग होते थे, वे लोग सब एक वेदी में बैठ कर उस से परसादी ले कर खाते थे और सब बांट कर परसादी यह दिखलाने के लिए खाते थे कि स्पृश्यता हमारे वहां से चली गई है मगर दरअसल वह छुआछूत और अस्पृश्यता गई नहीं। ये दो बातें हम को याद हैं। यह ५६४ पन्ने की जो रिपोर्ट छपी है, अगर इस का दसवां हिस्सा भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाये, लागू कर दिया जाये, तो फिर हम अनुभव करेंगे कि हिन्तुस्तान के सब से ऊंचे तबके के प्रतिष्ठान, अर्थात् इस सदन में, हमारा इस विषय पर बहस करना ठीक है।

हिन्दुस्तान के लोग आज तक यह सोचते हैं कि हम लोग इन लोगों को पैट्रोनाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों को यह सोचना है कि इन लोगों का हम पर ऋण है, जिस को हम चुका रहे हैं, यानी हम लोगों ने इतने साल तक इनकी उन्नति का ध्यान न कर के जो गलतियां की हैं, हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं, उस ऋण का प्रतिशोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह फ़ीलिंग हमारे दिलों में होनी चाहिए।

हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश टाइम में ट्राइबल एरियाज़ में, पासीघाट में, आसाम में, अबर हिल्ज़ में, जो स्काच या इंगलिश आफ़िसर्ज़ पोलीटिकल आफ़िसर्ज़ के रूप में नियुक्त किये जाते थे, वे वहां के ट्राइबल्सज़, की तरह ही बाल रखते थे, उन लोगों की तरह ही कपड़े पहनते थे और उन लोगों की तरह ही रहन-सहन की आदत डालते थे।

[डा० सिरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।]

ऐसा इसलिए किया जाता था कि वे ट्राइबल्ज़ उन आफ़िसर्ज़ को हर प्रकार से अपने ही आदमी महसूस करें और इसलिए उन के साथ खुल कर बात कर सकें। इस के मुकाबले में हम देखते हैं कि आज कल जो आई० ए० एस० या प्राविंशल सर्विस के लोग उन एरियाज़ में जाते हैं, वे सूट, बूट और टाई पहन कर वहां घूमते हैं। वे ट्राइबल लोगों के बीच में जाते भी नहीं हैं। शाम को वे अपनी बीबियों के साथ मोटर में चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार अपने काम के बारे में ख़ानापुरी करते हैं। इस प्रकार के एटीट्यड में परिवर्तन होना चाहिए।

[श्री प्रिय गुप्त]

हम ने अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि सब लोगों को सोशल, इकानोमिक, एडूकेशनल और पोलिटिकल इक्वैलिटी दी जायगी यह कब होगा। ट्राइबल्ज़ की ऐडूकेशन के बारे में कमीशन ने बहुत सुन्दर रीकमेंडेशन्ज़ दी हैं, लेकिन, जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया है, आठ, नौ, दस महीनों के बाद ट्राइबल स्टुडेंट्स को एडूकेशनल ऐड का पैसा दिया जाता है। इस स्थिति में किताबें आदि न ख़रीद सकने के कारण उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्कूलों का प्रबन्ध किया गया है, लेकिन चूंकि होस्टल्ज़ का प्रबन्ध नहीं किया गया है, इसलिए वे बेचारे कहां रह कर पढ़ेंगे ?

ट्राइबल लोगों की इकानोमिक प्रावलम्ज़ को हल करने के लिए बहुत से चैप्टर दिये गये हैं। एग्रीकल्चर और इनडेटिडनेस के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। जहां तक आर्टिकल २७५ के अन्तर्गत ग्रान्ट्स-इन-एड देने का प्रश्न है, आन्ध्र प्रदेश के सिवाये और किसी प्रदेश ने इस को लागू नहीं किया है।

मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि प्रान्तों में आदिवासियों की बैल्ट है। आप देखिये कि वहां पर जैसे भगवान की छिपी हुई सम्पत्ति, मिनरल्ज़, ज़मीन के नीचे और जंगल के झाड़ के नीचे छिपी हुई पड़ी है, उसी तरह से आदिवासियों में सब रत्न, हीरे और जवाहर तड़प तड़प कर रो रहे हैं कि हमारा प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब वह उन मिनरल्ज़ को ढूंढने के लिए विदेशों से लाख-लाख रुपये की ड्रिलिंग मशीन्ज़ लाती है, तब उस ने यह देखने के लिए कि दरअस्ल इन लोगों की उन्नति के लिए क्या काम करने चाहियें, क्या मशीनरी बनाई है। मैं उस को कहना चाहता हूं कि इस बारे में किये जाने वाले ख़र्च को फ़िज़ूल खर्च नहीं समझना चाहिये।

आदिवासियों में दो श्रेणियां हैं, जिन में से एक है लैंडलैस लेबरर्ज़। हम देखते हैं कि हमारे बिहार में वे लोग साल में तीन महीने मिट्टी खोद-खोद कर जड़ी-बूटियां खाते हैं। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारी नैशनल इनकम और एवरेज इनकम क्या है। ऐवरेज इनकम तो बहुत सुन्दर है, लेकिन मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आता है। एक किसान के चार लड़के थे। उस की औरतें ने सुबह उठ कर उन के लिए चार रोटियां बना कर रख देती थी और खेत में चली जाती थी। उन चार बच्चों में से जो दो बदमाश थे, उन्होंने छीन-छीन कर दो दो रोटियां खा लीं और इस प्रकार दो लड़के भूखे रहे। मां का हिसाब यह रहा कि चार बच्चे और चार रोटियां, इस लिए एक बच्चे के लिए, एक रोटी, हालांकि दो बच्चे तो दो दो रोटियां खा गए और दो भूखे रहे। यही स्थिति हमारी एवेरेज इनकम की है, जोकि माननीय मंत्री, श्री नन्दा, ने बताई है। यदि इस सदन के कोई माननीय सदस्य चाहें, तो वे जा कर देख सकते हैं कि आदिवासी साल में तीन महीने भूखे रहते हैं और मिट्टी में से जड़ी-बूटियां खोद-खोद कर खाते हैं।

खनक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इन्तज़ाम का प्रश्न है, सरकार को कल्टीवेशन के इन्तज़ाम को भी देखा चाहिए। सरकार की तरफ़ से फूड प्राडक्शन को बढ़ाने के बारे में चिल्लाया जाता है, लेकि इबल्ज़ को, जोकि फ़ारेस्ट में रहते हैं, खेती के बारे में कोई सहूलियत सरकार की तरफ़ से नहीं मिलती है।

जहां तक ढेबर कमीशन की रीकमेंडेशन्ज़ का सम्बन्ध है, वे बहुत सही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन को उचित महत्व दे कर पिछले सैशन में ही इन पर बहस को ख़त्म करना चाहिए

था। हम को अनुभव करना चाहिए कि यह इमर्जेन्सी की तरह ही का इम्पार्टेन्ट काम है। अब सोमवार से कमिश्नर की रिपोर्ट पर भी विचार होगा। अगर हमारा कोई अंग सड़ जाता है, तो दूसरा अंग भी एफ़ेक्टिड होता है। इसलिए इस कमीशन की रिपोर्ट पर डिसकशन पिछले सैशन में ही समाप्त कर देनी चाहिए थी। हम कहना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन की तरफ़ से इस बारे में जो रुपया ख़र्च किया जाता है, उस में ट्राइबल पापुलेशन के लिए कुछ अलग इन्तज़ाम किया जाये।

आदिवासियों की शिक्षा के बारे में कहा गया है कि उन के प्राइमरी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाये कि उन के बच्चे मदर टंग सीख सकें और इस के साथ ही रिजनल लैंग्वेज को भी सीख सकें। इस पार्लियामेंट में बहुत से आदिवासी सदस्य बेचारे अनपढ़ हैं। सन्थाली या अपनी किसी भाषा में उन को बोलने का अवकाश नहीं मिलता है। जब वे पांच साल के लिए यहां पर चुन कर आते हैं, तो उन के लिए किसी दूसरी भाषा को सीख कर उस में बोलना कैसे सम्भव हो सकता है ? यह अड़ंगा नहीं रहना चाहिए। हम समझते हैं कि उन लोगों के बारे में सही तौर से जांच-पड़ताल हो।

इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी जो मां-बहिनें काम करती हैं, उन के लिए काफ़ी अच्छे ढंग का इन्तज़ाम होना चाहिए। उन के बच्चों को रखने के लिए नर्सिज़ का प्रबन्ध हो और रैस्ट हाउस का प्रबन्ध हो। जिन गांवों में आदिवासी रहते हैं ,उन में ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी, की कोई सुविधा नहीं है। उन के रहने के लिए कोई मकान नहीं हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, उन के मार्ग में फ़ारेस्ट आफ़िसर हज़ारों किस्म का अड़ंगा लगाते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा लेने पर फ़ारेस्ट के रेंजर या चपरासी लोग उन को धमकाते हैं, पैसा लेते हैं। वे बेचारे जलाने के लिए लकड़ी कहां से पायें ? जो लोग कालियरीज़ के पास काम करते हैं, उन लोगों के लिए कोयले का, फ्युअल का, कोई इन्तज़ाम नहीं है।

जहां तक शिड्यूल्ड एरियाज़ का संबंध है, हम पूछना चाहते हैं कि जो शिड्यूल्ड एरियाज़ बनाये गये हैं, वे आदिवासियों के हित में और उन की उन्नति के लिये सही ढंग से बनाये गये हैं, या चुनाव में अपने कैंडीडेट को सफल बनाने के लिए बनाए गए हैं।

हमारे स्वैल साहब ने अपने भाषण में बताया है कि उन लोगों में जो नेशनल अपसर्ज आदि हुआ है, वह हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में होने से बहुत पहले हुआ है। इन लोगों की समस्याओं पर आप अच्छी तरह से ध्यान दें। जब भारत अंग्रेज़ों के शासनाधीन था, उन्होंने वहां शिक्षा संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित कीं। वे आदिम जातियों की भावनाओं को समझते थे। सरकार को भी चाहिये कि ट्राइबल एरियाज़ की जिस प्रकार से भी उन्नति हो सकती हो उस प्रकार से उन्नति करे। ट्राइबल लोगों में जो लेबरर्ज़ हैं या जो अनस्किल्ड लोग हैं या स्किल्ड लोग भी हैं, या दूसरे हैं, उन सब की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिए।

आज देखा जाता है कि जहां कहीं मजदूर आन्दोलन होता है, तो उस के जो दो चार नेता होते हैं, उन को एम्पलायर लोग पकड़ कर के ऊंची नौकरियों पर लगा देते हैं और उन को सन्तुष्ट कर देते हैं और इस तरह से उन लेडर्ज़ र ली को चुन करा दिया जाता है। बाकी लेबरर्ज़ भी तब चुप हो जाएं। इसी तरह से ट्राइबल्ज़ में से दो चार आदमियों को ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया जाता है, एक आध को आई० ए० एस० में ले लिया जाता है या पी० सी० एस० में ले लिया जाता है, या प्रोफेसर बना दिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पद दे दिया जाता है, तो इस का मतलब यह नहीं है कि सभी ट्राइबल्ज़ ऊंचे उठ गये हैं, उन की आर्थिक स्थिति सुधर गई है। इस तरह की बातों को ले कर प्रचार करना और पैम्फ्लेट छाप देना अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नो जस्टिस टूदी

[श्री प्रिय गुप्त]

एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी । इस तरह से आप इस कम्युनिटी के साथ इंसाफ नहीं करते हैं । बुनियादी तौर पर आप इस कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं , इसको आप को देखना चाहिए । इन की सभी ओर से उन्नति होनी चाहिये, इन की सामूहिक उन्नति होनी चाहिये, इकोनोमिक, एजुकेशनल, पालिटिकल उन्नति होनी चाहिये । ऐसा न कर के दो चार आदमियों को ऊंची जगहों पर बिठा कर आप कह दें कि हम ने यह यह इन के लिए किया है, तो यह उन के प्रति अन्याय होगा । इस पर आप को गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पद रक्षित कर देने से ही अनुसूचित जातियों की समस्या हल नहीं हो जाती । वास्तव में पिछड़ी जातियों का उद्धार करने के लिए देश भर का सामाजिक संगठन करने की आवश्यकता है ।

अस्पृश्यता निवारण का दायित्व संविधान ने हमें दिया है किन्तु वह समस्या रत्ती भर भी हल नहीं हुई । कारण यह है कि विधि के अधीन अपराधियों को दण्डित नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछड़ी जातियों को कानूनी सहायता नहीं मिलती । इसके लिए हमें सोच विचार करके कोई वृहत्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

लद्दाख, नेफा और असम के सीमांत प्रदेशों में हमें वहां के लोगों की समस्यायें समझने का प्रयत्न करना चाहिये । भले ही इसके लिए काफी प्रयत्न किया गया है किन्तु अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई । केवल सद्भावना पर्याप्त नहीं । बड़े पैमाने पर प्रयत्न की आवश्यकता है । आशा है सरकार बतायेगी कि ढेबर आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं ।

आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए निर्धारित बहुत से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । इसे रोकना चाहिये अन्यथा उन लोगों में दुर्भावनाएं पैदा हो जायेंगी । भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहियें ।

श्री कछवाय (देवास) : शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के कमिश्नर की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं भी दो चार बातें कहना चाहता हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो रिपोर्ट है, यह गीता के समान है । इतनी बड़ी पदवी इस पुस्तक को देना लज्जा की बात है । गीता से इसकी तुलना करना, यह कहां तक ठीक है इस पर आप विचार करें । गीता की तुलना में यह बहुत ही तुच्छ पुस्तक है । मैं मानता हूं कि इस पुस्तक में बहुत सी अच्छी बातें हैं । परन्तु आज देखने की बात यह है कि इन बातों पर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन में कहां तक अमल हो रहा है, कहां तक आदिवासी क्षेत्रों को इस से लाभ पहुंच रहा है और इससे हमारे आदिवासी लोग, अनपढ़ लोग, जंगली लोग, गरीब लोग कितना लाभ उठा रहे हैं । मैं मंत्री महोदया जो बैठी हुई हैं उन से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योजनायें बनाई जाती हैं, जिस प्रकार से विचार किया जाता है क्या उससे वाकई लाभ होता है ? आज यह बहस यहां चल रही है । कल समाचारपत्रों में बड़े बड़े हैडिंगों में यह चीज़ छप जायेगी कि आदिवासियों के लिए यह किया गया है । आदिवासियों के लिये कानून पास किया, आदिवासियों के लिये सहूलियत दी गई, इतनी बातें मंजूर की गईं । लेकिन यह सब प्रचार की बातें हैं और प्रचार तक ही रह जाती हैं । उन लोगों तक इन का लाभ नहीं पहुंच

---

†मूल अंग्रेजी में

पाता है । आज आदिवासियों के अन्दर जो ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से ईसाई लोग खर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से ईसाई लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिये परिश्रम कर रहे हैं उस तरह से हमारे देश में उनके लिये नहीं किया जा रहा है । जिस मात्रा में व बाहर से पैसा ला कर उनके लिये खर्च कर रहे हैं उस तरह से हमारी सरकार खर्च नहीं करती है । जो खर्च होता है व जो शिक्षित लोग हैं, जो उनके लीडर लोग हैं, वे ही हजम कर जाते हैं । अशिक्षित लोगों तक वह चीज़ नहीं पहुंच पाती है, सारी चीज़ उन बड़े लोगों तक ही रह जाती है ।

आज आदिवासियों के अन्दर हर प्रकार की कमी पाई जाती है । उनके पास खाने के वास्ते नहीं, पहनने के वास्ते नहीं, रहने के वास्ते नहीं । यदि उनको खाना नहीं मिलता है तो वे किसी प्रकार का जानवर मार कर, शिकार कर खा जाते हैं । जब कभी जानवर नहीं मिलता तो पेड़ों की पत्तियां खा कर अपना जीवन बिताते हैं । परन्तु यह क्षेत्र ऐसा है कि यदि हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने विचार किया तो उन में ऐसे अनेक लोग निकल सकते हैं जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं । आज हमारे देश पर आपत्ति आई हुई है, शत्रु दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तब यह एक ऐसा क्षेत्र है आदिवासियों का, जिसमें से बड़े वीर और बहादुर निकल सकते हैं । आप उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन दीजिये, उन्हें आगे बढ़ाइये, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जाति इतनी दिलेर जाति है कि यदि हम लोग घर में बैठ जायें और उन लोगों से कहें कि तुम शत्रुओं से निपट लो, तो ये शौक से निपट लेंगे । यही नहीं वे उनको चीन तक खदेड़ आयेंगे । लेकिन यहां पर सवाल है कि उन का उपयोग किस प्रकार से किया जाये, उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाय । यह सोचने की बात है । इसके सोचने में आज तक जो लापरवाही रही है उसके ऊपर हम को विचार करना है ।

उन के क्षेत्र में शिक्षा की कमी है परन्तु यदि कोई मास्टर जाता है तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वह उत्तर प्रदेश से ला कर उनके ऊपर थोप दिया जाता है जो उनकी भाषा नहीं जानता है, जो उनका रहन सहन नहीं जानता है, जो उन का खान पान नहीं जानता है, तो ऐसा व्यक्ति वहां जा कर कितने दिन तक काम कर सकेगा, कितने दिन तक वह शिक्षा दे सकेगा और कितने दिन उसको वहां पर हवा पानी बदलने में लगेंगे ? इस तरह का आदमी वहां फिट नहीं बैठ सकता । इसलिये उन्हीं लोगों में से आदमियों को निकाल कर यदि उनको ऐसा प्रोत्साहन दिया जाय कि वे ही उनके शिक्षक बनें, उनके समाज का सारा ढांचा जो है उसको बदल कर उनको ज्ञान का उपदेश दें, समाज का उपदेश दें, वीर वृत्ति का उपदेश दें और अनेकों जो योजनायें हैं उनके बारे में उपदेश दें, तो हमारा बड़ा काम चल सकता है । परन्तु ऐसी बात होती नहीं है । इसका कारण मुझे पता नहीं क्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार खर्च भी काफी करती है, आंकड़े बहुत लम्बे चौड़े बतलाती है, लेकिन क्यों जिस प्रकार का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है । यदि थोड़ा अधिक खर्च किया जाये, उन में से ही शिक्षक निकाले जायें तो वे व्यक्ति, वे मास्टर लोग उन को अच्छे ढंग पर शिक्षा दे सकते हैं ।

आज उनके बीच में सब से बड़ा अभाव मिलता है अस्पतालों का । उन की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं । वे जंगल की जड़ी बूटियों से ही अपनी चिकित्सा का काम चलाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां चिकित्सा की सहूलियतें दे रहे हैं, दवाओं का दान भी देते हैं, यदि हमारी सरकार उस पर

[श्री कछवाय]

विचार करे और उसी प्रकार के कदम उठा कर चले तो हमारा बड़ा लाभ हो सकता है । आज विदेशों से पैसा ला कर ईसाई मिशनरी इस शासन के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, यहां के धर्म के खिलाफ, उनको पढ़ाते हैं कि ईसा मसीह सब से बड़े आदमी थे, वे सब से बड़े भगवान थे, देवता थे, उनका आदर किया जाये, उनको देवता माना जाये, उनकी तस्वीर घर में रक्खी जाये, हमारे थोड़े से ज्यादा खर्च से वे उसको भूल जायेंगे । मैं समझता हूं कि हमारी मंत्री महोदया जो बैठी हैं वे इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगी कि आदिवासियों के लिये किस प्रकार से काम किया जाये । आदिवासी लोग केवल शिक्षा चाहते हैं, अपना पेट भरने के लिये दो रोटी चाहते हैं, पहनने के लिए कपड़े चाहते हैं । यही उनकी मांगें हैं । अगर हम ने उन की यह मांग पूरी कर दी, तो यह एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो कि, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, हमारे देश के बहुत काम आ सकता है । लेकिन उनकी सर्विसिज़ में लापरवाही बरती जाती है । हमें देखने को मिला कि जितनी मात्रा में उनके व्यक्ति लिये जाने चाहियें, जो कि शासन द्वारा ठहराया गया है कि इतने परसेन्ट सर्विस उनको दी जायेंगी, उनके सम्बन्ध में वैसा होता नहीं है । एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, सारे लोग काले होते हैं, भोडे होते हैं, बाबू लोगों को ज़रा जंचते नहीं हैं, इसलिये उनको सर्विसेज में नहीं लिया जाता । मगर हमारे शिक्षित वर्ग में जो यह भावना है उसको निकालना चाहिये, उनके गुणों की तरफ देखना चाहिये और सोचना चाहिये कि हम किस प्रकार से उनको ट्रेंड कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको शिक्षा दे सकते हैं । इसका ध्यान कर के उनको उपयोग में लाना चाहिये और सभी क्षेत्रों में उन को सर्विसेज देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं आज ढेबर कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से पूछ लीजिये कि पिछले सेशन में वे इस पर बोले तो नहीं थे ।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं खास कर जो हमारी उपमंत्रिणी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दरअस्ल . . . .

†**सभापति महोदय** : यदि आप पहले इस प्रतिवेदन पर बोल चुके हैं तो दोबारा बोलना कठिन है ।

श्री मा० ला० वर्मा : मुझे से स्पीकर साहब ने पहले पूछ लिया था मार्शल की मार्फत कि मुझे केवल तीन मिनट उस समय मिले थे । उन्होंने इजाज़त दे दी है । आप उन से पूछ लीजिये । मैंने पन्द्रह मिनट मांगे थे । उस समय मुझे केवल तीन मिनट मिले थे । इसलिये तीन मिनट घटा कर बारह मिनट मुझे आज मिलने चाहियें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : एक औचित्य प्रश्न है । यह सभा की प्रथा है कि ऐसी चर्चा में केवल एक बार बोलने की अनुमति दी जाती है । विधेयक पर दो या तीन बार बोला जा सकता है । अन्यथा विरोधी पक्ष की क्या स्थिति होगी ।

†**सभापति महोदय** : औपचारिक दृष्टि से एक सदस्य इस पर एक बार बोल सकता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, इस ढेबर कमीशन रिपोर्ट का थोड़ा बहुत अध्ययन मैं ने भी किया है और मैं यह समझता हूं कि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो हालत आज तक इस देश में रही है, यह जरूर है कि उस में थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, लेकिन जो वादे उन से किये गये थे उनकी ओर जिन लोगों ने गांधी जी के चरणों में बैठ कर राजनीति सीखी थी जिन्होंने भंगी कालोनी में बैठ कर उनके उपदेश सुने थे और जिनको ज्यादा उत्साह देना चाहिये था, इस दलित वर्ग और शोषित वर्ग की ओर, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया । अभी मेरे बहुत से मित्रों ने इस सदन में काफी तफसील के साथ बतलाया कि लोगों की हालत है क्या । क्या वाकई में समाज में जो स्थान उन्हें मिलना चाहिये था वह उनको मिला है ? यदि वह स्थान उन्हें नहीं मिला है तो क्या उनको वह स्थान दिलाने की कोशिश की जा रही है ? मैं तकरीबन हर सेशन में देखता हूं कि एक न एक रिपोर्ट आ जाती है । कभी रिपोर्ट ३०० पेज की होती है और कभी ४०० पेज की होती है । उसको पढ़ने से मालूम होता है कि देश में अब छुआछूत की बीमारी नहीं रही और क्रान्ति की जो स्टेज हुआ करती है वह तकरीबन आ गई । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब भी अगर हम लोग देहातों में जायें और देहातों में जाकर देखें तो पायेंगे कि आज भी ऐसे-ऐसे कुंएं बने हुए हैं कि जहां पर चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स का हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का हो, वह पानी नहीं पा सकता है । अभी ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ने देखा कि जहां पर वे लोग चुनाव जीत भी गये वहां उन को इतने बुरे तरीके से परेशान किया गया कि उन्होंने मजबूर हो कर इस्तीफा दे दिया । कुछ क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि उनके परिवार को मार डाला गया है गोली से । अलीगढ़ में वह चीज देखी आपने जिस को हम इस सदन में लाना चाहते थे । अगर कभी हम उन लोगों के सामने जा कर कहें कि आज हमारे परम पूज्य राष्ट्र पिता के सपनों का राम राज्य आ रहा है, और वह हम से पूछते हैं कि राम राज्य कैसा आया तो कभी-कभी मुसीबत आ जाती है । क्योंकि राम राज्य की उनकी परिभाषा जो थी वह ऐसी थी कि जिस में खास कर उस वर्ग को जो कि निम्न स्तर का है, खाना मिलेगा, रहने के लिय मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी । ऐसा नहीं होगा कि फांकेकशी से हमारे बच्चे भूखे मरें । मैंने देखा है कि चुनावों में जब माननीय मंत्री महोदय भाषण देते हैं तो खास कर एक ऐसे बच्चे को बिठा लेते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने होता है और जो कि दलित और शोषित वर्ग का होता है, और उसकी तरफ अंगुली दिखा कर कहते हैं कि यह आने वाले हिन्दुस्तान का, आजाद और प्रजातांत्रिक हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है । उसके माता पिता यह सुन कर खुश हो जाते हैं और मीटिंग खत्म होने पर लड़के का हाथ पकड़ कर घर ले जाते हैं और यह समझते हैं कि यह हमारा मुन्ना नहीं है बल्कि आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है । पांचवें दरजे तक तो उसकी शिक्षा हो जाती है । और जब वह पांचवां दरजा पास करके आता है तो पिता के चरण छूता है और माता उसको लिपटा लेती है । और सोचती है कि मंत्री महोदय ने कहा था कि यह आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है । लेकिन छठे दरज की किताबों का मूल्य जब उसको २२ रुपया मालूम होता है तो उसके पास वह नहीं होता और आने वाले हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसकी यह शक्ल निकलती है कि या तो वह कहीं बूट पालिस कर रहा होता है या बरतन मांज रहा होता है और किसी होटल में काम कर रहा होता है ।

रिपोर्ट को पढ़ने से तो लगता है कि तमाम चीजें हो रही हैं, और राम राज्य आ रहा है । लोग पूछते हैं कि कौनसा राम राज्य आ रहा है राम राज्य दो तरह का हो सकता है । गांधी जी का राम राज्य तो यह था कि लोगों को खाना मिले, मकान मिले, और जरूरत की तमाम चीजें मिलें । लेकिन समझ में नहीं आता कि यह कैसा राम राज्य है । जब गल्ले का सवाल आता है और चावल की कमी होती है तो सरकार कहती है कि गेहूं खाओ, अगर गेहूं की कमी होती है तो कहा जाता

[श्री स० मो० बनर्जी]

है कि बाजरा खाओ। अगर शकर नहीं है तो कहा जाता है कि शकर छोड़ दो, चावल नहीं है तो कहा जाता है कि चावल खाना छोड़ दो। कपड़ा नहीं है तो कहा जाता है कि कपड़ा पहनना छोड़ दो। और अगर नेहरू जी हमारे देश के राम हैं तो हम तमाम ४५ करोड़ उनकी बानर सेना हैं, जो पेड़ों पर रहें, फल फूल खाएं, जिनको न खाने की जरूरत है और न मकान आदि की जरूरत है। तो यह राम राज्य तो लाया गया है, लेकिन जो कि गांधी जी की कल्पना का राम राज्य था वह तो नहीं आया है।

पढ़ने लिखने का यह हाल है कि लोक हमारे पास रोते आते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवा दीजिए। जो लोग बिल्डिंग फंड में पैसा नहीं दे सकते उनके बच्चों का दाखिला नहीं होता। जब बिल्डिंग फंड में दस पांच रुपया देते हैं तो दाखला होता है। जो वजीफा लड़कों को दिया जाता है वह छः छः और सात सात महीने के बाद मिलता है। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदया से कहूंगा कि वह इस बात पर प्रकाश डालें कि वास्तविकता क्या है। क्या जो चीजें किताबों में लिखी हैं वे हो रही हैं ? कमीशन नियुक्त किया जाता है। इस देश में कमीशन और कमेटी की परम्परा बन गई है। पहले कमीशन बनाया जाता है, फिर कमीशन सो जाता है और लेट जाता है और उसे जगाने के लिये फिर दूसरा कमीशन नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार काम चल रहा है।

बस्तर में गोली क्यों चली ? बस्तर का महाराजा जो कि लुटेरा था उसका साथ क्यों दिया गया ? इसलिये कि उस तमाम इलाके में कोई उन्नति नहीं हुई है। आज भी इस क्षेत्र के लोगों की यह हालत है कि तीन महीने महुआ उबाल कर खाते हैं। आप बस्तर में चले जाइए, छोटा नागपुर के पालमा, हजारी बाग और रांची जिलों में चले जाइए, वहां लोगों को तीन महीने ही साल भर में अनाज मिलता है और तीन महीने व महुए को उबाल कर खाते हैं और उसके बाद कुछ पौधे होते हैं जिनके पत्तों और जड़ को उबाल कर खाते हैं। अगर आप को नंगों को और भूखों को काफी तादाद में देखना हो तो आपको वहां देखने को मिल सकते हैं।

मैं यह तो नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट के हर चेप्टर पर बहस हो, लेकिन मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कि बापू के चरणों में बैठ कर शिक्षा पायी है। कि क्या वे आज हरिजनों और शोषित वर्ग को और समाज के बराबर ला पाए हैं।

इन को सरविसेज़ में रिजरवेशन दे दिया गया है यह ठीक है लेकिन आप देखें कि उच्च नौकरियों में उनकी कितनी संख्या है। उनको कोई प्रिफेरेंस नहीं दिया जाता। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेण्ट हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपसैट कर दिया लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।

लोग हमारे पास इस बात का सरटिफिकेट लेने आते हैं कि वे शिड्यूल्ड ट्राइब हैं और बतलाते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और हम शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं। लेकिन जब वे उस सरटिफिकेट को देते हैं तो उनसे कहा जाता है कि एम० एल० एज० और एम० पीज० का सरटिफिकेट नहीं चाहिये बल्कि तहसीलदार और मजिस्ट्रेट का सरटिफिकेट होना चाहिए। और जब वे उनका सरटिफिकेट लेने जाते हैं तो उनको दस पांच रुपया रिश्वत का देना पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्वत कचहरियों में चलती है। अगर वह दस रुपया दे दे तो अगर वह शर्मा है तो भी शिड्यूल्ड कास्ट बन जाता है और अगर दस रुपया न दे तो वह शिड्यूल्ड कास्ट होते हुए भी शिडमूल्ड कास्ट का सरटिफिकेट नहीं पा सकता।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदया इस पर प्रकाश डालें । वरना अगर वह जो कुछ अभी तक कहती आयी हैं वही कहेंगी तो हमको ऐतराज नहीं हो सकता । हम भी उसको सुनने के आदी हो गए हैं और वह भी उसको कहने की आदी हो गयी हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितनी उन्नति हुई है ।

यह ठीक है कि कुछ सामाजिक उन्नति हुई है । जब अफसर उनके इलाके में जाते हैं तो उन लोगों से कहा जाता है कि नाचो गाओ । नाच गाना तो ठीक है । इससे उनको कल्चुरल लाइफ में उन्नति होगी । लेकिन अगर उन के बास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, मकान नहीं है तो सिर्फ इस कल्चुरल लाइफ में तरक्की से काम चलने वाला नहीं है । इसलिये मैं कहूंगा कि अगर सामाजिक उन्नति के साथ-साथ आर्थिक उन्नति न हुई और इन रिपोर्टों पर ठीक से अमल न किया गया तो ये रिपोर्टें बेकार जायेंगी ।

श्री राधें लाल व्यास : सभानेत्री जी, यह जो कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है इसमें हर स्टेट के शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में अलग-अलग चेप्टर दिए हुए हैं। कमीशन ने यह माना है कि सब से अधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, और यह भी स्वीकार किया है कि पिछले सालों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों और आदिम जाति वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया गया है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता ।

प्लान में इनकी उन्नति के लिए जितने रुपए की व्यवस्था की गयी थी उसका केवल ३९ प्रतिशत खर्च किया गया और बाकी रुपया खर्च नहीं हुआ। जब यह स्थिति है तो आदिवासियों की स्थिति का कैसे सुधार हो सकता है, उनकी उन्नति कैसे हो सकती है, वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं समझता हूं कि केवल यह कह कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि राज्य सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ढीला रहा । इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी आती है और यह ऐसा विषय है जिसकी विशेष जिम्मेदारी गवर्नरों पर भी है, लेकिन अन्तिम रूप से इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है । तो मेरा निवेदन है कि केवल यह कह कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया ।

इसमें अनेक कठिनाइयां हैं । एक तो यह है कि जिन जिलों में आदिवासी रहते हैं उनके लिए उचित रूप से ट्रेंड शासकों का अभाव रहा है । दूसरे ये बड़े-बड़े जिले हैं जिनमें यातायात के साधनों का बड़ा अभाव है । सिंचाई केप्साधन यहां नहीं हैं। और इस बात को कमीशन ने स्वीकार किया है कि सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। वैसे हमारे राज्य में केवल ६ पर सेंट इरीगेशन है । पर आदिवासी क्षेत्रों में तो और भी कम है । इस तरफ तब तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार मिल कर ध्यान नहीं देंगी तब तक यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र पिछड़ा ही रहने वाला है ।

उनकी शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, यह ठीक है कि कुछ स्कालरशिप मिल रहे हैं, बस्तर में एक होस्टल भी कायम किया गया है । हाई स्कूल और हायर सैकिंडरी स्कूल भी बने हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भिलाई का कारखाना है और उसके लिए टैक्निकल परसन्स ट्रेन करने के लिए इस क्षेत्र में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बड़ी जरूरत है।

[उपाध्यक्ष महोदम पीठासीन हुए]

और केन्द्रीय सरकार को आदिवासियों के बच्चों की उन्नति के लिए इस क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूशन कीं व्यवस्था करनी चाहिए । इसी तरीके से वहां आबपाशी के जरियों को सुधारने

[श्री राधेलाल व्यास]

के लिए, अधिक आबपाशी हो इस के लिए अधिक रुपया देना चाहिए और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर कुछ अपना प्रभाव काम में ला कर जोकि बस्तर जैसा जिला है, जहां हम खुद गये थे और उसको देखा था सुधार कार्य तत्काल कराये। इतना बड़ा जिला है और बारिश में जब पानी गिरता है तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, एक तहसील से दूसरी तहसील में जाना मुश्किल हो जाता है और अधिकारियों के लिए भी दौरा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अब उन जिलों को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटी करें। आवागमन के साधन करें कि जहां आफिसर्स बराबर दौरा कर सकें, जहां कि उनकी जीप कार्स वगैरह जा सकें। और वे लोगों की हालात को देख सकें। इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा एक्सप्लायटेशन इन आदिवासियों का बहुत ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने वहां कुछ कदम उठाये थे। उदाहरण के लिए मैं आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों का धन लकड़ी और जंगल है। आदिवासियों का धन लकड़ी होती है। वहां पर उनकी हालत को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि वगैर कलक्टर की इजाजत के कोई दरख्त न तो काट सकेगा और न बेच सकेगा। उसकी बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वह कलक्टर के यहां होगा उसकी बिक्री कलक्टर के यहां होगी। कलक्टर अपने सामने रुपया दिलाता है लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में पेड़ बिके हैं और उनका पैसा जो किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, ट्रकों में भर भर कर ले जाते हैं और बराय नाम उनको पैसा दे कर चले जाते हैं। वहां सब फर्जी कार्यवाही होती है।

इसी तरीके से लेनदेन का मामला है। थोड़ा सा आदिवासियों को कर्ज दिया। चाहे जैसे आदिवासियों के अंगूठे करवा लिये, वे बहुत सीधे लोग होते हैं, चाहे जैसे लिख लिया। वे लोग बहुत सीधे होते हैं। अब बात यह है कि आदिवासियां में ईमानदारी कूट-कूट कर भरी हुई है। अगर वह कत्ल भी करेंगे तो जा कर पुलिस को कह देंगे कि हमने कत्ल किया है। चोरी उनके यहां होती नहीं है। चोरी करना वे जानते नहीं। इतने सीधे वे लोग होते हैं। इनके लिए अधिकारी विशेष तौर पर ट्रेंड होने चाहिएं। ऐसा नहीं कि हर एक कलक्टर को या डिप्टी कलक्टर अथवा हर एक पुलिस इंसपैक्टर को वहां भेज दिया। वहां पर भेजना चाहिए एक विशेष क्लास को जिसको कि सिम्पैथी हो, जिसमें सेवा की भावना हो। वे लोग अच्छे अधिकारियों को ऐप्रीशिएट करना जानते हैं। जिस समय हम और कुछ मित्र लोग वहां गये थे, हमारे साथ चौधरी रणवीर सिंह भी थे तो वहां बस्तर में एक कलक्टर पहले रह चुके थे जिनका कि नाम मिस्टर पवार था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उनके काम से आदिवासी इतने अधिक संतुष्ट थे कि जहां कहीं भी हम गये लोग पवार साहब का नाम लेते थे और उन्होंने उनके नाम पर एक गांव भी बसाया हुआ था। इसलिए यह आवश्यक है कि जो अफसर वहां भेजे जायें वे ऐसे हों जो यह समझते हों कि इस जाति को ऊपर उठाना उनका धर्म व कर्त्तव्य है। वे अधिकारी उसके लिए दिन रात एक करने वाले होने चाहियें। और जब निष्ठा, श्रद्धा और ईमानदारी के साथ वे काम करेंगे तभी यह समस्या सफलतापूर्वक हल हो सकती है। ऐसे अफसरों का एक दल कायम हो। उसके लिये जरूरी है कि उनमें विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाये। उनमें इस तरह का भाव पैदा हो तभी यह काम चल सकता है। आजकल होता क्या है? अगर कोई अफसर गलत

काम कर रहा है तो उसको सजा के तौर पर बस्तर ट्रांसफर कर दिया जाता है । अब वहां अफसर की तबियत भी नहीं लग सकती है और आदिवासियों का कल्याण भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को यदि हल करना है तो सब से पहले यह जरूरी है कि वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग एक स्टाफ रक्खा जाय जिनको कि अलग से ट्रेनिंग उनके लिए अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्च्यूट हो । जिस तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन अफसरान के लिए यहां ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से आदिवासी क्षेत्र के लिए वैल ट्रेंड लोग भेजे जायें। इसके अलावा सुपरविजन का इंतजाम ठीक हो और यह देखा जाय कि वह बराबर ठीक काम करते हैं या नहीं और स्कीमों पर रुपया ठीक से खर्च होता है अथवा नहीं। अब देखने में यह आता है कि ऐन मौके पर जब साल खत्म होने को होता है तब जल्दी जल्दी एलोटमेंट रुपये का किया जाता है और परिणामस्वरूप रुपया खर्च नहीं हो पाता है । और जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । यह बड़ा विकट प्रश्न है। कमिशन ने इसमें काफी मेहनत की है । मैं कमिशन के चेयरमैन और मैम्बर्स को भी बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां का जो प्रशासन है, वह दूसरे राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है । वहां के आदिवासियों की स्थिति शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, कहने का मतलब यह है कि सभी तरह से पिछड़ी हुई है । इसलिए उस ओर भी ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है ।

वहां का जो आबू मार्ग क्षेत्र है और वहां जो आदिवासी बसते हैं, आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वह बिलकुल एक सब से पुरानी स्थिति में रहते हैं। ये अभी भी कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं। सभ्यता क्या है और दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, इस की हवा भी उन्हें नहीं लगी है । यह वह इलाका है जहां दूसरे लोग और अफसर लोग पहुंच नहीं पाते हैं और न वहां कोई जाने का प्रयत्न करता है क्योंकि वहां जाना बहुत मुश्किल होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों का हमारे केन्द्रीय मंत्री भी दौरा करें और अपनी आंखों से वहां की स्थिति का अध्ययन करें। उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने से ही आदिवासी भाइयों का कल्याण हो सकेगा। यह हमारे लिए एक बड़ा अभिशाप है कि इतना बड़ा वर्ग पीछे रहे और हम थोड़े रूप में उनके लिए योजनाएं बना कर धीरे धीरे काम करें। अब धीरे धीरे चलने का समय नहीं है । जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करने से ही वे आगे बढ़ सकते हैं।

श्रीमती सावित्रि निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आज हम लोगों को इस महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कमिशन के सभी सदस्य और चेयरमैन हमारी बधाई के पात्र हैं। जितने परिश्रम, जितनी सूझबूझ और लगन के साथ उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है उसे देख कर यह विश्वास सा हो जाता है कि अब इस समस्या के सुलझने में देर नहीं है । किन्तु मैं यहां यह भी स्मरण कराना चाहती हूं कि यदि इस रिपोर्ट के इम्प्लीमेंट करने में इस को पूरा करने में उस की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार नहीं हुआ और सही सही कदम शीघ्र ही नहीं उठाये गये तो यह भी एक बिल्कुल बैकार सी रिपोर्ट आगे चल कर बन जायेगी ।

श्रीमन, इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही बुनियादी बातें कही गयीं हैं। कुछ बेसिक डिफैक्ट्स ४१ पेज पर हमें बतलाये गये हैं। मैं इस असवर पर केवल थोड़े से अंशों को, दो, चार लाइनें,

संक्षेप में य ां पर रक्खूंगी और उनके बारे में जिक्र करूंगी। इस में ४१ पेज पर तीसरे पैराग्राफ में य लिखा हुआ है कि राज्यपाल के कृत्यों की पर्याप्त व्याख्या नहीं की गई। संविधान ने स्वतंत्रता पूर्व के निदेशों को म त्व नहीं दिया था किन्तु संविधान के उपबन्धों में कुछ वृद्धि की आवश्यकता है। राज्य सरकारों से पांचवीं अनुसूची के पांचवें पैरा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए कहा जा सकता है। जो बुनियादी डिफैक्टस हैं, उनको दूर किया जाना चाहिये। आज तक ऐसा नहीं किया गया है और इसका नतीजा य है कि केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय मंत्रालय के सारे प्रयास स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचते पहुंचते और फिर स्टेट के प्रयास नीचे वहां आदिवासियों तक पहुंचते पहुंचते समाप्त से हो जाते हैं। आज स्थिति क्या है? बड़ी बड़ी ग्रांट्स, बड़ी बड़ी सहायता की योजनायें केन्द्रीय मंत्रालय में हैं। कुछ स्टेट्स उनका थोड़ा बहुत फायदा उठाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में जाकर जब वे पहुंचती हैं, तो उनका प्रभाव नहीं के बराबर हो जाता है। आप देखें कि लैण्ड रिफार्म्स का क्या हुआ। कई बार इस सदन में इसके बारे में यह जद्दोज द करनी पड़ी है, कितनी ही बार स्टेट्स में जोरों शोरों से आवाजें उठी हैं लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियो का उसी प्रकार से एविवशन जारी है। मेरे पास कई पत्र आये हैं अपने क्षेत्र से जिन में बताया गया है कि जमीन की बात तो दूर रही मकान वगैरह तक जोत दिये गये हैं। जमीन की बात तो आप छोड़ें, उनके मकान तक जुत गए हैं। जो शक्तिशाली ठेकेदार हैं, जो जंगलात में आदिवासी र ते हैं और उन से जो नाराज़ हो गए हैं, उनकी उन्होंने जमीनें तो ले ही ली हैं, पशु तो ले ही लिए हैं लेकिन साथ ही साथ मकान तक जोत दिये हैं। उस वास्ते मैं कहना चा ती हूं कि जहां तक एविक्शंज़ का संबंध है, सरकार की ओर से जब तक उनको लीगल स ायता नहीं पहुंचाई जाती है, उनका एविक्शन बराबर जारी रहेगा, इस में कोई सन्देह नहीं है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे दूसरे कई माननीय सदस्यों ने क ा है, जो प्रोग्रेस की पेश है, जो विकास की गति है, वह बहुत धीमी है, बहुत स्लो है। भले ही हम लोग ऊंचे-ऊंचे आदर्शवादी की बात करें, भले ही राजनीतिज्ञ या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्ज़ कह रहे हों कि जहां तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके उत्थान की हम पूरी कोशिश करेंगे ; उनके शोषण को रोकने की हम पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन हम को यह मानना पड़ेगा, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका बहुत ही कम विकास हम कर पाये हैं और बहुत ही कम परिवर्तन हो पाये हैं। हम ने बड़े बड़े नैशनल प्रोजैक्ट बनायें, बड़े बड़े डैम बनाये हैं और जिन जगहों पर ये बने हैं, वहां पर उन्होंने और हम सभी ने यह सोचा था कि हमारी मंगलकारी, हमारी कल्याणकारी सरकार और हमारा यह जो गृह मंत्रालय है जोकि उनके कल्याण में लगा रहता है, वह इस बात की चेष्टा अवश्य करेगा कि कम से कम सरकारी स्तर से तो इन लोगों को शोषण न हो। इन लोगों की जमीनें ली गई हैं लेकिन आज तक भी बहुत सो जगहों में इनको मुआवज़ा नहीं मिला है। मैं आपका ध्यान रिहंद और तलैया डैम्ज़ की ओर खींचना चा ती हूं और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ओर दिलाना चा ती हूं। जिन आदिवासी भाइयों की वहां पर ज़मीनें ली गई हैं, उनको अपनी ज़मीनों का बहुत ही थोड़ा मुआवज़ा दिया गया है और यह थोड़ा सा पैसा भी इस प्रकार से दिया गया है कि न तो ये बेचारे जो आदिवासी भाई हैं, उससे मकान बना पाये हैं और न जमीनें ही ले पाये हैं और उनकी स्थिति बहुत ही गिर गई है। पहले तो ये जंगलों में फल फूल खा लेते थे और अपने छोटे से झोंपड़े में रह लेते थे लेकिन आज उनकी स्थिति भिखारियों की सी हो गई है और भिखारी वृत्ति उन में से बहुतों को मजबूर हो कर अपनानी पड़ी है। जो थोड़ा सा पैसा उनको मिला, वह उन्होंने आजकल की सभ्यता के सम्पर्क में आ कर खर्च कर डाला और अब उनके पास जीवन

यापन का कोई साधन नहीं रह गया है। वह रुपया उन्होंने थोड़े से दिनों में खर्च कर डाला और अब वे उजड़ से गये हैं। मेरा सुझाव है कि जब कभी आदिवासी क्षेत्रों की कोई भूमि ली जाए तो गृह मंत्रालय को आदेश निकालना चाहिये कि आदिवासियों के पुनर्वास की एक समुचित योजना बना दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि फिर इस प्रकार से उनके पुनर्वास की समस्या न तो केन्द्रीय मंत्रालयों के सामने रखी जाएगी और न ही समाज सेवियों के लिए यह कोई समस्या बन सकेगी।

कर्ज़ के संबंध में अब मैं एक बात कहना चाहती हूं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस बारे में बड़े अच्छे अच्छे कानून बनाने हैं और अच्छे अच्छे कदम उठाये हैं। लेकिन इतना होने पर भी आदिवासी क्षेत्रों में जो मनीलैण्डर हैं, जो महाजन है, वह उसी तरह से शोषण कर रहा है जिस तरह से पहले किया करता था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक हम आदिवसी क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं भेजेंगे जिनके हृदय में सहानुभूति हो, जो उसी क्षेत्र से आते हों और उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हों, जिन को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने की विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी गई हो, तब तक इन बेचारे भाइयों का कल्याण कभी न हो सकेगा। इसका कारण है कि उनकी जो नित्य प्रति की आवश्यकतायें हैं, उन से हमारी अधिकारीगण बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं और वे इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं कि कौन सा मनीलैण्डर है जोकि उनका इस प्रकार से शोषण करता है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि आज कल भी मनीलैण्डर्ज़ की तरफ से इन आदिवासियों को २५ परसेंट और २६ परसेंट की दर से सूद पर रुपया दिया जाता है। और कहीं की नहीं अपने ही क्षेत्र की बात मैं आपको बता रही हूं। मैंने एक मैमोरंडम भी इस विषय में स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है और उस में बताया है कि वहां पर जो मनीलैण्डर हैं उन्होंने आदिवासियों पर इतने कर्ज़ चढ़ा रखे हैं कि वे जन्मजन्मांतर तक निकल नहीं सकते हैं और जन्मजन्मांतर तक वे गुलाम बने रहेंगे। होता यह है कि बाबा का कर्ज़ जो होता है, उसको अगर उसका पुत्र नहीं चुका पाता है तो उसका जो ग्रांडसन होता है, वह भी उसी प्रकार से ठेकेदार के यहां जा कर मुफ्त में काम करता है और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। दो दो और ड़ेढ़ ड़ेढ़ सौ वाले इस तरह से ठेकेदारों के यहां काम करते हैं। अगर कई आदनी भाग करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो ठेकेदार के गुण्ड जा कर उसको मार पीट कर वापिस मनीलैण्डर के यहां ले आते हैं और वह उससे काम करवाता है। ये आदिवासी भाई आज भी ठेकेदारों की सम्पत्ति बने हुए हैं। इस विषय में मैंने श्रीमती सुचेता कृपलानी को लिखा था और उनको वहां ले जा कर स्वयं दिखाया था। पहले तो वह मेरी बात को सच ही नहीं मानतीं थीं लेकिन मैंने उनको वहां ले जाकर उनके सामने कलैक्टर से पूछा कि आप बतायें कि मेरे स्टेटमेंट में क्या कमी है तो कलैक्टर महोदय ने कहा कि मेरा स्टदमेंट बिल्कुल सही है। आज भी एक एक ठेकेदार के पास दो दो सौ और डेढ़ डेढ़ सौ कोल एसे हैं जोकि जन्मजात गुलाम हैं और दासत्व प्रथा ऐसा मालूम होता है कि आज भी उस स्टट के उस क्षेत्र में विद्यमान है। व लोग पूरी जिन्दगी भर ठेकेदार के लिए काम करते हैं। जहां तक गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्री जी का संबंध है या गृह मंत्राणी जी का संबंध है, उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति है, यह मैं जानती हूं। मैं यह भी जानती हूं कि उन्होंने इस बात की चेष्टा भी की है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ न कुछ उनकी सहायता करवाई जाए। लेकिन श्रीमन, वही बात है कि जब ऐसे अधिकारी जिन की न तो उन लोगों के प्रति सहानुभूति है और न ही योग्यता या अनुभव है और न ही कोई ज्ञान है, वे वहां भेज दिये जाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि जीप में ये लोग जाते हैं और इधर उधर सैर करके और दो चार बार अन्दर भीतर जा आकर वापिस आ जाते हैं आपको चाहिए कि आप एडवाइज़री काउंसिल या एडवाइज़री कमेटी उस क्षत्र में जा कर बनायें

और वहां जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उन का पूरा सहयोग लें जैसा कि हरिजन विभाग में होता है। हरिजन विभाग में जो उस क्षेत्र के समाज सेवी लोग हैं उनको थोड़ा सा आनरेरियम दिया जाता है। इसी तरह से यदि आदिवासी क्षेत्रों के लिए उन समाज सेवियों के लिए जो वहां काम करने के लिए तैयार हों या पहले से काम कर रहे हों यदि थोड़ा सा आनरेरियम दिया जाएगा, सवारी वगैरह का खर्च दिया जाएगा और एक एक आदिवासी क्षेत्र में अच्छे अच्छे दस दस या पन्द्रह पन्द्रह कार्यकर्ता रखे जायेंगे तो कोई वजह नहीं है कि चाहे अनुभवहीन ही कोई अधिकारी क्यों न हो, वह उन कार्यकर्ताओं के अनुभव से लाभान्वित हो करके, उन क्षेत्रों में एक नई रोशनी जगा देगा।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एक बार इन आदिवासी भाइयों को आप अवसर दे दें, एक बार इनको औजार दे दें, एक बार इनकी थोड़ी सी सहायता कर दें फिर आप देखेंगे कि इतनी तेजी और इतने ब्रिलियेंट और इतने इंटैलीजेंट इनके बच्चे निकलेंगे, इतने होशियार निकलेंगे कि वे अपनी सारी समस्यायें स्वयं ही हल कर लेंगे। ऐसा हुआ है और आगे भी हो सकता है।

अब मैं एक ऐसे क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं जोकि शैड्यूल्ड एरिया में लिया जाना चाहिए था लेकिन लिया नहीं गया। और भी बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं लेकिन एक के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं। बांदा के एक क्षेत्र की बात मैं कहती हूं। वह आदिवासी क्षेत्र है। यहां गृह मंत्रालय से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हालांकि देर हुई है, भूल हुई है, गलती हुई है लेकिन अब उस क्षेत्र को आप अपने शैड्यूल में शामिल कर लीजिए, उस वक्त इसको किसी वजह से नहीं कर पाये थे। मैं समझती हूं कि यदि उस क्षेत्र को शैड्यूल में शामिल कर लिया जाये और गृह मंत्रालय से मिलने वाले सारे लाभ उस क्षेत्र को दिये जाने लगें तो वहां का जो दयनीय स्थिति आज है, उसका अन्त करने में देर नहीं लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्रीमती सावित्री निगम : यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस पर और मुझे समय दिया जाना चाहिये। अभी तक तो मैं ने एक दो प्वाइंट ही आपके सामने रखे हैं और अभी तो काफी कुछ कहने को पड़ा हुआ है। अगर एक दो मिनट देने की और कृपा करेंगे तो मैं आपकी आभारी होऊंगी वर्ना आपकी आज्ञा हो तो यहीं खत्म कर दूं और बैठ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : ले लीजिये।

श्रीमती सावित्री निगम : स्टेट गवर्नमेंटस केन्द्रीय सरकार से जिन विषयों में मदद मांगती हैं, मैं चाहती हूं, उसके नियमों में थोड़ी सी फ्लेक्सेविलिटी लाई जाए। कुछ ऐसी योजनायें हैं जो यहां केन्द्रीय सरकार ने तो स्वीकृत कर दी है लेकिन चूंकि विभिन्न स्टेट्स में परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए थोड़ी सी स्टेट्स गवर्नमेंट्स को छूट रहे और वे अगर फ्लेक्सेविलिटी लाना चाहें तो इसकी उनको डिसक्रोशन रहे तो अच्छा होगा। मैं यह सुविधा किसी व्यक्ति विशेष या स्टेट विशेष के लिए नहीं मांग रही हूं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स इन योजनाओं में फ्लैक्सेविलिटी लाना चाहें या इसकी जरूरत समझें तो उनको इसकी इजाजत रहनी चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहती हूं कि आश्रम बनाने की या होस्टल बनाने की योजना यहां पर केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति ली जाती है और उसके लिए काफी धनराशि दी जाती है। लेकिन यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्कूल खोले

दे जिस में कि आदिवासियों को हर प्रकार के कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाय तो उस में हमेशा यह अड़चन आती है कि आप उनसे कहते हैं कि वे अपने उद्योग विभाग से यह ग्रान्ट दिलायें, हम तो आप को होस्टल के लिये ग्रांट दे सकते हैं । मैं गृह मंत्रालय से आप के और इस सदन के द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब कभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी नई नई योजनायें बनायें तो उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिये, उन के साथ कुछ उदारता बरती जानी चाहिये । स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी किसी कदर भी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी से कम नहीं है । जन कल्याण की जो योजनायें होती हैं चूंकि उन का सम्बन्ध सीधा मासेज से, जन समुदाय से होता है इसलिये यह आवश्यक है कि उन की जो प्रार्थनायें हों उन्हें जरूर सुना जाय । ट्राइबल वेलफेअर कौंसिल जो है उस को यह अथारिटी मिलनी चाहिये कि जो ग्रांटस स्टेट गवर्नमेंट से मिले या केन्द्रीय सरकार से मिले वे उन को अन्डर वेरियस हेड्स चेन्ज कर सकें । आप को मालूम है कि ट्राइबल वेलफेअर कौंसिल में बड़ी छान बीन और स्कूटिनी के बाद वही व्यक्ति लिये जाते हैं जिन का पुराना अनुभव होता है ट्राइबल्स के बीच में काम करने का । जब कभी ट्राइबल वेलफेअर कौंसिल की सिफारिशों के सम्बन्ध में ग्रान्ट्स को थोड़ा बहुत चेन्ज किया जाय तो उसे मानने में न गृह मंत्रालय को और न ही स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई हर्ज समझना चाहिये ।

सेपरेट सेक्रेरियट जो होता है वह स्टेट गवर्नमेंटस में भी बनना चाहिये । हम लोगों ने कई बार मांग की यहां पर कि एक ट्राइबल वेलफेअर मिनिस्ट्री अलग बनाई जाय । मत बनाइये मिनिस्ट्री, लेकिन मैं चाहती हूं कि कम से कम एक अलग सेक्रेटरियट बने ताकि जो प्रार्थना पत्र आयें ट्राइबल वेलफेअर के लिये वे विशाल मंत्रालय में आ कर खो न जायें । अगर अलग केन्द्र इस तरह का स्थापित किया जाय तो मैं समझती हूं कि उन के काम में बहुत तीव्रता आ सकती है ।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करती हूं । चाहे कलेक्टर्स हों चाहे ट्राइबल वेल्फेयर आफिसर हों, उन लोगों में आपस में कभी कभी एक प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं होता है । मैं चाहती हूं कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और, ट्राइबल वलफअर के लिय सारे डिपार्टमेंट्स में पूरा सहयोग मिलता रहे । एक डिपार्टमेंटल एडवाइजज्री कौंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्राइबल वलफअर के लिय बननी चाहिय ।

श्री क० ना० तिवारी (वगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि यह कमिशन जो घूमा है उस ने एक पार्ट्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, और वह है मेरा जिला चम्पारन । चम्पारन का जो नेपाल की तराई का इलाका है उस के किनारे धांगड़, मुसहर, थन आदि जातियां बसती हैं । धांगड़ लोग छोटा नागपुर से यहां गये हुये हैं । उन की वही हालत है जो छोटा नागपुर में बसने वाले धांगड़ों की है । ये उसके और जुंडा, मुंडा आदि नामों से जाने जाते हैं जिस समय चम्पारन इंडिगो प्लैन्टर्स थे उस वक्त के छोटा नागपुर से उन को ले गये थे । उन की तादाद काफी थी । करीब डेढ़ लाख आबादी वहां पर थी । उन की आर्थिक और सामाजिक हालत वैसी ही है जैसी कि छोटा नागपुर या दूसरे प्रदेशों में बसने वाले जो ट्राइबल्स हैं उन की है । वहां पर यह कमिशन नहीं गया और उन लोगों की हालत को उस ने नहीं देखा । मेरा नम्र निवेदन है कि जो सुविधाएं और जगहों के लिये दी जायें वही सुविधायें वहां भी दी जायें ।

[श्री क० ना० तिवारी]

हम लोगों का अनुभव यह है कि जो उन लोगों के रेजिडेंशल स्कूल खोले जाते हैं, उन में जो शिक्षा दी जाती है और उन का जो प्रबन्ध है वह ऐसा है जिस से जो फायदा होना चाहिये, और जो उद्देश्य है रेजिडेंशल स्कूल खोल कर फायदा पहुंचाने का, वह पूरा नहीं होता । लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, और लड़के जो हैं वह छोटी जमात तक, चौथी या पांचवीं जमात तक तो पढ़ लेते हैं, वह भी बहुत कम तादाद में, लेकिन आगे पढ़ने का उन के लिये कोई प्रबन्ध नहीं होता । इसलिय मेरा सुझाव यह है कि चम्पारन के मगहियों डोमो के लिये जो प्रबन्ध किया गया था, यानी उन के लड़के लड़कियों को उन के घर से निकाल कर, उन से हटा कर, दूर कर के उन की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया, उन के कल्चर और उन की दूसरी चीजों को बदलने की कोशिश की गई, ठीक उसी प्रकार से इन का भी इन्तजाम होना चाहिये । जब तक उन के लड़के और लड़कियां न से हटा नहीं ली जायेंगी, उन से अलग कर के किसी एसे स्थान पर नहीं रक्खी जायेंगी, जहां रोजाना जो उन की खती बाड़ी और पशुपालन का ढंग है जिस में उन के गार्डियन्स बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और उन से काम लेते हैं, अगर उन से अलग नहीं रक्खा गया तो जो मकसद है उन में शिक्षा प्रचार का, वह पूरा नहीं होगा । इसलिय मेरा सुझाव है कि रेजिडेंशल स्कूल जो हैं उन में बच्चों को घर से हटा कर रक्खा जाय और जिस तरह से मिशनरीज वगैरह रखते हैं, केवल छुट्टी के दिनों में उन्हें घर जाने दिया जाय । फिर जैसे जैसे उन के बच्चे पढ़ते चले जायें, उन को उत्साहित दिया जाय ताकि आगे की शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उन को मदद मिले और उन की उस में दिलचस्पी बढ़े । तभी उन का विकास हो सकता है और समाज में उन का आदर हो सकता है, और तभी व पुराने तरीके से अलग किया जा सकते हैं । इसलिय मेरा सुझाव यह है कि कमिशन को बिहार गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहिये कि उन की जो कंडिशन्स हैं उन को भी जो केन्द्रीय सरकार है उस को मालूम करायें और उस के बाद जितनी भी सुविधायें और जगह की जा जा सकती हैं उतनी उन को दी जाये ।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है । लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं ने राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाके का दौरा किया है, उस समय मैं ने जो स्थिति आदिवासियों की देखी उस में मैं कह सकता हूं , कि वे प्रकृति के पुत्र हैं, धरती उन का बिछौना है और आसमान ओढ़ना है । मैंने रात को उनको देखा, मैं वहां पर आब्जर्वर लगा था, कि सर्दी के महीने में लकड़ी जला कर के अपना काम चलाते हैं । वह लकड़ी रात को जलाते हैं और एक साइड को सो जाते हैं, जब वह साइड गरम हो जाती है, तब साइड बदल कर दूसरे तरफ के अंग को गरम करते हैं । मैं ने उन के पास टूटी फूटी हंडिया देखी जिस में व मकई या दूसरा दाना उबाल कर खा लेते हैं और उस पर भी तृप्त रहते हैं । लेकिन जब भी आदिवासियों के लिये कमिशन बनता है और वह उन के लिये कुछ सिफारिशें करता है तो वे सिफारिशें कागजों के अन्दर ही रह जाती हैं, उन को जिस प्रकार से कार्य रूप में परिणत होना चाहिये वह नहीं होता । आदिवासियों को जितनी सहूलियतें देने की बात कही जाती है वह केवल उन का प्रचार है, प्रोपेगन्डा है । उन के सारे मैनेज़मेंट पर जो पैसा खर्च होता है, मैं समझता हूं कि उसका २५ परसेन्ट भी असलियत में उन पर खर्च नहीं होता । मगर यह सारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि थाना एरिया जो है उसे आदिवासी घोषित किया जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि जब उन को हम आदिवासी मानते हैं, और वे आदिवासी हैं, तो सन् १९५५ में अमेंडमेंट क्यों किया गया । वह पहले शैड्यूल्ड कास्ट्स थें और शैडयूल्ड ट्राइब्ज थे, लेकिन पांच साल के लिये उन को जो स्कालरशिप्स मिलने चाहियें थे या सर्विसेज के अन्दर जग मिलनी चाहियें थीं वह उन को नहीं मिलीं और बाद में अमेंडमेंट कर के उन को शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची में ले लिया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हम सन् १९५५ से चलते आये हैं वह तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को सन् १९६० में अनुसूचित जाति में घोषित करते हैं तो जितना लाभ हमें पांच सालों में मिला है वह तो पांच साल के लिये उन को बढ़ा देना चाहिये । सर्विसेज में जो उन की रिजर्वेशन की सहूलियत थी वह तो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिये । मैं यह भी महसूस करता हूं कि नाम उलट गया है । जो आदिवासी थे वे अनादिवासी कहलाते हैं और जो अनादिवासी थे वे आदिवासी कहलाने लगे हैं । जो हिन्दुस्तान के पहले आदिवासी थे उनकी तरक्की अभी तक नहीं हुई है । आगे जा कर क्या होगा ।

हाउस में सदस्यों ने बार बार सरकार से मांग की है कि इन के लिये अलग एक मंत्रालय बनाया जाए। लेकिन जब हम अलग मंत्रालय की बात कहते हैं तो लोग हम को ताना कसते हैं कि तुम कम्युनल हो और जातिवाद लाना चाहते हो। यह जातिवाद की बात नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि भारत विभाजन के बाद रिफ्यूजीज को फिर से बसाने की अच्छी व्यवस्था की गयी है। मुझे उनको देख कर खुशी होती। इन लोगों को सरकार ने करोड़ों की संख्या में फिर से बसाया है। जब सरकार इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है तो समझ में नहीं आता कि आज तक आदिवासी और हरिजनों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका ।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता । लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि हमारी सरकार तो हमारे लिये बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उसके अफसर लोग उसकी नीति का पूरी तरह पालन नहीं करते क्योंकि उनमें आज भी तानाशाही और नौकरशाही है । हम चाहते थे कि लोकशाही आवे लेकिन अभी भी नौकरशाही पनप रही है । और हमारी योजनायें कागज पर ही रह जाती हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की समस्या राष्ट्र की समस्या है । हमारा देश बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में और इस पार्लियामेंट में नहीं है । ४५ करोड़ लोगों के समूह का नाम हिन्दुस्तान है और अगर इस देश के किसी भी अंग में कमजोरी है तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान कमजोर रहता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन भाइयों के लिये जो कुछ हो सकता है करना चाहिये ।

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा और सुझावों के लिये मैं सभा की आभारी हूं। उपेक्षा भाव के कारण नहीं बल्कि कुछ अन्य विधान कार्य के कारण इस पर सितम्बर के बाद अब चर्चा की जा सकी है। तो भी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार की सिफारिशों को कार्यान्वित करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

सदस्यों के मूल्यवान सुझावों से निस्संदेह हमारे व्यय और प्रयत्नों से अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा पिछड़ी जातियों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य मंत्रियों का जुलाई, १९६२ में सम्मेलन बुलाया गया था क्योंकि आयोग की बहुत सी सिफारिशें राज्यों को कार्यान्वित करनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

सम्मेलन ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उसके निष्कर्ष अगस्त में सभा पटल पर रखे गये थे।

ढेबर आयोग की केवल अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों को ही मैं यहां लूंगी। आयोग ने सिफारिश की है कि आदिम जातियों के हितों को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए विशेष विधियां बनानी चाहियें। गृह कार्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि राज्यों को यह निधियां दो साल के भीतर बना लेनी चाहियें और इस काम में आदिम जातियों की अधिकतम सहकारी समितियां बनानी चाहियें। राज्य मंत्री इससे सहमत हो गये थे और इस क्षेत्र में शीघ्र ही सुधार होगा।

राज्य पाल का प्रतिवेदन तैयार करने और पांचवी अनुसूची के अधिकारों के उस द्वारा प्रभावी प्रयोग के बारे में भी आयोग ने सिफारिश की थी। राज्य सरकारें प्रतिवेदन तैयार करने के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सहमत हो गई है और इस बात की भी जांच कर रही है कि राज्यपालों के पथ प्रदर्शन का अधिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

आयोग की सब से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि इस ने केवल आदिम जातियों के क्षेत्र का उल्लेख करने की बजाय गहन विकास के क्षेत्र पर बल दिया है। यह गहन विकास के कार्यक्रम को अपना लिया गया तो उचित समय में ही अनुसूचित क्षेत्रों का उद्देश्य पूरा हो जायगा। क्षेत्रों को अनुसूचित करने का महत्व नहीं रहेगा क्योंकि आयोग ने इसके लिए आदिम जाति विकास खंड का साधन बनाया है।

गृह-कार्य मंत्री ने चर्चा आरम्भ करते समय जैसे घोषणा की थी आदिम जाति विकास खंड चौथी योजना के अन्त में बहुसंख्य आदिम जातियों के क्षेत्रों में बना दिये जायेंगे। प्रारम्भिक कार्य चालू योजना के अन्त में लिया जाएगा।

योजना आयोग ने पहले प्रस्तावित ३३० खण्डों के अतिरिक्त १२० खण्डों की मंजूरी दे दी है। जिन राज्यों में आदिम जातियों की जन संख्या ६६⅔ प्रतिशत है वहां १२० खण्ड नियत किये जा चुके हैं। इस प्रकार तीसरी योजना में ४५० आदिम जाति विकास खण्ड काम करने लगेंगे।

हमारा विचार है कि जहां ६६⅔ प्रतिशत ही नहीं बल्कि ५० प्रतिशत आबादी भी आदिम जाति की हो वहां भी चौथी योजना में विकास खंड स्थापित किये जाएं। ऐसे कितने खण्ड आरम्भ किये जायेंगे इसका ब्योरा अध्ययन के बाद किया जायगा किन्तु मोटे तौर ५०० का अनुमान है। अनेक सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि इन खण्डों के लिए प्रशिक्षित लोग चाहियें और कल्याण योजनाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर उचित ही बल दिया गया है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्योरे के सम्बन्ध में सामुदायिक विकास और सहकार तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री के परामर्श से तैयार किया गया है। अतिरिक्त खण्डों के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इस का सामुदायिक विकास मंत्रालय निरंतर अध्ययन कर रहा है। आदिम जाति विकास खण्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को उन जातियों के जीवन और संस्कृति के बारे में विशष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची के अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका केन्द्र स्थापित किया गया है। उद्देश्य यही है कि कहीं बड़े पैमाने पर कार्य करने से काम मन्दा ना होने लगें। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रविधिक कर्मचारी समय पर मिल जाएं और निधि का उपयोग लाभदायक ढंग से हो।

अधिकारियों द्वारा आदिम जातियों की भाषा सीखने के बारे में वर्तमान स्थिति को जानने और एक रूप पद्धति का नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। बिहार सरकार के कर्मचारी को अठारह मास के अन्दर आदिम जाति की भाषा में परीक्षा पास करनी पड़ती है। बिहार सरकार जिलों में कक्षाएं लगाने और पुस्तकें मुफ्त देने के ठोस कार्य कर रही है। पारितोषिक देने की भी व्यवस्था है।

अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के कार्यक्रम में सुधार हुआ है और साथ ही प्रविधिक शिक्षा की प्रगति हुई है। अब अधिकाधिक संख्या में आदिम जातियों के लोग देश की सामान्य सेवा और आदिम जातियों के क्षेत्रों में ज ं के लिए प्रविधिज्ञों का अभाव र ता था, काम करने के लिये उपलब्ध होने लगे हैं। आदिम जाति क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न प्रविधिक व्यवसायों का प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षतों को नौकरी दिलाई जाती है। तखतपुर, खोरबा और इम्फाल में तीन और बि ार में दो ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इस के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग्य लड़कों के प्रशिक्षण के लिए जगहें रक्षित रखी जाती हैं।

जल पूर्ति योजना में स्थानीय अंशदान को छूट देने के लिए आयोग ने जो सिफारिश की थी उसके सम्बन्ध में योजना आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि ऐसे इंजीनियरिंग प्रकार के अंशदान की छूट दे दी जाए। ह मने राज्य सरगकारों से क ा है कि आदिम जाति क्षत्रों में जल संभरण बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया जाए।

सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिम जाति के लोगों के संतोषजनक पुनर्वास के लिए आयोग ने सिफारिश की है। राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस पर बल दिया है कि उन्हें न केवल क्षतिपूर्ति दी जाए बल्कि भूमि पर बसाया जाए और रोजगार भी दिया जाएं। ह म इस बात से स मत हुए कि बड़े पैमाने पर जो उद्योगीकरण हो रहा है उसमें उन्हें रोजगार के अवसर दिये जाएं। ऐसे विस्थापित लोगों के पुनर्वास के प्रश्न का मंत्रालय ने अध्ययन किया है और सम्बन्धित मंत्रालय से बात चीत करके एकरूप तथा संतोषजनक नीति बनाने का विचार है।

रांची के भी इंजीनियरिंग निगम में विस्थापित लोगों को काम दिया गया है और उन्हें अच्छी क्षतिपूर्ति दी गई है और उन्हें बिहार की आई० टी० आई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुछ सदस्यों ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की बात कही थी। केन्द्र में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश पर विचार किया गया है। न केवल समन्वय कार्य के लिए बल्कि योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये मंत्रालय के संगठन को सुदृढ़ बनाने का विचार है। सेवाओं में आदिम जाति के लोगों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जा र ा है। आठ वर्षों में विशेष प्रयत्न द्वारा पूरी रक्षित जगहे भर ली गई हैं। केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियों द्वारा सहायता दी जा रही है।

राज्य मंत्रियों ने अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में कुछ प्रतिशत रक्षित जगहें रखना स्वीकार कर लिया है और स्थानीय संस्थाओं में उन के प्रतिनिधित्व की सिफारिश को भी मान लिया है। सरकारी उपक्रमों में प्रतिनिधित्व की सिफारिश के बारे में प्रशासनिक मंत्रियों को लिखा गया है। सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव १०, १२ वर्ष में प्रतीत होने लगेगा।

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

दादर और नागर हवेली का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि वहां के लोग विदेशी शासन द्वारा पीड़ित रहे हैं। अतः उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। यह क्षेत्र अभी वैदेशिक कार्य-मंत्रालय के अधीन है। उस क्षेत्र में भी दो विकास खण्ड स्थापित किये गये हैं और यथा-संभव अधिकाधिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह क्षेत्र वैदेशिक मंत्रालय के अधीन है। गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता। अब मैं आदिम जाति कल्याण विभाग और सामान्य विकास विभाग के समन्वय को लेती हूं।

हम बन मजदूर सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस से कि वें ठेकेदारों का स्थान ले सकें। इसके लिये हम ने पंचवर्षीय योजनाओं में उपयुक्त व्यवस्था कर दी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में २.७३ करोड़ रुपयों की योजनायें केन्द्रीय तत्वाधान में आरम्भ की जाने की व्यवस्था है। द्वितीय योजना में इस कार्य के लिये २.७३ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया था। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ८६८ सरकारी संस्थायें आरम्भ की गयी थीं। बनों तथा आदिम जातियों के बारे में विस्तृत सिफारिशें की गयीं हैं तथा सम्मेलन ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यह निश्चय किया गया है कि मकान बनाने के लिय लकड़ी देने के नियमों में अधिक ढिलाई कर दी जाय। विशेष कार्यकारी दल ने जो अभी हाल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उस में उन्हें आदिम जातियों के लिये ८६९ लाख रुपयों की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। इस प्रयोजन के लिये ७२५ लाख रुपयों की व्यवस्था कर ली गयी है। हम राज्य सरकारों को यह लिख चुके हैं कि वे इस राशि का पूरा पूरा उपयोग करें।

वस्तुतः हम सभी सिफारिशों पर अमल करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं यदि वे केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आयेंगी तो हम उन पर अमल करेंगे यदि वे राज्य सरकारों के क्षेत्र में हैं तो हम उन से पूरा करने को लिखेंगे।

†**श्री दे० जो० नायक** : आदिम जातियों द्वारा लिये गये ऋण के समझौते के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यहि राज्य सरकार के क्षेत्र के अधीन है।

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : आयोग द्वारा की गयी कौन कौन सी सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मुख्य सिफारिश "वैकल्पिक रवैय" संबन्धी है। यह हमने स्वीकार कर ली है।

†**श्री स्वैल** : यदि आदिम जाति का कोई विद्यार्थी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो क्या उसे अपनी सामान्य छात्रवृत्ति छोड़नी पड़ती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति गरीबी के आधार पर मिलती है। यदि वे योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिये। यदि माननीय सदस्य कुछ विशेष मामले मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं उन पर उचित कार्य-वाही करूंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री व्यास का यह कथन ठीक है कि कुल अनुदान से कहीं कहीं तो केवल ३९ प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है, यदि हां तो कुल राशि के उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : किसी भी राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिये निश्चित राशि का केवल ३९ प्रतिशत ही व्यय किया । मैं इस मामले पर गौर करूंगी ।

†**श्री नायपाई** (राजापुर) : क्या यह सच है कि विद्यार्थियों को दिये गये ऋणों की वसूली बड़ी निर्दयतापूर्वक की जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बात मेरे ध्यान में इसके पूर्व नहीं लाई गयी । तथापि यदि कुछ बालक ऐसे हैं जिन्हें ऋणों की राशि वापस लौटाने में बहुत कठिनाई होती है तो उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिये । हम राज्य सरकारों से इस विषय पर परामर्श करेंगे । यह सत्य है कि कुछ राज्य सरकारें बजट की पूरी राशि व्यय करने में असमर्थ हैं तथापि डा० सिंघवी जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां की स्थिति काफी अच्छी है । मेरे विचार से डा० सिंघवी का यह आरोप अनुचित है कि सारी राशि का दुरुपयोग किया गया या उसका गबन कर दिया गया । मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि राज्य सरकारों को अपने कार्यक्रम इस प्रकार बनाने चाहियें कि बजट की गयी पूरी की पूरी राशि व्यय हो सके । एक ओर तो हम कम राशि मिलने की शिकायत करते हैं दूसरी ओर जो राशि मिलती है उसका उचित उपयोग नहीं कर सकते । अतः हमें अपने भाइयों के विकास के लिये पूरी राशि का उपयोग करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिमजाति आयोग के प्रतिवेदन पर, जो कि २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक २८ अगस्त, १९६३ / ६ भाद्र १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३ / ५ भाद्र, १८८५ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९३६५--८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
३००	राष्ट्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड	१३६५--६६
३२२	सहकारी समितियों के लिए निर्माण कार्य	१३६६--६९
३०१	पाकिस्तान द्वारा व्यापार कर	१३६९--७१
३०२	चावल रक्षित भांडार	१३७१--७४
३०३	चीनी का उत्पादन	१३७४--७७
३०४	राज्यों में खाद्याभाव की स्थिति	१३७८--८०
३०५	कैरेज वैगन वर्कशाप	१३८०--८१
३०६	भूमि बंधक बैंक	१३८१--८५
३०७	भारत-स्विट्जरलैंड विमान करार	१३८५
३०८	उपभोक्ता सहकारी स्टोर	१३८६--८८
३०९	सहकार मंत्रियों का सम्मेलन	१३८८--८९
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
१	मीनाबकम में स्काटिश इण्टरनेशनल एयरवेज के विमान में चीनी सैनिक अधिकारी	१३८९--९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३९२--१४५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१०	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये "कैरेबेल" विमान	१३९२
३११	मूल्य उतार चढ़ाव निधि	१३९२--९३
३१२	देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर)	१३९३
३१३	खाद्य उत्पादन	१३९३--९४
३१४	नारियल का तेल सम्बन्धी जालसाजा	१३९४

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३१५	मत्स्य पालन निगम . .	१३९४–९५
३१६	"एयर इंडिया" की विमान सेवाऐं .	१३९५
३१७	पश्चिमी खाद्य क्षेत्र . . .	१३९५
३१८	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक	१३९६
३१९	गुड़ तथा खंडसारी के मूल्य	१३९६
३२०	चीनी उद्योग का गन्ना पेरने का मौसम . . .	१३९७
३२१	एक्सप्रेस पत्र . .	१३९७
३२३	नेपाली चावल का आयात . . .	१३९७–९८
३२४	एक राज्य के किसानों को दूसरे राज्य में बसाने की योजना .	१३९८
३२५	भारत-अमरीकी नौवहन सेवा	१३९८
३२६	रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	१३९९
३२७	विकलांग विमान चालकों को पुनः रोज़गार दिया जाना	१३९९–१४००
३२८	रेलवे दुर्घटनायें . . .	१४००
३२९	केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड . . .	१४०१

अतारांकित
प्रश्न सख्या

९०७	उपडाकघरों की क्रमोन्नति . . .	१४०१
९०८	कलकत्ता और मद्रास के बीच दुहरी रेलवे लाइन	१४०१
९०९	उड़ीसा में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल .	१४०२
९१०	उड़ीसा में रेलवे स्टेशन	१४०२
९११	कुम्भीर ग्राम और मोहनवाड़ी पर 'टर्मिनल' इमारतें .	१४०२–०३
९१२	तम्बाकू की खेती .	१४०३
९१३	अयस्कों का परिवहन	१४०३–०४
९१४	उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र . . .	१४०४
९१५	डिंगवाह स्टेशन . . .	१४०४
९१६	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर प्लेटफार्म . .	१४०४–०५
९१७	राजस्थान में डाक और तारघर . .	१४०५
९१८	टेलीफोन के कनेक्शन	१४०५–०६
९१९	भद्रक और राजा अट्टागढ़ के बीच रेलवे लाइन .	१४०६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६२०	रेलवे सामान का आयात	१४०६—०७
६२१	केन्द्रीय सड़क निधि . . .	१४०७—०८
६२२	उड़ीसा में नलकूप . .	१४०८
६२३	रेलवे इंजन . . .	१४०८
६२४	अनिवार्य जमा योजना के लिये डाक कर्मचारी . .	१४०९
६२५	गन्ने की खेती	१४०९
६२६	फतुहा-इस्लामपुर रेलवे कम्पनी लिमिटेड . .	१४०९—१०
६२७	फतुहा–इस्लामपुर लाइट रेलवे . .	१४१०
६२८	पटसन की पैदावार . .	१४१०
६२९	सिक्किम में डाक तथा तार सेवायें . . .	१४१०—११
६३०	पैराम्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना . .	१४११
६३१	केरल तट पर प्रकाशस्तम्भ . . .	१४११
६३२	लाख का उत्पादक	१४११—१२
६३३	ठंडे गोदाम . .	१४१२—१३
६३४	इस्पात के डिब्ब	१४१३
६३५	चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना . .	१४१३
६३६	लकड़ी के स्लीपरों में आग लगना . . .	१४१३
६३७	कोंकण-गोआ स्टीमर सेवा	१४१३—१४
६३८	पांडिचेरी पत्तन	१४१४
६३९	गेहूं के बीज का विकास	१४१४—१६
६४०	इंटरलॉकिंग	१४१६
६४१	मध्य रेलवे के स्टेशनों पर 'सिगनलिंग' व्यवस्था .	१४१६
६४२	खम्मामेथ और पेरूपलायम के बीच रेलवे लाइन .	१४१७
६४३	दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रयोग . . .	१४१७—१८
६४४	ऊन	१४१८
६४५	सामान का उतारा जाना . .	१४१९
६४६	केरल में तिरुड़ ऊपरी पुल . .	१४१९
६४७	चोरी किये गये रेलवे फिटिंग . . .	१४१९—२०
६४८	अवकाश गृह . . .	१४२०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६४६	लेवल क्रासिंग . . .	१४२०—२१
६५०	होटल . .	१४२१
६५१	चारा	१४२१—२२
६५२	व्यावहारिक आहारपुष्टि में प्रशिक्षण .	१४२२
६५३	भूमि बन्धक बैंक . .	१४२२
६५४	सामुद्रिक जीवविज्ञान अनुसन्धान केन्द्र . .	१४२२—२३
६५५	पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार .	१४२३
६५६	प्रयोगात्मक नल कूप संस्था . .	१४२४
६५७	कृषि उत्पादन	१४२५
६५८	डी० बी० के० रेलवे का सम्बलपुर-टीटागढ़ सेक्शन .	१४२५—२६
६५९	रूरकेला-रांची सेक्शन पर रेल सेवा .	१४२६
६६०	डाकिये की पदोन्नति . . .	१४२६—२७
६६१	विभागातिरिक्त डाकखाने . .	१४२७
६६२	उर्वरकों का सड़क द्वारा परिवहन . . .	१४२७
६६३	दिल्ली के गांवों में चकबन्दी . . .	१४२८
६६४	रेलवे लाइन का विद्युतीकरण . . .	१४२८—२९
६६५	कोलाघाट में रेल का पुल	१४२९
६६६	दिल्ली में कुतुब पर पर्यटक उपहारगृह . .	१४२९—३०
६६७	दिल्ली में यमुना पर पुल	१४३०
६६८	केरल डाक परिमण्डल . .	१४३०
६६९	केरल के लिए चीनी .	१४३१
६७०	बिहार में 'आरटीजियन वेल' .	१४३१
६७१	दिनाजपुर जिले में रेल सम्पर्क . .	१४३२
६७२	संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया गेहूं	१४३२
६७३	खेती के औजार .	१४३३
६७४	राजस्थान में तारघर	१४३३
६७५	मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन	१४३३—३४
६७६	प्रसंकर ज्वार . . .	१४३४
६७७	इलाहाबाद पेसेन्जर और सियालद एक्सप्रेस .	१४३४—३५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९७८	सुपरसोनिक विमान सेवा	१४३५
९७९	राष्ट्रीय राजपथ	१४३५—३६
९८०	'जल विष्णु'	१४३६
९८१	कोसी पर पुल	१४३६
९८२	मारवाड़ जंक्शन पर माल के डिब्बों का पटरी से उतर जाना .	१४३६—३७
९८३	टेलीफोन के तारों की चोरी	१४३७
९८४	कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन . . .	१४३७
९८५	जम्मू तथा काश्मीर में होटल	१४३७—३८
९८६	कोयले की खरीद	१४३८
९८७	गन्ना उत्पादकों को देय आस्थगित मूल्य . .	१४३८
९८८	रेलवे पुल के साथ तेल की पाइप लाइन . .	१४३९
९८९	भारतीय नौवहन उद्योग में विदेशी पूंजी . . .	१४३९
९९०	खाद्य विक्रेता संघ	१४३९
९९१	करारोपण	१४३९—४०
९९२	अखिल भारतीय पहाड़ी विकास गोष्ठी . . .	१४४०
९९३	नगेन्द्रनगर स्टेशन	१४४०—४१
९९४	पंजाब में कृषि विकास . . .	१४४१
९९५	कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन .	१४४१—४२
९९६	वाराणसी-गाजीपुर सड़क . .	१४४२—४३
९९७	जन दिनों का दान . . .	१४४३
९९८	कपास का उत्पादन . . .	१४४३—४४
९९९	पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी .	१४४४
१०००	पश्चिम तट का जलवर्णनात्मक सर्वेक्षण .	१४४४—४५
१००१	डाक तथा तार कर्मचारी .	१४४६
१००३	हसन-मंगलौर रेल लाइन	१४४६
१००४	चारा बैंक . . .	१४४६
१००५	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती-क्षेत्रों में संचार-साधन .	१४४६—४७
१००७	कृषि विकास .	१४४७
१००८	सेतु समुद्रम परियोजना . .	१४४७—४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१००९	पंजाब में तार व सार्वजनिक टेलीफोन	१४४८
१०१०	स्वीडन और नोर्वे से सहकारिता विशेषज्ञ	१४४८–४९
१०११	खाद्यान्न का आयात	१४४९ ५०
१०१२	हवाई अड्डे	१४५०
१०१३	डाक तथा तार कर्मचारियों के तबादले	१४५०–५१
१०१४	कांडला-जुंड परियोजना . .	१४५१
१०१५	चीनी का उत्पादन	१४५१–५२
१०१६	ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियों के पाकिस्तानी चालकों की हड़ताल की धमकी	१४५२
१०१७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती .	१४५२–५३
१०१८	रेलवे बोर्ड	१४५३
१०१९	रेलवे बोर्ड पुस्तकालय .	१४५३
१०२०	रेलवे बोर्ड पुस्तकालय . . .	१४५३–५४
१०२१	आन्ध्र प्रदेश में पत्तन	१४५४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . . १४५४—६०

अध्यक्ष महोदय ने मंत्रिमंडल के छै मंत्रियों के त्याग-पत्र के बारे में प्रधान-मंत्री द्वारा सदन से बाहर की गई घोषणा के बारे में विशेषाधिकार का एक प्रश्न जिसकी सूचना सर्वश्री, कपूर सिंह, राम सेवक यादव और लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दी थी, उठाने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४६०

(१) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९६९ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(२) विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४—क के अन्तर्गत, दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७३ में प्रकाशित भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित।

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से सन्देश	१४६०
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . .	१४६०
विधेयक पारित	१४६१
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१४६१—९९
बुधवार, २८ अगस्त, १९६३ / ६ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६३ को पारित कर दिया है ।

सचिव ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन १९६३ की, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में एक प्रति सभा पटल पर रखी।

रेल मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

६ सितम्बर, १९६२ को श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अपराह्न चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, २८ अगस्त, १९६३ / ६ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक और विशेष विवाह (संशोधित) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अपराह्न चर्चा तथा इनका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS.—III—1078 (Ai) LS—25-9-63—160.